लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

Parliament Library

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 6 अगस्त, 1969/15 श्रावण 1891 (शक)

No. 13, Wednesday, August, 6, 1969/Sravana 15, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S.Q. Nos.		
361 रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों से छापे की मशीनों का आयात	Import of Printing Presses from USSR and other Communist Countries	1-7
362 उत्तरी तथा पूर्वोत्तर सीमाओं पर अग्रिम संचार सम्पर्क स्थापित करना	Setting up of Advance Communication Links on Northern and North Eastern Frontiers	7-10
363 डा० मसकेरेनहस की रिहाई का प्रयत्न	Securing Release of Dr. Mascarenhas	10-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos.		
364 चौथी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के लिये धन का नियतन	Allocation of Fund for U. P. during Fourth Plan	14
365 त्रिपक्षीय व्यापार समझौता	Trilateral Trade Arrangements	15
366 भारत जापान संयुक्त उपक्रम	Indo-Japan Joint Ventures	15-16
367 नागाओं के लिये चीन में छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण	Guerilla Warfare Training for Nagas in China	16
368 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	National Textitle Corporation	16-18
369 भारत विरोधी चीनी प्रचार का रोकने में असफलता	Failure to contain Chinese Propaganda against India	18
370 प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of ARC's Recommendations	18-19
371 चौथी योजना में धन का नियतन	Allocation of Funds during Fourth Plan	19
372 भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen	19
373 वैज्ञानिक और बुनियादी अनुसंधान के लिये पृथक् योजना	Separate Plan for Scientific and Basic Research	19

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S.Q. Nos.		
374 पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्ति	Indian Property in Pakistan	19-20
375 पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violations by Pakistan	20
376 प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	Defence Research and Development Organisation	21-22
377 'बी' टिव्ल बैंगों की खरीद	Purchase of B. Twill Bags	22
378 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कपड़ा उद्योग	Textile Industry During Fourth Plan	22-23
379 सम्भरणकर्ताओं का गिरोह बनना	Formation of Rings by Suppliers	23-24
380 पाकिस्तान को विभिन्न साधनों से प्राप्त शस्त्रास्त्र सहायता	Arms Aid received by Pakistan from various sources	24
381 निपटान विभाग द्वारा सेना की गाड़ियों की बिक्री	Military Vehicles sold through Department of Disposals	25
382 अमरीका में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार	Pakistan Propoganda Against India in USA	25
383 नये आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in New Ordnance Factories	26
384 खान अब्दुल गफ्फार खाँ को नेहरू पुरस्कार देने का पाकिस्तान द्वारा विरोध	Protest by Pakistan on Nehru Award for Khan Abdul Ghaffar Khan	26
385 युरोपीय साझा बाज़ार में ब्रिटेन का प्रवेश	Britain's Entry into European Common Market	26-27
386 चाय उद्योग पर दंगों का प्रभाव	Impact of Disturbances on Tea Industry	27
387 केरल की चौथी योजना का प्रारूप	Draft Fourth Plan of Kerala	27-28
388 सीमेंट का निर्यात	Export of Cement	28-29
389 कलपक्कम रिएक्टर के निर्माण के लिये फ्रांस के साथ करार	Agreement entered into with France for Building of Kalpakkam Reactor	29
390 हस्तकलाओं का विकास	Development of Handicrafts	29-31
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
2324 अमरीकी और रूसी शिष्टमंडलों की भारत की यात्रा	American and Soviet Delegations Visit to India	31
2325 भारत नेपाल सीमा विवाद	Indo Nepal Border Dispute	31
2326 प्रधान मन्त्री की इंडोनेशिया की यात्रा	Prime Minister's Visit to Indonesia	31-32

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
2327	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का नीति आयोजन प्रभाग	Policy Planning Division of External Affairs Ministry	32-33
2328	संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic relations with UN Members	33
2329	मिग विमानों का निर्माण	Production of MIG Planes	34
2330	प्रतिरक्षा के लिये रेलवे परिवहन सुविधाएं	Railway Transport Facilities for Defence purpose	34
2331	भारत तथा पड़ोसी देशों की साझा मंडी	Common Market between India and Neighbouring Countries	34-35
2332	कैंटीन स्टोर बिभाग (भारत) में कर्मचारी भविष्य निधि का आरम्भ किया जाना	Application of Employees' Provident Fund to CSD (India)	35
2333	ई० एन० सी० शाखा के अधीन कार्य करने वाले असैनिक कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति	Promotion given to Civilian Employees working under E-in-C. Branch	35-36
2334	कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया)	Canteen Stores Department (India)	36
2335	गुजरात से जाने वाले हज यात्री	Haj Pilgrims from Gujarat	36
2336	भारत में निर्मित राडार	Radars Manufactured in India	36-37
2337	चादरों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Import of Sheets	37
2338	देश में राडार उपकरण का निर्माण	Manufacture of Radar Equipment in the country	37
2339	शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों का आयात	Import of Surgical Instruments	38
2340	चण्डीगढ़ हवाई अड्डे का विकास	Development of Chandigarh Airport	38
2341	कच्चे रेशम का ग्रायात	Import of Raw Silk	38-39
2342	संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्था का प्रतिवेदन	Report of Indian Institute of Foreign Trade on Joint Industrial Ventures	39
2343	रेडियो उद्योग को निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहन	Export incentives for Radio Industry	39-40
2344	राष्ट्रीय कपड़ा निगम	National Textile Corporation	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2345 चौथीयोजना में संघ राज्य क्षेत्रों के लिये निर्धारित राशि	Allocation of funds for Union Territories in Fourth Plan	40-41
2346 प्रागा टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Ltd.	41-43
2347 इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	Indian Rare Earths Ltd.	43-44
2348 ऊनी माल के निर्यात लाइसेंसों के बीजकों में अधिक और कम राशि दिखाना	Under and over-invoicing of Export Licences for wollen goods	44-45
2349 इसराइल से व्यापार सम्बन्ध	Trade relations with Israel	45
2350 भारतीय माल का नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात	Diversion of India Exports through Nepal	45-46
2351 पंजाब में औद्योगिक और कृषि विकास के लिये धनराशि का आवंटन	Allocation of funds for Industrial and Agricultural Development in Punjab	46
2352 चीनी दूतावास द्वारा आदेशों का पालन न किया जाना	Orders not complied with by Chinese Embassy	47
2353 दिल्ली में राज्य व्यापार द्वारा किराये पर ली गई इमारतें	Buildings Hired by STC in Delhi	47-48
2354 उत्तरी क्षेत्र में प्रतिरक्षा बस्तियों की स्थापना	Defence Colonies to be set up in Northern Region	48
2355 अमृतसर को शुष्क बन्दरगाह बनाना	Amritsar as Dry Port	48
2356 आयुध कारखाने	Ordnance Factories	49
2357 चौथी योजना में प्रति व्यक्ति आवंटन	Per capita Allocation in Fourth Plan	49
2358 नागालैन्ड में अमरीकी पर्यटक	American Tourist in Nagaland	49-50
2359 प्रतिरक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Scheduled castes/scheduled tribes Employees promoted in Defence production department	50
2360 केन्द्रीय सांख्यकी संगठन द्वारा प्रकाशित प्रकाशन	Publications brought out by Central Statistical organisation	50
2361 पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Submarines	50-51
2362 सूती कपड़े का ब्रिटेन को निर्यात	Export of cotton Textitles to UK	51
2363 सैनिकों को राशन की सप्लाई	Supply of Ration to troops	51-52
2364 पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम संधि का उल्लंघन	Cease-fire violations by Pakistan	52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रश्न संख्या U. S. .Q. Nos.		
2365 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन	Annual Report of Committee on Science and Technology	52
2366 "शान्ति तथा प्रगति रेडियो" द्वारा प्रसारण	Radio peace and progress Broadcasts	52-53
2367 भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा लातिनी अमरीका की यात्रा	Visit by delegation of Indian industrialists to Latin America	53-54
2368 आइ० सी० एस० अधिकारी को सौंपा गया कार्य	Assignment for an ICS officer	54
2369 भारत का आयात	India's Imports	54-55
2370 किसी सैनिक अधिकारी की एक स्थान पर नियुक्ति की अवधि	Duration of posting of an Army Officer at one Place	55-56
2371 केन्या, संयुक्त अरब गणराज्य तथा ईरान भेजे गये विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Report of expert team sent to Kenya UAR and Iran	56
2372 लघु उद्योगों के सम्बन्ध में भारत फिजी करार	Indo-Fiji agreement on small Industries	56-57
2373 ब्रिटेन द्वारा निर्मित विमान जैसा हेलीकोप्टर	Helicopter like aircraft manufactured by UK	57
2374 नाइट्रोजन उर्वरकों का निर्माण	Manufacture of Nitrogen fertilizer	57-58
2375 आजाद पख्तूनिस्तान के लिये समर्थन	Support for Azad Pakhtoonistan	58
2376 विमान समिति के सदस्यों की विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों से मुलाकात	Meeting of Members of Aeronautics Committee with Indian Scientists abroad	58
2377 भूतपूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा विशिष्ट सेवा पदक का उत्तरदान	Distinguished service medal bequeathed by the former Chief of the Army Staff	59
2378 उड़ीसा खान निगम	Orissia Mining corporation	59
2379 पश्चिम जर्मनी द्वारा निर्मित बख्तरबन्द टैंक	Armoured Tank made by West Germany	59-60
2380 पाकिस्तान के साथ हल न किये गये विवादों को तय करना	Settlement of unresolved disputes with Pakistan	60

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. Q. Nos.		
2381 विदेशों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste employees in Foreign countries	60-61
2382 आसाम तथा कलकत्ता के बीच नौवहन मार्ग	Navigatory link between Assam and Calcutta	61
2383 नेपाल को भारतीय सहायता	Indian Aid to Nepal	61-62
2384 श्री त्रिलोक चन्द्र गुप्ता को क्षतिपूर्ति	Compensation to Shri Trikok Chandra Gupta	63
2385 पौलैन्ड में एक भारतीय की रिहाई	Release of an Indian National in Poland	62
2386 हिन्द महासागर क्षेत्र की रक्षा के बारे में इंडोनेशिया का सुझाव	Indonesian suggestion re. Defence of Indian Ocean area	62-63
2387 नायलोन क्रिम्पिग उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Material to Nylon Crimping Industry	62
2388 परमाणु हथियारों को छोड़ने की प्रणाली का विकास	Development of Delivery System for Nuclear Weapons	63
2389 हिंडन हवाई अड्डे के लिये अर्जित भूमि के मुआवजे का भुगतान	Payment of compensation for land acquired for Hindon Airport	64
2390 छंटनी किये गये ट्रेड अपरंटिसों को नये आयुध कारखानों में रोजगार देना	Absorption of retrenched trade apprentices in New Ordance Factories	64
2391 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को बहाली	Reinstatement of Employees who participated in 19th September, 1968 strike	64-65
2392 भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा अमरीका के विदेश मंत्री से पश्चिमी एशिया संकट के सम्बन्ध में बात चीत	Indian Prime Minister's Discussion with US Secretary of State on West Asian Crisis	65
2394 मानव केश के न्यूनतम मूल्य	Floor Prices of Human Hair	65-66
2395 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जब्त किये गये जलयानें सम्बन्धी विवाद का निपटारा	Resolving of Disputes in regard to impounded ships seized during 1965 Indo-Pak. conflict	66
2396 विदेशों में सूचना केन्द्र	Information Centres Abroad	66-67
2397 भारत, पाकिस्तान तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चीन समर्थक तत्वों को चीनी प्रोत्साहन	Chinese Encouragement to Pro Chinese Elements in India, Pakistan and South East Asian Countries	67-68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2398 एक्सरे फिल्मों का आयात	Import of X-Ray Films	68-69
2399 मध्य प्रदेश में रेडियो सक्रिय खनिज	Radio Active Minerals in Madhya Pradesh	69
2400 बीड़ियों का निर्यात	Export of Beedis	69-70
2401 मध्य प्रदेश से फलों का निर्यात	Export of fruits from Madhya Pradesh	70
2402 मध्य प्रदेश के सेवा मुक्त कर्मचारी	Employees belonging to Madhya Pradesh released from Service	70
2403 सोवियत रूस तथा अन्य देशों को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to USSR and other countries	70-71
2404 वस्तुओं का निर्यात	Exports of Commodities	71-72
2405 अपने आप बम ले जाने वाली मशीन	Automatic Bomb Carrier Machine	72-73
2406 पाकिस्तान द्वारा भारतीय नावों की बिक्री	Sale of Indian Boats by Pakistan	73
2407 एक्सपो -- 70	Expo-70	73
2408 आरटेक, रूस में बाल शिविर	Children camp at Artek, Russia	74
2409 मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें	Textile mills in Madhya Pradesh	74-75
2410 पेरू से आयात	Imports from Peru	75
2411 डा० मसकेरनहस की रिहाई के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken for the release of Dr. Mascarenhas	75
2412 भारत में निर्मित चाय की मशीनों के लिये विदेशी बाजार	Foreign Markets for India-made Tea	76
2413 बर्मा द्वारा राष्ट्रियकृत भारतीय संस्थान	Indian Institution Nationalised by Burma	76-77
2414 स्लीपरों की सप्लाई में धोखाधड़ी	Fraudulent Supply of sleepers	77
2415 मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों को दिये गये ऋण	Loans advanced to Textile Mills in Madhya Pradesh	77-78
2416 मेसर्स पर्ल्स साइकिल फर्म दिल्ली द्वारा टैंकभेदी गोलों का निर्माण	Manufacture of Anti tank Shells by M/s Pearls Cycle Firm, Delhi	78
2417 एग्रोइंडस्ट्रियल कारपोरेशन, आन्ध्र प्रदेश	Agro-Industrial Corporation Andhra Pradesh	78
2418 स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु पर कार्यालयों का बन्द होना	Closing of offices on the death of late President, Dr. Zakir Hussain	79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2419 पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा औद्योगिक उत्पादों की खरीद	Purchase of Industrial produce by DGS & D	79
2420 शक्तिमान ट्रक	Shaktiman Truck	80
2421 एक भूतपूर्व विधि मन्त्री के विरुद्ध आरोप	Allegation against former law Minister	80
2422 छावनी बोर्डों की असैनिक क्षेत्र समिति	Civil Area Committees of Cantonment Boards	80-81
2423 दिल्ली में असैनिक क्षेत्रों का विस्तार	Extension of Civil Areas in Delhi	81
2424 डा० मसकेरेनहस की रिहाई	Release of Dr. Mascarenhas	81-82
2425 असम में चाय बागानों का बन्द होना	Closure of Tea States in Assam	82
2426 नागा विद्रोही नेता श्री मोबू अंगामी की गिरफतारी	Arrest of Mr. Mobu Angami, Naga Rebel Leader	83
2427 छावनी बोर्डों के क्षेत्रों में स्कूल खोलना	Opening of Schools in Cantonment Board Areas	83
2428 पूना छावनी बोर्ड	Poona Cantonment Board	83
2429 संयुक्त मोर्चा सरकारों के चौथी योजना नियतन में वृद्धि	Increase in Fourth Plan Allocation of United Front Governments	84-85
2430 टेलीविजन केन्द्रों के लिये उपग्रह	Satellite for television stations	85
2431 नेपाल से संश्लिष्ट धागे से बने कपड़े तथा स्टैनलैस स्टील का आयात	Import of synthetic Fabrics and Stainless Steel from Nepal	85-86
2432 मैसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ समूह	M/s Aminchand Pyarelal Group of Firms	86-87
2433 भारत स्थित विदेशी दूतावासों द्वारा खर्च की गई धन राशि	Amount spent by foreign Embassies in India	87
2434 रूस के प्रधान मंत्री द्वारा काबुल में दिये गये भाषण का मूल पाठ	Text of USSR Prime Minister's speech at Kabul	87
2435 मास्को में साम्यवादी दलों का सम्मेलन	Conference of Communist parties in Moscow	87-88
2436 राज्यों में नलकूप लगाना	Sinking of Wells in States	88
2437 व्यापार के सम्बन्ध में भारत अफगानिस्तान संयुक्त आयोग	Indo-Afghan Joint commission on Trade	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Prges
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2438 पेकिंग स्थिति भारतीय दूतावास में गण-तन्त्र दिवस का मनाया जाना	Celebration of Republic Day in Indian Embassy in Peking	89
2439 अदर रेंक्स को दिये जाने वाला वियुक्ति भत्ता	Separation allowance paid to other Ranks	89
2440 जे० सी० ओ० तथा अन्य रैंकों के यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें	Rates of TA and DA of J. C. Os/other Ranks	89-92
2441 जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन और भत्ते	Pay and Allowances of J. C. Os.	92-93
2442 संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भारतीयों की भर्ती के लिये प्रक्रिया में संशोधन	Revising procedure for Rrcruitment of Indians in the UN Secretariat	93
2443 चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात नीति	Export Strategy during Fourth Five Year Plan	93-94
2444 भारत अफगानिस्तान संयुक्त आयोग	Indo Afghanistan Joint Commission	94
2445 जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये विशाखापत्तनम पत्तन योजना	Visakhatnam Harbour Scheme for Export of Iron Ore to Japan	94-95
2446 भारतीयों के लिये बर्मा की नागरिकता	Burmese Citizenship for Indians	95
2447 निर्बाध व्यापार	Free Trade	95
2448 पेकिंग रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda by Radio Peking	95-96
2449 वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन के अधिकारी	Officers of India Supply Mission in Washington	96
2450 धरंगधरा सैनिक शिविर के सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार	Misbehaviour with Women by Soldiers of Dharangdhara Military Camp	97
2451 पूर्वी पाकिस्तान द्वारा विरोध पत्र	East Pakistan Protest	97
2452 प्रधान मंत्री की जापान यात्रा	Prime Minister's Visit to Japan	98
2453 हिमाचल के सीमावर्ती देशों की परि-योजना	Himalayan Border Countries Project	98-99
2454 ट्रांसमीटरों का निर्माण	Manufacture of Transmitters	99
2455 अधिकारियों के पास आयातित कारें	Imported Cars owned by Officers	99
2456 मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग	Use of Imported Cars by Ministers	99-100
2457 संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills	100
2458 राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेश व्यापार	Foreign Trade undertaken by STC	101

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2459 व्यापार सम्बन्धी करार	Trate Agreements	101
2460 मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	101-102
2461 मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	102-103
2462 सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार	Soviet Land Nehru Award	103-104
2463 खराब टायरों की खरीद	Purchase of Defective Tyres	104-105
2464 विद्युत करघों का आयात	Import of Powerlooms	105
2465 रूई कताई और बुनाई मिलें	Cotton Spinning and Weaving Mills	105-106
2466 रोडेशिया की नाकाबन्दी	Sanction against Rhodesia	106
2467 भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen	106-107
2468 लग्जमबर्ग में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना	H.M.T. Plant in Luxembourg	107-108
2469 अफगानिस्तान के लिये भारतीय विशेषज्ञ	Indian Experts for Afghanistan	108
2470 चीन के पास हाइड्रोजन बम	Hydrogen Bombs with China	109
2471 पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों को लौटाया जाना	Return of Indians by Pakistan	109-110
2472 ए. एम. आई. ई. डिप्लोमा धारकों को वेतन वृद्धि देना	Grant of increments to AMIE Diploma holders	110
2473 भारत के साथ शस्त्रास्त्र करार की समाप्ति	Revocation of Indo Nepal arms agreement	110-111
2474 कृत्रिम पलकों के निर्माण के लिये कारखाने की स्थापना	Setting up of factory for production of artificial eyelashes	111
2475 कपड़ा औद्योगिकीबिदों द्वारा कपड़े के मूल्य के सम्बन्ध में सिफारिशें	Recommendations made by Textile Technologists on prices of cloth	111-112
2476 बन्द कपड़ा मिलों को चलाने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का उपयोग	Use of employees provident Fund money for running closed Textile Mills	112-113
2477 विदेश मन्त्री की अमरीका की यात्रा	Foreign Minister's visit to USA	113
2478 अमरीका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	American President's visit to India	113
2479 विदेशों में बिना अनुमति ठहरे हुए भारतीयों की नागरिकता की समाप्ति	Termination of citizenship of Indians staying abroad without permission	114
2480 दक्षिण अफ्रीका में आतंकवादी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रजन	Indians arrested under Terrorists Act in South Africa	114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.		
2481 काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित गुरिल्ला सेना	Pak. trained Guerilla force in Kashmir	114-115
2483 भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाटी पर समुद्र के साथ साथ सड़क	Road along sea in Eastern and Western side of India	115
2484 राजदूतों की नियुक्ति के मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for appointment of Ambassadors	115
2485 आयुध कारखानों में सुपरवाइजर 'ए' ग्रेड की चार्जमैन के रूप में पदोन्नति	Promotion of Supervisor 'A' Grade as chargemen in Ordnance Factories	116
2486 काली मिर्च पर निर्यात शुल्क की समाप्ति	Abolition of export duty on Pepper	116
2487 उत्तर प्रदेश में सेना के भूमिहीन लोगों को भूमि का आवंटन	Land allotted to landless persons in Army in U. P.	116-117
2488 भारत द्वारा मशीन पुर्जों के निर्यात के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	Survey on export of machine tools by India	117
2489 मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में भाड़े तथा पत्तन शुल्क में कमी	Reduction in freight and port charges in respect of Manganese Ore	117-118
2490 निर्यात नीति में परिवर्तनों का बिजली के तारों के निर्यात पर प्रभाव	Impact in changes in export policy on export of electrical cables	118-119
2491 सिक्यांग में स्थापित आयुध डिपो	Ordnance depots set up in Sinking	119
2492 काश्मीर के बारे में पाकिस्तान को चीन का समर्थन	China's Support to Pakistan on Kashmir	119
2493 हवाई अड्डों का निपटान	Disposal of Airfields	119-120
2494 भारतीय राजनयिकों द्वारा सरकारी भोजों से उठ कर चले आने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guide Lines for Walk Out by Indian Diplomats	120
2495 कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य	Floor prices of Raw Jute	120
2496 नेपाल द्वारा शरद नहर का उपयोग	Use of Sharad Canal by Nepal	121
2497 अनिर्णीत विवादों के निपटारे के लिये भारत नेपाल समितियां	Indo Nepal Committee to Settle out standing Disputes	121
2498 महाराष्ट्र में विद्युत करघों द्वारा रंगीन साड़ियों का निर्माण	Production of Coloured Sarees by Powerlooms in Maharashtra	121-122
2499 रंगीन साड़ियों के निर्माण पर पाबन्दी	Ban on production of Coloured Sarees	122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2500 भारत में हथकरघा बुनकरों की प्रति व्यक्ति आय	Per capita income of Handloom weavers in India	122-123
2501 ब्लीडिंग मद्रास कपड़े का निर्यात	Export of Bleeding Madras	123
2502 नेपाल में भारतीय मिशन	Indian Mission in Nepal	123-124
2503 प्रधान मन्त्री की इन्डोनेशिया और जापान की यात्रा पर खर्च	Expenditure on Prime Minister's visit to Indonesia and Japan	124
2504 बकरियों और बकरियों की खाल का निर्यात	Export of goats and goat skins	124
2505 ब्रिटेन के नागरिकों को वीजा	Visas for UK Citizens	125
2506 उत्तर कोरिया द्वारा पाकिस्तान को सैनिक शस्त्रास्त्र दिये जाना	Supply of military arms to Pakistan by North Korea	125
2507 कोसीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में गोली चलने की घटना की जांच	Probe into firing in Cossipore Gun and shell factory	125
2508 हथकरघे निर्मित माल पर छूट	Rebate on Handloom Products	126
2509 दिल्ली छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकान	Tenements built for defence personnel in Delhi Cantonment	126-127
2510 दिल्ली छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकान	Tenements constructed for Defence Personnel in Delhi Cantonment	127
2512 स्वेज नहर के बन्द होने का भारत के निर्यात पर प्रभाव	Impact of closure of Suez Canal on India's Exports	127
2514 महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्र	Backward areas in Maharashtra	127-128
2515 कपास के लिये समर्थन मूल्य	Support price for Kupas	128
2518 राजकीय व्यापार निगम द्वारा रूई का व्यापार	Handling of Cotton Trade by State Trading Corporation	128
2519 विद्रोही नागाओं से पकड़े गये चीनी शस्त्रास्त्र और गोला बारूद	Chinese Arms and Ammunitions Captured from Hostile Nagas	128-129
2520 श्रीलंका में जातिगत दंगे	Race Riots in Ceylon	129
2521 जापान को कच्चे माल का निर्यात	Export of Raw Materials to Japan	130
2522 व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की सूडान यात्रा	Trade Delegation to Sudan	130
2523 सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार विजेता	Soviet Land Nehru Award Winners	130-131

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	131-133
हिन्दी हिन्दुस्तान की प्रतियों की जब्ती के बारे में पश्चिमी बंगाल के शिक्षा मंत्री का विरोध	Protest by Education Minister of West Bengal Against forfeiture of copies of Hindi Hindustan	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	133-134
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	134-135
युद्ध में मारे गये सिपाहियों की विधवाओं को पेंशन के बारे में	Correction of Answer to S. Q. No. 1684 re. Pension to widows of soldiers killed in war.	135
तारांकित प्रश्न संख्या 1684 के उत्तर में शुद्धि बिहार में हरिजन महिला विधायक पर आक्रमण के बारे में वक्तव्य	Statement re. attack on Harijan Lady MLA in Bihar	135-136
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill	136-138
खण्ड 4 और 1	Clauses 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में (वाद-विवाद स्थगित)	Motion to Pass, as amended (Debate abjourned)	
पश्चिमी बंगाल विधान मण्डल के परिसर की पवित्रता को भंग-करने के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Home Minister's Statement on Violation of Sanctity of West Bengal Legislature premises	138-161
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhuri	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhari	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwasy	
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitrayee Basu	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir	
श्री विमलकांति घोष	Shri Vimalkanti Ghosh	
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	
श्री प० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री तुलाराम	Shri T. Ram	
श्री बि० अ० मण्डल	Shri B. P. Mandal	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
श्री कातिक उराव	Shri Kaetik Oraon	
श्री समर गुह	Shri Sumar Guha	
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 6 अगस्त, 1969, 15 श्रावण, 1891 (शक)

Wednesday, August 6, 1969, Sravana 15, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Printing Presses from U. S. S. R. and other Communist Countries

\+

*361. **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of such persons and institutions as have imported printing presses from U. S. S. R. and other Communist countries but have not paid the full cost thereof ; and

(b) the total amount of assistance received by these importers from the Communist countries in this manner ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) :

(a) Since import satistics are not maintained importerwise, the names of such persons and institutions as have imported printing presses from U. S. S. R. and other Communist countries but have not paid full cost thereof are not available.

(b) Does not arise.

Shri Ranjeet Singh : This kind of question has been raised here earlier several times. The editor of a Communist paper of Kerala has disclosed after giving resignation that the paper used to get money from China. This question was raised several times in this House that Link and Patriot, which subscribe to foreign ideology also get this money. We have also stated that American money is given to some people, correspondents, papers and Diplomats. Today the Government states that they have no information regarding this and they

have no statistics. We admit that generally the Government do not have statistics of these items but they should know the countries which supply these items as well as the names of recipients. Statistics of those machinery which come from abroad are kept every where. The customs department maintains the statistics because they have to take clearance permit from the customs and they have to pay custom. So how the Hon. Minister says that he has no statistics. I would like to ask first in respect of Raisina Publications and United Publications and some other persons like Shrimati Subhdra Joshi and Aruna Asaf Ali ; I am mentioning their names because they are well-known who received machinery and money for publication and propoganda. Those people received them. The Government do have statistics. May I know whether the C. B. I. has submitted any report in this matter and if so, the nature thereof ? Which are the presses and what are the names of individual in this respect ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : This House has already discussed about the various political parties who get money from abroad for political activities. The Home Minister has also answered it. This is a separate question. The present question is that the names of such persons and institutions as have imported printing presses from U. S. S. R. and other communist countries but have not paid the full cost thereof, be intimated. I replied that since import statistics are not maintained importerwise, the names of such persons and institutions are not available. I can give the figures regarding the cost of machinery received from Russia and other countries but it is not possible to state the names separately.

Shri Ranjeet Singh : You may give what you have.

Shri B. R. Bhagat : As I have mentioned that the Printing machinery which was received the end of the month of December in 1968-69 is of the value of Rs. 20 crores in foreign value. (Interruption). I am sorry it is Rs. 20 lakhs and not Rs. 20 crores. (interruption).

The machinery received from Czechoslovakia and G. D. R. are of the value of Rs. 7 lakhs and 69 thousand and Rs. 76 lakhs respectively. The machinery from G. D. R. costs more. (interruption).

Shri Ranjeet Singh : Our Government as well as the recipients have learnt the art of increasing or reducing the figures from Russia. I would like to ask whether the Government or Home Ministry or any ministry is prepared to make enquiry as to what extent machinery was received by overinvoicing or underinvoicing and how the payment was made and how much was not paid and what type of work is taken from the Machinery and the names of the Embassies who give work to them. May I know whether it also happens that one lakh papers are printed instead of one thousand papers. They prepared this bill and payment was made. You are well aware about the Link and Patriot who play such tricks and whether it is also a fact. (Interruption). They are pained when I am mentioning the names. Any how the last part ot my question is:Is it a fact that not only the machines but a large quantity of newsprint worth lakhs of rupees have been received and is being sold in Black market ?

Shri B. R. Bhagat : As far as the newsprint is concerned, the Hon. Member may ask from the Information and Broadcasting Ministry and he will get the information. Scrutiny is made in very case as to the cost of material of Printing Press imported from abroad and the way of overinvoicing and the price etc.

The Hon. Member has asked in regard the Link and Patriot. Regarding them the question was raised here and it had been answered. Scrutiny was made in regard to the price of machinery which was received on deferred payment. The rate of interest was high earlier and Russia demanded 6 percent but the Finance Ministry and other Ministry told them that it was very high and they could not pay it. Then only 3 percent was paid (Interruption.) After devaluation, it was increased by 57.5 percent every where and they also

increased it. After devaluation of sterling it was reduced by 14.3 percent. As far as the commercial method of price and deferred payment is concerned, it is the same here which was adopted at other places. There is nothing wrong in it. The Hon. member has asked us to scrutinize and to intimate how much it is. I would like to tell that such cases c nnot be scrutinized The Hon. Member had asked about the Link and the Patriot and we gave the information after collecting it. If he has knowledge about any irregularity he may inform us about it and we can look into. (Interruptions).

Shri Hukum Chand Kachwai : The question has not been answered.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न छापे को मशीन श्रौर भुगतान के बारे में हैं। इस प्रश्न को परिधि में माननीय सदस्य अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Suraj Bhan : The Hon. Minister has stated that whatever is possible under the constitution is being done. The Communist ways are harming the country. I want to inform that goods are received from Russia. They have agents but the commission of the agent is given to Communist Party. Financial help is given to them. According to my information "the Link and the Patriot" suffer a loss of Rs. 10 lakhs annually and to meet it....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है कि यह प्रश्न छापे की मशीन और भुगतान के बारे में है। मैं उससे सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न ही पूछने की श्रनुमति दूँगा। इसके अलावा मैं किसी बात की अनुमति नहीं दूँगा।

Shri Suraj Bhan : I am asking about it. I have an objection that other members take ten minutes for moving preface and you are aot allowing me even half a minute. I have a direct question. May I know whether the Government would intimate the balance ? Is it not possible that instead of the agents of that Country, the Government agency may recover it and we may give it direct to Russia ?

Shri B. R. Bhagat : This is an arrangement under deferred payment. I have ascertained that payment made so far amounts to Rs. 3,61,291.80 and the balance is Rs. 6,46,428. It is repayable in 7 instalments.

Shri Kanwar Lal Gupta : When it was started and when the machines were bought ? This Congress and Communist....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री गुप्ता से अनुरोध करूँगा कि वे दुबारा हस्तक्षेप न करें, श्री सूरज भान ने प्रश्न पूछा है और यदि वे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

Shri Suraj Bhan : What action is being taken for its recovery ? Get us the answer of this question.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है कि यह आस्थगित भुगतान है। उन्होंने किस्तों की संख्या भी बता दी है। इससे आगे और कोई बात नहीं है।

Shri Suraj Bhan : When the machinary was bought ? (interruption)

Shri Hukam Chand Kachwai : It seems that this question pains you. What does it mean ?

Shri Jagannath Rao Joshi : The Hon. Minister has stated in reply to this question that he will give the information on receipt of a separate notice. The question is put a month before. And it is a clear and direct question.

"उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों से छापे की मशीनों का आयात किया है।"

It is clear. The Hon. Minister himself does not know whether the figure is Rs. 20 crores or 20 lakhs, and whether Rs. 76 lakhs was received from. G. D. R. When the Hon. aMin ster himself does not know on what basis we are to ask the question ? This question was sked ia month before. If we had the information of name, institution, country, G. D. R. etc. then we could have asked question about it. And the Hon. Minister says that such question is not asked. Then he says that it is Rs. 20 lakhs, Rs. 20 crores and Rs. 76 lakhs. Now on what basis we should ask ? It is a question of democracy (interruption). We want that such thing should not take place. It is not the question of G. D. R. or any other country. If we want democracy to run in proper way, there should be freedom of thought. The Hon. Minister may take time to collect information but full information should be placed on the table of the House. We should know the name, institution, machinery, money recovery and the balance etc. Otherwise there is no use of asking question. If we do not get the reply of the question, on what basis should we ask the supplementary ?

Shri B. R. Bhagat : I protest against the manner of asking question by the Hon. member. It is strange to say that it is Rs. 20 lakhs or Rs. 20 crores. I have already told that it is Rs. 20 lakhs. It has been clearly stated that such figures are not placed and cannot be placed.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why it cannot be placed ?

Shri B. R. Bhagat : It cannot be placed. May I know whether you have got any law in this respect ? (Interruption).

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister replies in such a manner. What does it mean ?

श्री शिव नारायण : आप इस सदस्य का नाम लेकर... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी जगह बैठ जायें। जब तक वे चिल्लाने के लिए दु:ख प्रकट न करें, मैं उनको इस सभा में बैठने की अनुमति नहीं दूँगा। यह शिष्ट मानव के व्यवहार के बाहर है। जब तक वे दु:ख प्रकट न करेंगे.........

Shri Sheo Narain : It is our demand that he should be turned out. We cannot bear such insult.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it the way of reply ?

श्री रणधीर सिंह : आप उनका नाम लेकर सभा से बाहर निकालिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे कहने के तरीके तथा चिल्लाने के लिए माफी नहीं मांगेंगें तो मैं उन्हें एक दिन के लिए सभा में बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। यह मेरा अन्तिम निर्णय है...... (व्यवधान) उन पर कोई दया नहीं दिखायी जायेगी, मैंने बहुत बार उनको क्षमा किया है, यदि वे इसको करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मुझे आगे कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभा में इस प्रकार का क्रोध किसी दल अथवा समूह का अंग नहीं बनना चाहिए (व्यवधान) अगर वे दु:ख प्रगट नहीं करते हैं तो मुझे अग्रेतर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

Shri Sheo Narain : He should be turned out.

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे इस प्रकार का व्यवहार बहुत बार करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Deputy Speaker....

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं (व्यवधान) यह सभ्य मनुष्य को शोभा नहीं देता। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह बात आज पहली बार नहीं हुई है।

श्री म० ला० सोन्धी : आपने जो ये शब्द कहे हैं उन्हें सभा की कार्रवाई में सम्मिलित नहीं

करना चाहिए...(व्यवधान) आपको ये शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह बहुत गम्भीर आरोप है। श्री संजीव रेड्डी जी ने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे। यह मानव अधिकारों का प्रश्न है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात सभा की कार्रवाही में सम्मिलित नहीं होगी (व्यवधान)**

श्री म० ला० सोन्धी : आपको 'असभ्य मानव व्यवहार' ये शब्द कहने का क्या अधिकार है ? क्या वह मनुष्य मात्र नहीं है ? यह अपमान जनक बात है कि मानव अधिकार के वर्ष में, महात्मा गांधी तथा लोकमान्य तिलक के देश में आप एक सदस्य के मानव अधिकार का प्रतिकार करते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'सभ्य' शब्द को भूल रहे हैं।

श्री म० ला० सोन्धी : आपको मनुष्य को असभ्य मानव कहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जब एक मनुष्य को उसके मानव अधिकारों को देने से इन्कार किया गया तो सभा के नेता इस प्रकार चुप्पी साधे बैठे रहें। यह तो अपमान जनक है... (व्यवधान)। एक व्यक्ति गलती कर सकता है। आप उसे प्रेम से जीत सकते हैं। परन्तु आप उसके मनुष्य होने के उसके अधिकार से इनकार नहीं कर सकते। मैं आपके विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत करने को मजबूर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम तो मैंने उन्हें इस प्रकार चिल्लाने से मना किया। परन्तु वे नहीं माने तो मैंने उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने को कहा। ये शब्द मुझे अत्यधिक रोष में कहने पड़े। मैंने कहा कि इससे कोई दल बन्दी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपने अपने सदस्य को रोका नहीं। यह बात तो अब आये दिन हो रही है। हम इस सदन को किस प्रकार नियंत्रण में रखें ?

श्री म० ला० सोन्धी : नैतिक अधिकार के द्वारा।

Shri Jagannath Rao Joshi : You very well know it that we do not like such things at all. हम सदन के गौरव तथा इसकी शालीनता में विश्वास करते हैं। I have been witnessing this shouting scene for about an hour, but no body has said that कि यह मानवमात्र के लिए अशोभनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सुसभ्य मानव।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह वहुत आपत्ति-जनक बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे अपने शब्दों को वापिस लेलें और पहले आप वापिस लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने शब्द वापिस नहीं लेता। कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि वे इस प्रकार नहीं चिल्लाएँ अन्यथा मुझे उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। आपमें से किसी ने भी उन्हें चुप होने के लिए नहीं कहा। श्री गुप्त जी ! आपने तो प्रयत्न किया परन्तु विफल रहे। जब वे पुनः इस प्रकार चिल्लाने लगे तो मुझे ये शब्द कहने पड़े कि यदि वे यह समझते हैं कि उनका व्यवहार सभ्य व्यवहार है तो...(व्यवधान)

श्री म० ला० सोन्धी : हम इसका तिरस्कार करते हैं।

**सभा की कार्रवाई में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभ्य व्यवहार नहीं मानता। मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : मुझे विश्वास है कि आपके कथन का यह तात्पर्य नहीं था कि किसी व्यक्ति का व्यवहार मानवीय नहीं। यह तो आपके मन से बहुत दूर की बात है ? मैं उन शब्दों को दोहराती हूँ जिनका प्रयोग माननीय सदस्य ने किया था। श्री सोन्धो ने कहा कि यह मानव अधिकारों का वर्ष है। कुछ आदर्शों के अनुसार इस सदन में व्यवहार करने के लिए हम सब पर एक विशेष जिम्मेदारी पड़ जाती है। हम सबको इस सदन के गौरव तथा शालीनता बनाये रखने के लिये प्रयास करना चाहिए। मैं किसी एक विशेष पक्ष को लक्ष्य नहीं कर रही हूँ। सदन के प्रत्येक पक्ष को इसके गौरव तथा शालीनता को बनाये रखना है ? यदि हम इससे पहले गलती कर बैठे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम गलती करते रहेंगे। क्योंकि यह बात पहले घट चुकी है तथा कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है इसलिए हमें आज से ही यह कहना चाहिएँ कि अब हम किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो अध्यक्ष को इसके लिए पूरा अधिकार है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अधिकारी 'सभ्य व्यवहार' के विषय में बात कर रहे थे। अधिकारी को भी शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। वह किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं...... (व्यवधान)।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : गुप्त जी, मुझे तनिक यह बात कह लेने दीजिए। सभ्य व्यवहार का वास्तव में कुछ अर्थ है। चिल्लाना और कुछ शब्दों का उच्चारण करना जो कि इस ओर से प्रयोग में लाये गए हैं वे सब सभ्य व्यवहार के अन्तर्गत नहीं आते और मुझे बड़ी लज्जा के साथ यह मानना पड़ता है।

प्रश्न काल की अवधि में इस प्रकार समय नष्ट करने के बजाय मेरा सुझाव तो इस मामले को यहीं समाप्त करने का है, परन्तु हमें अन्य दलों के नेताओं के साथ इस बात पर निर्णय करना चाहिए और सम्भवतः हम एक साथ बैठकर इस मामले की चर्चा कर सकते हैं। अतः हमें इस बात का समझौता करना चाहिए जिससे कि हम इस सदन का गौरव बनाये रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त क्या उन्हें सदन के सामने क्षमा नहीं माँगनी चाहिए ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे बहुत खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें क्षमा मांगने के लिए क्यों नहीं कहते ? आप प्रत्येक दिन उसकी ओर से क्षमा मांगते रहते हैं। कल भी आपने क्षमा मांगी थी। आप जिम्मेदारी लेते हो... (व्यवधान)।

श्री कंवर लाल गप्त : जो कुछ आपने कहा उसके लिए आप को भी खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आप माननीय मंत्रियों को बुलाएँ तथा उनसे सही उत्तर देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है। यदि माननीय सदस्य को उत्तर से सन्तुष्टि नहीं होती है और वे कुछ ब्यौरे चाहते हैं तो वे एक अलग नोटिस दे सकते हैं, और वे ब्यौरे उन्हें दे दिए जायेंगे।

Shri Sheo Narain : Government is answerable to Parliament. A member of Parlia-

ment has every right to ask any question from Government, and Government should answer to those questions.

I want to know the total value of the goods imported. Have you got a correct answer to this question, if so, are you prepared to place that on the table of the House ?

Shri B. R. Bhagat : I have already replied this question. Now I can tell you again. As I have already said Printing Press Machineris which were imported till the end of December 1968 from U. S. S. R. was worth Rs. 20 lakhs, that imported from Chekoslovakia and from G. D. R worth Rs. 7.69 lakhs and Rs. 76. 12 lakhs respectively.

उत्तरी तथा पूर्वोत्तर सीमाओं पर अग्रिम संचार सम्पर्क स्थापित करना

*362. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की उत्तरी तथा पूर्वोत्तर सीमाओं पर स्थित राडार स्टेशनों व मैदानों पर स्थित हवाई अड्डों तथा वायु सेना मुख्यालय के बीच अग्रिम संचार सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध इलेक्ट्रानिक फर्मों से टेंडर मांगे हैं ;

(ख) क्या टेंडर की एक शर्त यह भी थी कि प्रतिरक्षा अधिकारियों का संतुष्ट होना आवश्यक है ;

(ग) कितनी तथा किन-किन फर्मों ने इस कार्य के लिए टेंडर भेजे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कोई टेंडर स्वीकार किया है और यदि हाँ, तो कितनी राशि का तथा क्या यह टेंडर सबसे कम राशि का था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) जी हाँ। उत्तरी तथा पूर्वी सीमाओं पर रक्षा अधिकरणों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आधुनिक ट्रापोस्केटर संचार प्रणाली की स्थापना के लिए चुनी गई विदेशी तथा भारतीय एजेंसियों से पेशकशें माँगी गई हैं। रक्षा अधिकरणों को उन्हें पेशकश किए गए साजसामान की उपयुक्तता के संबंध में सन्तोष देने के लिए टेंडर आवश्यक है। यह पेशकशें अभी प्राप्त नहीं हुई।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : इससे पहले कि मैं कोई अनुपूरक प्रश्न करूं क्या मन्त्री महोदय मेरी इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे ? भारतीय तथा विदेशी फर्मों से टेंडर मांगे गये हैं। टेन्डर भेजने के लिए समय की सीमा क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारतीय तथा विदेशी फर्मों से भी टेन्डर मांगे गये हैं। मैंने उनके प्रश्न के दूसरे भाग को नहीं समझा है······

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मैंने पूछा है कि टेन्डर देने की समय सीमा क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो कुछ महीने पहले है। मैं सही तिथि तो बता नहीं सकता। टेन्डर प्राप्त होने से पहले दो या तीन महीने लग जायेंगे।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि भारतीय तथा विदेशी फर्मों से टेन्डर (ऑफर्स) मांगे गये हैं लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि वे कब मांगे गये थे और उन्हें भरने की समय सीमा क्या है। प्रतिरक्षा मन्त्री इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर तथा पूर्वोत्तर खण्ड में प्रतिरक्षा संचार व्यवस्था का न होना भी एक मुख्य कारण था जिससे 1962 में हमें चीनी आक्रमण का कटु अनुभव हुआ। इसके बाद भी प्रतिरक्षा मन्त्री ने इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये कुछ नहीं किया। पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने प्रतिरक्षा सम्बन्धी कोई उपाय नहीं किये हैं।

वर्ष 1962-63 के पश्चात् ऐसा निर्णय लिया गया था कि माइक्रोवेव तथा ट्रॉपोस्केटर के आधार पर प्रतिरक्षा संचार व्यवस्था के लिये कुछ किया जाना चाहिए और इस बारे में विभिन्न विदेशी विशेषज्ञों की राय ली गई थी। यहां तक कि अमरीकी सैनिक अधिकारी तथा ब्रिटेन के एक आर्मी मेजर जनरल श्री हन्ट ने विशेष रूप से कहा था कि देश के उत्तरी तथा पूर्वोत्तर खण्ड को विदेशी आक्रमरग से बचाने के लिये भारत सरकार को प्रतिरक्षा संचार व्यवस्था के लिये यह विशेष उपाय करना चाहिए। क्या मन्त्री महोदय इस बात को मानते हैं कि हमारे देश के उत्तर तथा पूर्वोत्तर खण्ड में वास्तव में विदेशी आक्रामकों के हवाई हमले हो सकते हैं और यदि हां तो देश की सुरक्षा के लिये उन्होंने तुरन्त बचाव के क्या उपाय किये हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल में प्रकाशित समाचारों के अनुसार भी, चीनी लोग समस्त पूर्वोत्तर खण्ड में भारी संख्या में अपनी सेना तथा साज-सामान का जमाव कर रहे हैं, क्या कारगर उपाय किये गये हैं ?

दूसरी बात, माइक्रोवेव; ट्रॉपोस्केटर तथा संचार व्यवस्था कब क्रियान्वित की जायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहाँ तक पूर्वोत्तर खण्ड में ट्रॉपोस्केटर व्यवस्था का सम्बन्ध है, हम इसे अमरीका से प्राप्त करने की आशा कर रहे थे लेकिन जैसा कि सभा को विदित है पाकिस्तान के साथ 1965 संघर्ष के पश्चात् अमरीका ने विभिन्न किस्मों के उपकरणों की जिसमें संचार उपकरण शामिल हैं, सप्लाई बन्द कर दी थी। उसके बाद हमने इसे फिर उठाया है और हमें आशा है कि हम इस उपकरण को वहां लगायेंगे।

जहाँ तक टेन्डर आदि मांगने की तारीख का सम्बन्ध है, टेन्डरों के अलग-अलग मामले होते हैं और हमने इस सभा में हमेशा इस प्रथा का अनुसरण किया है कि किसी विशेष सौदे का जो वाणिज्यिक स्वरूप का हो, ब्यौरा दिया जाता है। हम आमतौर पर टेन्डर की तारीख नहीं बताते हैं। हमें तारीखों आदि के बजाये सिद्धान्त की ज्यादा चिन्ता होनी चाहिए।

जहाँ तक पूर्वोत्तर खण्ड को संरक्षण देने का सम्बन्ध है, यह एक महत्वपूर्ण मामला है और हम इसे बहुत अधिक महत्व देते हैं और यही कारण है हम ट्रॉपोस्केटर व्यवस्था कायम कर रहे हैं। हमने आवश्यक उपकरण वायु मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों पर लगा दिये हैं। इस व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के लिये वे केवल कुछ स्थानों पर लगाने बाकी हैं और इस संचार व्यवस्था का विकास करना आवश्यक है। इस बात को दिमाग में लाना ही ठीक नहीं है कि हम पूर्वोत्तर खण्ड के प्रति सावधानी नहीं बरत रहे हैं। हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या बी० ई० एल० इस ट्रॉपोस्केटर रिले रिसिविंग व्यवस्था सम्बन्धी उपकरण लगा सकता है और यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री उसे यह जिम्मेदारी सौंपेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने बी० ई० एल० तथा आण्विक ऊर्जा विभाग से टेन्डर के प्रत्युत्तर में अपने कोटेशन देने को कहा है। एक तकनीकी दल द्वारा उसका अनुमान लगाये जाने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकता है कि बी० ई० एल० अथवा आण्विक ऊर्जा विभाग इस काम को कर सकते हैं अथवा नहीं। यदि इनमें से कोई अथवा ये दोनों मिलकर इस काम को कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन फिर भी अत्यधिक आधुनिक तौर-तरीकों तथा कुछ अत्यधिक आधुनिक चीजें हो सकती हैं जिनका हमें विदेशों से आयात करने की आवश्यकता पड़े और आवश्यकता पड़ने पर हम जरूर उनका आयात करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस बात की सराहना करते हुए कि प्रतिरक्षा मंत्रालय आधु-

निक उपकरणों के साथ संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये कार्यवाही कर रहा है, क्या मन्त्री जी को मालूम है कि हमारे पास आज जो 'राडार' है, दुश्मन के जहाजों को मालूम करने की उसकी क्षमता केवल 50 मील की दूरी है और न कि जब वे दुश्मन के राज क्षेत्र से उड़ते हैं ? क्या सरकार को इस कमी की जानकारी है और यदि हां तो क्या उसे दूर किया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस दूरी की पुष्टि नहीं करूँगा। यह बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि उस स्थान विशेष से जहां राडार लगा है, माइलेज एक साक्षेप शब्द है। यह उस वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है जिसका पता लगाना है। इसलिये ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। वे 15 मील से अधिक दूरी पर विमानों अथवा अन्य चीजों का संकेत नहीं देते हैं। हमारे पास ऐसी राडार व्यवस्था है जो बहुत दूरी के वस्तुओं का संकेत देती है, हाल में हमने राडार संचार व्यवस्था में काफी अधिक सुधार कर लिया है और उनकी जहां-जहाँ आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति कर दी गई हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह बात कहां तक सच है कि हमारे राडार में पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में 250 मील की दूरी पर 30,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ने वाले एक जहाज का पता केवल 50 मील की दूरी पर से लग सकता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह जानकारी सही नहीं है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस बात को देखते हुए कि देश में संचार सुविधाएं बहुत कम हैं और टेलीफोन ट्रंककॉल तथा अन्य डाक व तार सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं और हमारे पिछड़े तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में इन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि उनका मुख्यालयों से निरन्तर संचार सम्बन्ध बना रहे, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इन क्षेत्रों के लिये इलैक्ट्रोनिक उपकरणों सम्बन्धी कुल आवश्यकता का कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो क्या आण्विक ऊर्जा आयोग अथवा बंगलौर स्थित एल० आर० डी० ए० संस्था अथवा बी० ई० एल० जैसे भारतीय प्राधिकरणों के इस सर्वेक्षण से सम्बद्ध किया गया था ? क्या सरकार का विचार सभी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्माण भारत में करने का है, क्या मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि कितनी मात्रा में उपकरण देश में उपलब्ध हो जायेंगे और कितनी मात्रा में बाहर से मंगाने पड़ेंगे और क्या इस जैसे महत्वपूर्ण मामले में किस्म को सर्वोच्च बरीयता दी जायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : चूँकि ये प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते तथापि माननीय सदस्य के उत्साह को देखकर मैं इनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा।

जहाँ तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, हमने सर्वेक्षण किया है और उसमें विभिन्न संस्थाए जिनका उन्होंने उल्लेख किया है सम्बद्ध की गई थीं और हमने आवश्यकताओं का विशेषतः प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूरा अनुमान लगाया है और जहां हमें कमियाँ दिखाई दी हैं उन्हें पूरी करने के लिये निश्चित पग उठाये जा रहे हैं।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे इलैक्ट्रोनिक उद्योग ने भूतकाल में काफी अच्छी प्रगति की है और भाभा समिति के प्रतिवेदन में जिस प्रगति की कल्पना की गई है उसे न्यूनाधिक मात्रा में बनाये रखा जा रहा है। देशी तथा विदेशी उपकरणों की उपलब्धि तथा आवश्यकता के बारे में मैं इतनी जल्दी आँकड़े नहीं दे सकता, यदि माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी चाहें तो वह एक अलग प्रश्न रख सकते हैं।

Shri P. L. Barupal : I want to know the number of radars to be imported from abroad as also the number and capacity of such radar, as would be manufactured indigenously. Keeping in view the previous attacks and the strategic importance of Rajasthan bor ers, may I know any special steps are being taken with regard to Barmer, Jaisalmer and Ganganagar ?

Shri Swaran Singh : We shall fight it back if there is an attack.

Securing Release of Dr. Mascarenhas

+

*363. **Shri Ram Gopal Shalwale** :
Shri Brij Bhushan Lal :
Dr. Sushila Nayar :
Shi Beni Shanker Sharma :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the demand made by Shri Mohan Ranade to the effect that effective efforts should be made without any delay to secure the release of Dr. Mascarenhas imprisoned in Portugal ; and

(b) if so, the steps taken in this connection and the results thereof ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) आज कई सालों से सरकार विभिन्न मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से डा० मसकेरेनहस को रिहा कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जैसा कि सदन को याद होगा सरकार ने श्री मोहन रानाडे के लिए इसी तरह जो प्रयत्न किए थे वे अंततः सफल हुए थे और श्री रानाडे पुर्तगाली जेल से रिहा कर दिए गए थे। आशा है कि इसी तरह डा० मसकेरेनहस को रिहा कराने की सरकार की कोशिशें भी सफल होंगी।

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Deputy Speaker, Sir, 70 years old Dr Mascarenhas is one of those freedom-fighters who tried their best for the liberation of Goa with Shri Mohan Ranade. May I know whether the Government of India, while conceding the request made by the Government of Portugal pertaining to the release of 4 thousand prisioners of that country in 1962, imposed any condition regarding the extradition of the patriots of our country or they were surrendered to the Government of Portugal categorically ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the House is well aware of what actually happened at that time. We released their soldiers but at that time it was not thought considerable to compare this matter with the release of the soldiers.

Shri Ram Gopal Shalwale : Why was it not compared with ? Mr. Deputy Speaker, Sir, it is quite strange. May I know whether it is not incumbent upon the Government to make free the Indian patriots who have been undergoing suffering in the jails of Portugal ?

Secondly, may I know the number of Indian patriots, other than Dr. Mascarenhas who have been suffering from the indignation in the vermin infested cells. What attempts have been made to release them ? May I know the time by which they will be freed ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir the matter was discussed in the House previously. The war prisioners are dealt with under different laws which are not applicable to the release of the political prisoners. The Government made every effort to secure the release

of these political prisoners and we are happy that some of them have been released also. We have been trying our level best to secure the release of the remaining persons. So far as the second question put by the hon. Member is concerned it is not possible for us to submit a correct figure regarding the total number of the political prisoners belonging to the different countries in Portugal. But so far as the number of the political prisoners who are of Indian origin, is concerned the information in this regard have already been given by me. The attempts being made by the Government pertaining to secure the release of Dr. Mascrenhas and others have also been indicated in the House.

Shri Ram Gopal Shalwale : I have asked about the total number of the prisoners alongwith their names. May I know the reason for not making attempts to know this thing. I think the question is quite simple.

Shri Dinesh Singh : I have just mentioned about it. One of them is Dr. Mascarenhas.

Shri Ram Gopal Shalwale : And who are the others ? A clear reply should be given.

श्री रंगा : इस घटना को हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इन वर्षों के अन्तर्गत सरकार ने इस सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिये किसी न किसी एजेंसी या माध्यम से सम्पर्क स्थापित किया ही होगा। मैंने श्री रानाडे का भाषण सुना था जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रौस के व्यक्ति भी हमारी सहायता करने के इच्छुक थे। किन्तु सरकार आज भी यह कैसे कह सकती है कि उसे इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है ? अजीब बात है कि सरकार को न तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की संख्या मालूम है तथा न उसे यही मालूम है कि पुर्तगाल में उन्हें किस जेल में रखा हुआ है। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि उनके लिये यह बताना कठिन है कि हमारे व्यक्तियों की संख्या क्या है क्योंकि उन्हें कई स्थानों पर रखा गया है। क्या इस उत्तर को एक उत्तरदायी व्यक्ति का उत्तर माना जा सकता है अथवा क्या हमें कुछ अधिक व्यौरा इस विषय में दिया जाएगा ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे खेद है कि आचार्य जी जैसे एक वरिष्ठ सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मैंने वास्तव में कहा यह था कि पुर्तगाल में कुल राजनीतिक बन्दियों की संख्या मुझे ज्ञात नहीं है किन्तु जहां तक हमारे देशवासियों का सम्बन्ध है वहां केवल एक व्यक्ति है तथा उसका नाम डा० मसकेरेनहस है—यह मैंने प्रारम्भ में कहा था। कठिनाई यह है कि श्री आचार्य जी की ओर इतना शोर हो रहा है कि वह मेरा उत्तर सुन नहीं पाये।

माननीय सदस्य को भली प्रकार विदित होगा कि हमने बन्दियों को मुक्त कराने के लिये भारी प्रयत्न किये हैं। मैंने यह भी निवेदन किया था कि पुर्तगाल सरकार को इस बारे में मनाना बड़ा कठिन है कि वे इस मामले में न्याय संगति बरतें। सम्भव है कुछ माननीय सदस्य मेरी बात समझ ही नहीं पाये। वास्तव में केवल हम ही नहीं वरन् समस्त विश्व इस बारे में प्रयत्न कर रहा है कि पुर्तगाल अपनी औपनिवेशिक नीति में कुछ न्याय बरते किन्तु इस बारे में सभी असफल रहे हैं। फिर भी हम कुछ उपायों से डा० रानाडे तथा अन्य व्यक्ति को मुक्त कराने में सफल हुये हैं। हमारी उन बन्दियों के प्रति गहन सहानुभूति है। केवल सहानुभूति ही नहीं वरन हम सभी के लिये यह भारी चिंता का विषय है क्योंकि हमारे देशभक्त ऐसी प्रतिक्रियावादी सरकार द्वारा कारावासों में डाल रखे गये हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इस मामले से हमारी भावनाओं को भारी ठेस पहुँची है तथा सरकार इस बारे में हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। हम अनेक मित्र राष्ट्रों से

सम्पर्क बनाये हुये हैं तथा वे राष्ट्र भी पुर्तगाल सरकार से सम्पर्क स्थापित किये हुये हैं। हमने केवल रैड क्रौस ही नहीं वरन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी मिलकर इस बारे में प्रयत्न किया है तथा हम इन प्रयत्नों को जारी रखे हुये हैं। आशा है इन देश भक्तों को पुर्तगाल सरकार से मुक्त कराने में हमें सफलता भी मिलेगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : पुर्तगाल के राजनीतिक क्षेत्र से डा० सालाजार के निकलने के पश्चात सरकार ने किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय सूत्रों के माध्यम से तथा विशेषकर वैटीकन के माध्यम से और पोप के माध्यम से जिसने श्री मोहन रानाडे की रिहायी के बारे में कुछ सहायता की थी पुर्तगाल की नई सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के क्या नये उपाय किये हैं ? डा० मसकेरेनहस की रिहायी के लिये सरकार ने अद्यतन उपाय कौन सा किया है ?

श्री दिनेश सिंह : पुर्तगाल में सरकार बदलने के पश्चात भी मैंने स्वयं एक या दो राजदूतों से इस बारे में प्रश्न उठाया है। इन राजदूतों के समक्ष पहले भी यह प्रश्न उठाये गये थे।

श्री ही० ना० मकर्जी : श्री मोहन रानाडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरी रिहाई में भारत सरकार के प्रयत्न इतने सहायक नहीं रहे जितने कि पोप के। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे में कोई विशिष्ट उपाय कर रही है और क्या वह दिल्ली में पैपल ननसियो से सम्पर्क स्थापित कर रही है अथवा अपने राजदूत को इटली भेज रही है जो वहाँ जाकर विशिष्ट उपाय करेगा तथा चूंकि पोप का भी उल्लेख हुआ है अतः उससे इस तथ्य का भी प्रचार कराया जायेगा जिससे कि डा० मसकेरेनहस की रिहाई भी हो सके ?

श्री दिनेश सिंह : अपने प्रयत्नों का प्रचार करना हमारे लिये कठिन है क्योंकि इससे हमारे प्रयत्नों के सफल होने में बाधाएँ उपस्थित होती हैं। प्रयत्न यही है कि प्रचार को त्याग कर भी अपने कार्य में सफल हो सकें। डा० रानाडे को मुक्त कराने के सम्बन्ध में हमने जो प्रयत्न किये हैं उन्हें सभी जानते हैं। किन्तु फिर भी वह यह सोचें कि उनकी मुक्ति के लिये किसी अन्य ने ही प्रयत्न किये हैं तो उनकी यह धारणा हमारे प्रति अच्छी नहीं है।

Shri Shashi Bhushan : May I know the extent of success achieved by the Government in connection with the efforts made to secure the release of Dr. Mascarenhas through Vaticams ? Secondly, may I know the total number of the countries denying the fact that Goa is an integrated part of India ? May I know whether for that very reason you are not making efforts through the Secretary General of U. N. O. to secure the release of Dr. Mascarenhas ?

Shri Dinesh Singh : No sir. We have also endeavoured to secure his release through U. N. O. Apart from this, efforts have been made to secure his release through other various sources referred above. It is not a fact that we have not made any efforts in this matter through U. N. O.

Shri Shashi Bhushan : How mary nations have denied our sovereignty over Goa ?

Shri Dinesh Singh : This information cannot be given off hand. I think, no country other than Portugal has got any specific objection in this regard. But it is difficult for me to mention the exact number of such countries as have expressed this thing in the legal terms.

Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Mohan Ranade was recognised as Indian citizen and according to the prevailing laws in Portugal in this matter of a mercy petition is used to be tendered after undergoing imprisonment for half of the period but in this case the same was entertained after the expiry of 12 years.

So far as the question of Dr. Mascarenhas is concerned, the Government of Portugal are not prepared to treat him as an Indian citizen. They treat him as a citizen of Portugal. Therefore, the first thing I want to know is whether Our Government have asserted that Dr. Mascarenhas is an Indian citizen.

Secondly, may I know whether efforts were made to get him released through Amnesty International Organisation. When the question of release of Mohan Ranade was referred to the Amnesty International, they were of the view that since there were charges of sabotage and violent activity against him, they cannot do anything in the matter. But there is no such charge against Dr. Mascarenhas. He had been arrested only for political reasons. Therefore, have any efforts been made to get him released through Amnesty International ? If not, will efforts be made in future in that direction ?

Shri Dinesh Singh : I did not want to mention all the names because we have been trying through many sources. But since the hon. Member has referred the name, and there may not be any misunderstanding, I would like to tell the hon. Member that we have tried through Amnesty International also. So far as the question of telling Portugal Government as to Dr. Mascarenhas is a citizen of India or not is concerned, we have explained to them several times that he is an Indian citizen.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने मिश्र की सरकार के द्वारा, जो पुर्तगाल में हमारे हितों की देखभाल करती है, अथवा भारतीय अभिकरणों अथवा किसी अन्य अभिकरण के द्वारा डा० मैस्करनेज की कारागार में अथवा नजरबन्दी में रहने की स्थिति के बारे में अधिकृत जानकारी प्राप्त की है और क्या इनके द्वारा पुर्तगाल की जेलों में—जो खराब हैं—उनकी रहने की स्थिति के बारे में कोई राहत पहुँचाई गई हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने बताया था कि हम अनेक अभिकरणों के द्वारा कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार अब वहां हमारे हितों की देखभाल नहीं करती है। अब यह काम मैक्सिको द्वारा किया जा रहा है और हमें अधिकृत रूप से यह जानकारी मिली है कि डा० मैस्करनेज, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ समय से अस्पताल में हैं और मैक्सिको की सरकार इस बारे में हमारी ओर से अभ्यावेदन करती आ रही हैं।

Shri Bhogendra Jha : The hon. Minister has replied that Government have been trying through international agencies. Is it a fact that the U. N. O. which is one of the most important international Organisations, is still not accepting our domination over Goa, Daman and Diu ? Is it also a fact that Government of U. S. A. and Britain have also not accepted our domination over Goa, Daman and Diu so far ? If so, are Government of India prepared to declare it an unfriendly act on their part ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir, my difficulty is that the same questions which have been replied to many times are asked again and again. So far as U. N. O. is concerned, it had passed a resolution in this regard. How I can explain again to the hon. Member what has happened in it ?

Shri Bhogendra Jha : I have got a written reply from him. Do the American Government accept it or not ? Do the British Government accept it or not ?

Shri Sheo Narain : He has himself said that he has got a written reply. He may please read it.

Shri Bhogendra Jha : My question is do the American and British Government accept our domination ? If not, are our Government prepared to declare it an unfriendly act ? Why he is not giving an answer to it ?

Shri Dinesh Singh : The hon. member has just said that he has received a written reply to it. Therefore there is no question of not giving any reply. Every question will be answered.

Shri Bhogendra Jha : I require your protection, Sir. Why he is not giving the reply ? Has he made a promise there in America ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न के क्षेत्राधिकार से बाहर था। फिर भी मैंने उन्हें अनुमति दे दी थी और मंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं। अब, श्री मनु भाई पटेल।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Deputy Speaker, Sir. I have asked this question thrice. I want an answer.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और उत्तर दे दिया है। मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये मजबूर नहीं कर सकता कि वह वही कहें जो आप चाहते हैं।

Shri Bhogendra Jha : He should atleast give some answer.

श्री मनु भाई पटेल : श्रीमान्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से पुर्तगाल में भारतीय बंदियों की संख्या के बारे में संदेह उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ केवल डा० मैस्करनेज हैं। परन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है "हम उनकी रिहाई के लिये समस्त स्त्रोतों के द्वारा कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने यहां बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या डा० मैस्करनेज के अलावा पुर्तगाल में बंदियों के रूप में कुछ अज्ञात स्वयं-सेवक भी हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे खेद है कि मुझे यह याद नहीं है कि मैंने यह कहा है कि "हम उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं।" जहाँ तक आज की स्थिति का सम्बन्ध है, यह केवल डा० मैस्करनेज के बारे में है। श्रीमान्, उस ओर के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने आज पहिले भी एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि पुर्तगाल को छोड़कर हमें और किसी सरकार के बारे में पता नहीं है जो गोआ को भारत का अंग नहीं मानती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Allocation of Fund for U. P. During Fourth Plan

*364. **Shri Ram Charan** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate provision of funds, as demanded by Uttar Pradesh Government, has not been made in the Fourth Five Year Plan for the State ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the break-up of the amount demanded, item-wise, and the amount earmarked ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : Against an outlay of Rs. 1350 crores proposed by the State Government, an outlay of Rs. 951 crores has been recommended by the Planning Commission on the basis of the available resources.

(c) A statement is placed on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1543/69)

त्रिपक्षीय व्यापार समझौता

*365. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**　　　　**श्री एम० एस० ओबराय :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, बल्गारिया और ट्यूनीसिया ने हाल में एक व्यापारिक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत से निर्यात की जाने वाली तथा भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं का व्यौरा क्या है ;

(ग) भारत द्वारा अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि क्या है ;

(घ) क्या ऐसे समझौते अन्य देशों के साथ भी किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और उसका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने बल्गारिया तथा ट्यूनीशिया के वाणिज्यिक संगठनों के साथ मार्च, 1969 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया था ।

(ख) इस समझौते के अनुसार भारत ट्यूनीशिया को चाय, काली मिर्च, सूखी बैटरियों आदि का निर्यात करेगा और बल्गारिया से यूरिया का आयात करेगा ।

(ग) इस समझौते से अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में 340 लाख रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जिसका प्रयोग बल्गारिया से यूरिया आयात करने के लिये किया जायेगा ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-जापान संयुक्त-उपक्रम

*366. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने इस सम्बन्ध में रुचि प्रकट की है कि विपक्षीय प्रयोजनों के लिये भारत के साथ आर्थिक सहयोग किया जाये तथा अन्य देशों में पारस्परिक हित के संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जायें ;

(ख) क्या इसके कोई ठोस परिणाम निकल सकते हैं तथा पारस्परिक लाभ की वह विशिष्ट परियोजनायें क्या हैं जिनको दोनों देशों ने आरम्भ किया है अथवा जिनको आरम्भ करने के लिए बातचीत चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : भारत के अनुरोध पर मार्च, 1969 में जापान से एक उच्च स्तरीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल भारत आया । वह भारत में औद्योगिक आधार के विस्तार से प्रभावित हुआ और उसने हमारे देश की औद्योगिक सम्भावव्यता की काफी प्रसंशा की । उसने यह भी अनुभव किया कि पैट्रो-रसायन, इलैक्ट्रानिक उद्योग आदि जैसे चुने हुए क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकर भारत-जापानी सहयोग

की तथा तीसरे देशों में विकास परियोजनाओं के लिए दोनों देशों के उद्योगपतियों के बीच कारगर सहयोग की गुंजाइश है ।

दोनों देशों के गैर-सरकारी उद्यम इस समय भारत में भारत-जापान उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु लगातार बातचीत कर रहे हैं। इनमें जापानी उद्यमों के साथ तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं ।

नागाओं के लिये चीन में छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण

*367. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक छिपे विद्रोही नागा चीन में छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनमें से बहुत से नागा प्रशिक्षण लेकर भारत वापस आ चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने नागा वापस आ चुके हैं और कितने अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं ;

(ग) वापस आये हुये नागाओं तथा प्रशिक्षण पा रहे नागाओं का किस तरीके से सामना करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) ऐसे कई इंगित हैं कि भूगर्भगत नागाओं की संख्या कि जो आयुध और प्रशिक्षण पाने के लिए चीन गए थे पहले अनुमानित 4000 से कम हो । तदपि, इसे अब प्राप्य सूचना की रोशनी में पुन: चेक किया जा रहा है । उनमें से लगभग 900 के नागालैंड में वापिस लौटने का अनुमान है ।

(ग) सुरक्षा सेनाएं चीन को जाने वाले और वहां से लौटने वाले भूगर्भगत नागाओं की गतिविधि को रोकने के लिए तथा आयुधों सहित चीन से लौट चुके व्यक्तियों को पकड़ने के लिए उनकी तलाश और ढूंढ निकालने की सक्रियाओं में प्रवृत हैं । अपनी संक्रियाओं के दौरान सुरक्षा सेनाओं ने आयुधों सहित 247 व्यक्तियों को पकड़ा है, और 8 सुरक्षा सेनाओं से झड़पों में मारे गए हैं । और 11 ने अपने आपको सुरक्षा सेनाओं के हवाले कर दिया है । पकड़े गए सेविवर्ग कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिये असैनिक अधिकरणों को सौंप दिए गए हैं ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

*368. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्थापना से अब तक किये गए कार्य का ब्यौरा तथा स्वरूप क्या है ;

(ख) उसके द्वारा कितनी मिलों का निरीक्षण किया गया, उन मिलों के नाम क्या हैं तथा किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या सिफारिशें की गईं अथवा क्या निष्कर्ष हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है :—

(1) दस मिलों के बारे में प्रधिकृत नियंत्रकों के विस्तृत प्रतिवेदनों की जांच की गई है

तथा सूती कपड़ा कम्पनी अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत यह सिफारिश की गई है कि उनके बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की जाये;

(2) 19 मिलों के बारे में जांच समितियों के प्रतिवेदनों की जांच की गई है और सरकार को उचित सलाह दी गई है।

(3) 5 मामलों में, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत, अपने निदेशकों के माध्यम से जांच करने में सहायता दी गई हैं;

(4) सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के 3 सूती कपड़ा समवायों के आवेदन पत्रों का अध्ययन करने में अपने निदेशकों के माध्यम से सहायता दी गई हैं;

(5) निम्नलिखित के प्राधिकृत नियंत्रकों को ऋण दिया गया है; (1) न्यू मानेकचौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड अहमदाबाद (12.75 लाख रुपये) और श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी (5 लाख रुपये)।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशकों ने जांच समिति के सदस्यों के रूप में अथवा जांच समिति के प्रतिवेदनों की जांच करने के सम्बन्ध में अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन मिलों के प्राधिकृत नियंत्रकों के प्रतिवेदनों की जांच करने के सम्बन्ध में, अब तक 21 मिलों का दौरा किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर

(2) आर० एस० आर० जी० मोहता स्पिनिंग एण्ड वीवींग मिल्स लिमिटेड, अकोला

(3) प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अमलनेर

(4) न्यू भोपाल टैक्सटाइल लिमिटेड, भोपाल

(5) स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, इंदौर

(6) हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जेन

(7) मॉडल मिल्स लिमिटेड, नागपुर

(8) महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, बियावर

(9) श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी

(10) बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनंदगांव

(11) इण्डिया युनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई

(12) इन्दौर मालवा युनाइटेड मिल्स लिमिटेड, इन्दौर

(13) हिमा भाई मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद

(14) श्री रंगविलास जिनिंग, स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड कोयम्ब

(15) कम्बोडिया मिल्स लिमिटेड कोयम्बटूर

(16) न्यू मानकचौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद

(17) न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर

(18) अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद

(19) दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई

(20) कन्नौर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, माही

(21) न्यू कर्मशियल मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सिफारिशों के आधार पर, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत तीन मिलों के प्रबन्ध को अपने अधीन कर लिया गया है। एक मिल को खत्म करने के लायक समझा गया है। चारों मिलों के बारे में यह समझा गया है कि वे आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद एकक नहीं बन सकते हैं और इसी लिये उनके बारे में कोई भी कार्यवाही न करने का निर्णय किया गया है। दो मिलों में इस बीच काम आरम्भ हो गया है और इसीलिये किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। अन्य मिलों के बारे में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

भारत विरोधी चीनी प्रचार को रोकने में असफलता

*369 **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान और चीन अनेक माध्यमों द्वारा भारत तथा विदेशों में भारत के विरुद्ध प्रभावकारी प्रचार करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास तथा अन्य भारतीय प्रचार एजेंसियां भारत विरोधी इस प्रचार का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं और भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में असफल रही हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रचार का मुकाबला करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यह सत्य है कि पाकिस्तान और चीन अपने-अपने अखबार और रेडियो द्वारा साथ ही साथ विभिन्न देशों में स्थिति अपने मिशनों की पत्रिकाओं द्वारा भी भारत के विरुद्ध प्रचार करते रहते हैं।

(ख) जी नहीं। विदेश स्थित हमारे मिशनों को भारत के विरुद्ध पाकिस्तान और चीन के किसी भी प्रचार अभियान का सामना करने के लिए पूरे तथ्य प्रदान किये जाते हैं और भारतीय दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढग से रखने के लिए हर अवसर का उपयोग किया जाता है।

(ग) भारत विरोधी प्रचार की बदलती हुई प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए सदा नयी-नयी सामग्री हमारे मिशनों को प्रदान की जाती है। जब जरूरत होती है, मिशन प्रमुख सरकार के नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों से, जिन देशों में वे प्रत्याशित हैं, मिलते रहते हैं और भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

*370 **श्री जय सिंह** : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों की क्रियान्विति पर नजर रखने के लिये भूतपूर्व उप-मन्त्री के मार्गदर्शन में, जो इस पद पर आने से पहले आयोग के अध्यक्ष थे, वित्त मंत्रालय में एक विभाग स्थापित किया जाये;

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश स्वीकार न किये जाने तथा इसके स्थान पर यह कार्य करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय को कहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिये कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें कहाँ तक क्रियान्वित की गई हैं, सरकार का विचार बाद में यह कार्य एक संसदीय समिति को सौंपने का है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) : 'भारत सरकार की शासन-व्यवस्था और कार्यविधि' संबंधी रिपोर्ट मे प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया था कि आयोग की रिपोर्टों पर कार्रवाई करने और स्वीकृत सिफारिशों पर अमल की देखभाल करने में उप प्रधान मन्त्री को सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में, न कि वित्त मंत्रालय में, एक विशेष कक्ष खोला जाए ।

(ख) और (ग) : इस रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है ।

चौथी योजना में धन का नियतन

*371 **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों के लिये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने कितने धन की व्यवस्था करने की माँग की है ; और

(ख) मांगी गई धन राशि में से सरकार ने कितनी कटौती की है; और इसके क्या कारण है ?

प्रधान, मंत्री वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : स्थिति को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । कटौती का मुख्य कारण समस्त रूप से संसाधनों की बन्दिश है ।

"चौथी योजना में धन का नियतन" के बारे में श्री श्रीचन्द गोयल द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1969 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर में लोक सभा पटल पर रखा गया विवरण ।

(करोड़ रुपये)

राज्य	चौथी योजना (1969-74)		
	राज्यों के/संघशासित प्रदेशों के प्रस्ताव	स्वीकृत परिव्यय	कटौती स्तम्भ 1-2
1. पंजाब	325.00	271.40	53.60
2. हरियाना	262.00	190.19	71.51
3. हिमाचल प्रदेश	235.60	94.40	141.20
4. चंडीगढ़	21.04	7.50	13.54

Rehabilitation of Ex-Servicemen

*372. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the scheme formulated by Government to rehabiliate the ex-service men ;

(b) the number of Army Officers and soldiers who retired last year and out of them the number of those who have been resettled ;

(c) whether it is a fact that State Government are not taking remedial measures in this regard ; and

(d) the steps Government propose to take to rehabilitate them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (d) : 560 officers and 16,345 JCOs/ORs retired in 1968, while 82 officers and 14,311 ex-servicemen were resettled in civil jobs during the same year. The scheme/measures which have been undertaken by the Central and the State Governments for the rehabilitation of ex-servicemen are briefly outlined in the statement which is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1544/69)

वैज्ञानिक और बुनियादी अनुसंधान के लिये पृथक योजना

*373. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैज्ञानिक और बुनियादी अनुसंधान के लिये पृथक् योजना की व्यावहार्यता पर, जिसकी बहुत समय से आवश्यकता थी, विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने का है जो चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान हमारी पंचवर्षीय योजना का एक अंग है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, परमाणु ऊर्जा विभाग और शिक्षा तथा युवा सेवाओं का सर्वेक्षण तथा विकास प्रभाग जैसे मुख्य अनुसंधान तथा विकास संगठनों के अन्तर्गत बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान के कार्यक्रमों पर चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अन्तर्गत पृथक से विचार किया गया है। कृषि, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और खनिज आदि क्षेत्रों में भी कई अनुसंधान कार्यक्रम हैं और ये चौथी योजना प्रारूप के दस्तावेज में इन क्षेत्रों से संबंधित अध्यायों के अन्तर्गत आते हैं। जहाँ तक समस्त समन्वय तथा अनुसंधान व विकास का सम्बन्ध है वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी समिति का 1968 में पुनर्गठन किया गया है। यह समिति सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीतियों को तैयार करने तथा कार्यान्वयन करने में व राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निश्चय करने में सलाह देती है। सारे देश के लिए विज्ञान योजना जैसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

Indian Property in Pakistan

*374. **Shri Narain Swarup Sharma** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Deven Sen :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken by Government so far to get the Indian property located in Pakistan released which was confiscated by the Government of Pakistan at the time of Pakistani aggression of 1965 ;

(b) whether Government have made efforts to get back the Indian property in term of Tashkent Declaration ;

(c) if so, the reaction of Pakistan and U. S. S. R. in this regard ;

(d) whether it is a fact that Pakistan has auctioned or is going to auction the said property ; and

(e) if so, the efforts made to prevent Pakistan from doing so ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) : The Government of India have vigorously pursued with the Government of Pakistan the question of return of properties seized in connection with the 1965 conflict. The Government of India have repeatedly asked Pakistan to hold talks on this question, as agreed to under Article VIII of the Tashkent Declaration. Pakistan has so far shown no desire to engage in such discussions. All friendly countries including the Soviet Union have been kept informed of Pakistan's intransigence in this regard.

(d) Pakistan has auctioned some of the said properties and has issued notices for auctioning some more.

(e) The Government of India have repeatedly asked the Government of Pakistan both orally and in written communications to desist from persisting in their illegal action of dssposing off Indian properties. Pakistan has been warned that India does not recognize any title that Pakistan or a third party might claim to have acquired by such illegal act.

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

*375. **श्री क० लकप्पा** : **श्री ए० श्रीभरन** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 से 31 जून, 1969 तक पाकिस्तान ने कितनी बार वायु सीमा का उल्लंघन किया ;

(ख) गत वर्ष उपर्युक्त अवधि में पाकिस्तान ने कितनी बार उल्लंघन किया था ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) आठ ।

(ख) छः

(ग) पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे गए थे । जम्मू तथा काश्मीर में अन्तरिक्ष क्षेत्र उल्लंघनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को भी शिकायतें भेजी गई थीं ।

Defence Research and Development Organisation

376 **Shri P. M. Sayeed** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Defence Research and Development Organisation, promotions are given according to category of subjects dealt with by various personnel as a result

of which promotion of senior Scientific Assistants and Officers dealing with certain subjects has not been made for the last ten years, while persons dealing with certain other subjects have been able to get promotion within three years ;

(b) whether it is also a fact that there is a great discontentment among the employees dealing with the subjects in which no promotions have been made ; and

(c) whether Government propose to take steps to remove this discontentment and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) (a) to (c) Since the activities of the Defence Research and Development Organisation embrace a number of different disciplines, it is essential that research appointments in the differqent laboratories should be held by scientific peisonnel possessing the appropriate specialist grualifications, In the circumstances promotions in the Defence Science Service up to a certain ade have to be made according to the particular subject groups to which officers are assigned, kbeeping in view their basic specialities. Since the growth of the Research & Development estalishments has not followed a uniform pattern in view of the nature of the demands of the user Services, prospects of promotion in the different subject groups have also not been uniform. It is, however not correct that no promotions have been made in certain subject groups for the last ten years. Certain proposals to introduce a measure of uniformity in the prospects of promotion in different subject groups are, however, under consideration.

"बी ट्विल" बैगों की खरीद

*377. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में कुल कितने 'बी ट्विल" बैग खरीदे ;

(ख) क्या कच्चे पटसन के बाजार मूल्यों में कमी को देखते हुए सरकार ने केन्द्रीय दर जो 200 रुपये प्रति सैकड़ा बोरी है, उसमें कमी कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) इस वर्ष के पहले छः महीनों में 5,63,41,776 रुपये के (जिसमें उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं हैं) 3,84,76,600 अदद स्टैण्डर्ड 'बी' ट्विल बोरे खरीदे गये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 'बी' ट्विल बोरे का मूल्य 200 रुपये सैकड़ा केवल अधिकतम मूल्य है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कपड़ा उद्योग

*378. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 17.5 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा गया था, उसमें से स्वावलम्बी कपड़ा मिलों को सहायता देने के लिए चुनने का मापदण्ड क्या है तथा चुनी हुई कपड़ा मिलों और बन्द कपड़ा मिलों में क्या अन्तर है ;

(ख) वर्ष 1967 में माल का स्टाक 16.6 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक बढ़ जाने तथा

लाभ कम हो जाने के क्या कारण हैं जबकि चालू मिलों में करघे से काम 77.2 प्रतिशत तथा तकले से कताई 68.5 प्रतिशत थी तथा 80 मिल बन्द थी ;

(ग) यदि कपड़ा उद्योग की यह स्थिति रुई के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के कारण हुई है, तो सरकार ने गत दो वर्षों में रुई की खेती के संरक्षण तथा विकास के लिए क्या नए तरीके अपनाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या मिलों की यह स्थिति उपभोक्ताओं द्वारा ऊँचे मूल्यों के विरोध के कारण हुई है और यदि हां, तो विश्व के बाजारों की तुलना में हमारे देश के मूल्य कितने हैं तथा कीमतों की तुलना खाकी कपड़े (ग्रे क्लाथ) को आधार मान कर की जाये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिये 17.5 करोड़ रुपये का जो उपबन्ध किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य सूती कपड़ा कम्पनी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत सरकार द्वारा मिलों के अर्जन, उनके कार्यसंचालन तथा उनका आधुनिकीकरण करने की व्यवस्था करना है। इस धन का उपयोग, सरकार की अनुमति से, उन मिलों की जो कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपने अधीन ली गई हैं, कार्य पूंजी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी किया जा सकता है।

(ख) वर्ष 1967 में कपड़े के स्टॉक हर माह कम व ज्यादा होते रहे हैं, परन्तु किसी भी समय कपड़ा का इतना अधिक स्टॉक जमा नहीं हुआ था, जिसे जरूरत से बहुत ज्यादा कहा जा सके। धागे के स्टॉक के जमा हो जाने का कारण हथकरघों तथा विद्युत चालित करघों के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र से मांग का कम हो जाना था।

(ग) सूती कपड़ा उद्योग की समस्त कठिनाइयों का कारण केवल कपास की कीमत में वृद्धि होना ही नहीं है। फिर भी कपास की खेती में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) पैकेज कार्यक्रमों की योजनाओं को जिनके अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में आवश्यक कृषि उपज को अधिकतम बढ़ाने के लिये सभी आवश्यक कृषि साधनों को जुटाया जाता है और पर्याप्त मात्रा में जल की सप्लाई सुनिश्चित की जातो है, जारी रखा गया है और गहन रूप दिया गया है।

(2) विशिष्ट क्षेत्रों में "सी आइलैंड एण्डरुज" नामक लम्बे रेशे की कपास की अतिरिक्त उपज के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई है।

(3) प्रदर्शन योजनाओं को व्यापक बनाया गया है तथा उनका विस्तार किया गया है।

(4) 1 सितम्बर, 1967 से कपास के मूल्यों पर से नियंत्रण हटा दिया गया था तथा हर वर्ष समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में इनसे पहले दो वर्षों की तुलना में कपास का अधिक उत्पादन हुआ है।

(घ) कपड़ा मिलों की कठिनाइयों का कारण अधिक मूल्यों का उपभोक्ताओं द्वारा विरोध करना नहीं है।

सम्भरणकर्ताओं का गिरोह बनाना

*379. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार और उसके अभिकरणों को उपकरण देने वाले संभरणकर्ताओं में गिरोह बनाने की प्रवृत्ति है ,ताकि वे अपने उपकरणों के लिए अनुमित ऊँचे दाम प्राप्त कर सकें ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में इस प्रकार के किसी प्रयत्न का कोई ठोस उदाहरण लाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए संभरणकर्ताओं के नाम क्या हैं ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सम्बन्धित पूर्तिकर्ताओं की सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1545/69]

(घ) इन पूर्तिकर्ताओं के गिरोह द्वारा जो निर्ख भेजे जाते हैं उन्हें फर्मो से अलग-अलग रूप से बात-चीत द्वारा अथवा गिरोह के बाहर के पूर्तिकर्ताओं द्वारा भेजे जाने वाले न्यूनतम निर्खों के आधार पर प्रतिस्पर्धी प्रस्तावित निर्खों द्वारा प्रतियोगी स्तर पर लाया जाता है। कुछ विशेष मामलों में गिरोह की फर्मों ने सरकार से अपने अनाचरण के लिए क्षमा मांगी है। इन फर्मों के साथ तब तक कोई भी ठेका नहीं किया गया जब तक कि गिरोह टूट नहीं गया।

पाकिस्तान को विभिन्न साधनों से प्राप्त शस्त्रास्त्र सहायता

*380. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री हेम राज :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री र० कृ० बिरला :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में पाकिस्तान को विभिन्न साधनों से कितने शस्त्रास्त्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) पाकिस्तान सरकार के घोषित अमैत्रीपूर्ण रवैये को दृष्टि में रखते हुए भारत के लिए विद्यमान खतरे का सामना करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) गत एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा अधिलब्धियों में शामिल हैं मिराज 3-ई० विमान, अन्तरिक्ष से अन्तरिक्ष, स्थल से अन्तरिक्ष तथा टैंक विध्वंसक मिज़ाइल, मिज्जेट पनडुब्बियां, टी-55 टैंक, 130 एम० एम० गनें, टैंकों तथा आर्टिलरी के लिए गोला बारूद और आर्डनेन्स फैक्टरियों के लिए द्रव्य।

(ख) पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारी द्वारा पैदा हो गई स्थिति के लिए सरकार सजग है, और अपनी सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले संकटों का सामना करने के लिए उपयुक्त पग उठाए जाते हैं।

निपटान विभाग द्वारा सेना की गाड़ियों की बिक्री

*381. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रायः प्रति वर्ष सेना की बहुत बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियां बेकार घोषित की जाती हैं और निपटान विभाग के माध्यम से बेची जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गाड़ियों का विक्रय मूल्य किस आधार पर आंका जाता है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि गाड़ियां उतने मूल्य पर बेची जा सकें जितना मूल्य उनका मिलना चाहिये और वे उचित मूल्य से कम मूल्य पर न बेची जायें ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हाँ ।

(ख) नीलामी द्वारा गाड़ियों की बिक्री के लिए निदेशक-मूल्य इस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि उन गाड़ियों की हालत कैसी है और हाल ही में पिछली बार उसी प्रकार की गाड़ियों की बिक्री से कितना मूल्य प्राप्त हुआ था ।

(ग) समाचारपत्रों और आकाशवाणी आदि माध्यमों से महत्वपूर्ण नीलामियों तथा टैंडरों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाता है । नीलामियां अनुभवी नीलामकर्ताओं द्वारा करवाई जाती हैं, जो पर्याप्त स्थानीय प्रचार की भी व्यवस्था करते हैं । जिम्मेवार सरकारी अधिकारी नीलामी का पर्यवेक्षण करते हैं और इस बात पर नजर रखते हैं कि क्या नीलामी में मिली सब से ऊंची बोली पूर्व निर्धारित निदेशक-मूल्यों की तुलना में उचित है ।

टैंडरों द्वारा गाड़ियों को बेचते समय टैंडरों की सब से ऊंची प्रस्तावित दरें स्वीकार की जाती हैं बशर्ते कि वे हाल ही में पिछली बार इस प्रकार की गाड़ियों से प्राप्त होने वाले मूल्य की तुलना में उचित हों ।

Pakistan Propoganda Against India in U. S. A.

*382. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in order to obtain arms from U. S. A. Pakistan has started virulent campaign on a large scale that the Government of India have given their consent to U. S. S. R. for the establishment of naval and air bases in their territory ;

(b) if so, whether Government have explained their position in this regard ;

(c) whether Pakistan prevailed upon U. S. A. at the meeting of the Central Treaty Organisation held in Teheran for the supply of American arms to her ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b): Pakistan has been indulging in false propaganda against India from time to time. However we are not aware of any such propaganda on a large scale. The Soviet Union has not asked for any bases in India and there is no question of India agreeing to give bases to any foreign country. This policy of India is well known.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

नये आयुध कारखानों में उत्पादन

*383. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ नए आयुध कारखानों में अभी तक पूरी क्षमता से उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उन आयुध कारखानों के नाम क्या हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जब कि सभी नई आर्डनेन्स फैक्टरियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है, अम्बाझारी, चांदा और बरंगांव की आर्डनेन्स फैक्टरियां अभी पूरे उत्पादन तक नहीं पहुँच पाईं ।

आदि में अम्बाझारी तथा चान्दा की आर्डनेन्स फैक्टरियां क्रमशः यू० एस० ए० और यू० के० की सहायता से स्थापित की जानीं थीं, जो 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप नहीं मिल पाई थी; फलस्वरूप यह दोनों फैक्टरियां पिछड़ गई । संयंत्र तथा मशीनों की आवश्यकताएं क्रय द्वारा प्राप्त की जाना पड़ी जिस कारण कुछ विलम्ब हो गया । तदपि, इन में उत्पादन शुरू किया गया है, और क्रमशः बढ़ रहा है । बरंगांव में पूर्ण उत्पादन न पहुँच पाने का कारण है, उपयुक्त प्रापेलेंट, प्राईमरों की प्राप्ति में कई कठिनाईयों, और प्रशिक्षित सेविवर्ग की कमी ।

तिरुचिरापल्ली की आर्डनेन्स फैक्टरी स्माल आम्र्ज के निमार्ण के लिए सहायक फैक्टरी के तौर पर प्रायोजित की गई थी, और अन्य स्माल आर्म्ज फैक्टरियों में उत्पाद का ध्यान करते हुए तिरुचिरापल्ली में उत्पादन का पूरा रेट आवश्यक नहीं समझा गया ।

खान अब्दुल गफ्फार खां को नेहरू पुरस्कार देने का पाकिस्तान द्वारा विरोध

*384. **श्रीमती इला पाल चौधरी : श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खाँ को, जिससे पाकिस्तान सरकार अप्रसन्न है, अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने के निर्णय का पाकिस्तान सरकार ने विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विरोध का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) : जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश

*385. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन में मई, 1969 के अंतिम सप्ताह में जो बातचीत हुई थी, क्या उसमें यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के संभावित प्रवेश के प्रश्न पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किस दृष्टिकोण से ; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला है और इसके परिणामस्वरूप भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापार किस सीमा तक बढ़ जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस विषय पर मई, 1969 के अंतिम सप्ताह में लन्दन में हुई किसी औपचारिक वार्ता का सरकार को पता नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

चाय उद्योग पर दंगों का प्रभाव

*386. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रमिकों द्वारा चाय बागानों के संपदा प्रबन्धक पर किये गये आक्रमण की घटनाओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कई राजनीतिक दल दंगे कराने में रुचि लेते हैं और इस अशांति तथा दंगों के परिणामस्वरूप चाय का उत्पादन घटता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो चाय के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) वहां शांति स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्य श्रम प्रबन्ध विवादों के अतिरिक्त मुख्यतः यूनियनों की पारस्परिक ईर्ष्या के कारण ये दंगे हुए हैं और ये यूनियनें साधारणतया विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं। अनेक चाय क्षेत्रों के सामान्य कार्य पर प्रभाव पड़ा जिससे उत्पादन में कुछ गिरावट हुई है ।

(ग) इस समय यह कहना कठिन है कि इसके परिणामस्वरूप चाय के निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ेगा ।

(घ) इसका राज्य सरकारों से संबंध है ।

केरल की चौथी योजना का प्रारूप

*387. **श्री आदिचन :**　　　　**श्री इ० के नायनार :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के आकार तथा स्वरूप के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को योजना के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत परिव्यय क्या है और राज्य सरकार की मांग से यह राशि कितनी कम है ;

(ग) योजना के अंतर्गत विभिन्न मुख्य कार्यक्रमों में कितनी कटौती की गई है और इस कटौती के कारण किन-किन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा पेश की गई प्रारूप योजना के अंतर्गत वृद्धि दर क्या निर्धारित की गयी थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत इसे प्राप्त करना कहां तक संभव होगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) से (ग) : राज्य सरकार द्वारा 466.75 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के विपरीत योजना आयोग ने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 258.40 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। संसद को अप्रैल 1969 में प्रस्तुत "चौथी पंचवर्षीय योजना-प्रारूप" के पृष्ठ 67-68 में सिफारिश किये गये परिव्यय का क्षेत्रीय वितरण दिया गया है।

(घ) राज्य के योजना प्रारूप में पांच वर्ष की अवधि 1969-74 के दौरान राज्य के समस्त आर्थिक विकास की कोई खास दर नहीं दर्शायी गई है।

सीमेंट का निर्यात

*388. **श्री क० प्र० सिंहदेव : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट का निर्यात मुख्यतः श्रीलंका और फारस की खाड़ी के देशों के साथ किया जाता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन देशों में भी भारत गुंजाइश के अनुसार अपना निर्यात बढ़ाने में पूर्णतः सफल नहीं रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में इन देशों को सीमेंट के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े क्या रहे हैं ; और

(घ) इन देशों को सीमेंट का निर्यात बढ़ाने तथा भारतीय सीमेंट के लिये अन्य मण्डियां खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इन देशों को सीमेंट के हमारे निर्यात वर्ष 1966-67 में 33,000 रुपये के थे जो 1968-69 में बढ़कर 1.52 करोड़ रुपये के हो गये हैं।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें सभी गन्तव्यों को होने वाले निर्यातों के आंकड़े दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 1546/69]

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रयादेश प्राप्त करने के लिए बिक्री दल भेजने के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) सीमेंट के निर्यात में होने वाली लगभग 33 रुपये प्रति मे० टन की औसत अनुमानित हानि निम्नलिखित रूप में पूरी की जाती है :—

(क) विपणन विकास निधि से 25 रुपये तक ;

(ख) भारतीय सीमेंट निगम द्वारा रखे जाने वाले सीमेंट विनियमन लेखे से 6 रुपये प्रति मे० टन तक, और

(ग) सीमेंट का निर्यात करने वाली फैक्टरियों से शेष धन।

(2) सीमेंट के सवेष्टन को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक उन्नत बनाने के लिए सैक क्राफ्ट पेपर के आयात की अनुमति है।

(3) 1 अप्रैल,1969 से सीमेंट का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कर दिया गया है।

कलपक्कम रिएक्टर के निर्माण के लिए फ्रांस के साथ करार

*389. **श्री समर गुह :** **श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने कलपक्कम रिएक्टर के निर्माण के बारे में फ्रांस की सरकार के साथ एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या कलपक्कम रिएक्टर ब्रीडर टाइप रिएक्टर होगा जो भारत तथा एशिया में अपनी तरह का पहला रिएक्टर होगा;

(घ) क्या कलपक्कम रिएक्टर को थोरियम से चलाया जायेगा, और क्या थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मोनाजाइट रेत से निकाला तथा साफ किया जायेगा;

(ङ) कलपक्कम रिएक्टर की तरह के ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण से तथा उसे थोरियम से चलाने से क्या लाभ होंगे ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) "कामिशरेट एल इन्रजी आटोमीक आँफ फ्रांस" के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक में भारतीय अणु शक्ति आयोग को कमिशरेट अपने अनुभवों से सहयोग दे रहा है। परियोजना प्रतिवेदन के तैयार करने तथा संयुक्त अध्ययन के समस्त खर्च को भारत द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) कलपक्कम रिएक्टर ब्रोडर टाइप रिएक्टर होगा जो रूस को छोड़ कर भारत तथा एशिया में अपनी तरह का पहला रिएक्टर होगा।

(घ) रिएक्टर में प्लूटोनियम वाला इंधन इस्तेमाल किया जायेगा, परन्तु रिएक्टर में भारतीय खनिज रेत से साफ किये गये थोरियम का इस्तेमाल भी किया जायेगा।

(ङ) इस परिजना से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक में तथा थोरियम के इस्तेमाल के बारे में अधिकारिक अनुभव प्राप्त होगा। भारत में बड़े पैमाने के अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिये तथा इस समय की अपेक्षा कम खर्च पर अणु शक्ति पैदा करने के लिये ऐसा करना जरूरी है ?

हस्तकलाओं का विकास

*390. **श्री द० रा० परमार :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में हस्तकलाओं का विकास करने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) दस्तकार वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या विशेष व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या दस्तकार-वर्ग के उन युवा प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण सुविधायें देने के प्रबन्ध किये गये हैं जो अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण (अंग्रेजी में) सभापटल पर रखा जाता है।

(घ) और (ङ) : भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं में अन्य बातों के साथ-साथ जाति अथवा क्षेत्र का भेद किये बिना विभिन्न सामाजिक स्तरों के दस्तकार वर्गों के युवा प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। किन्तु दस्तकार वर्ग प्रायः समाज के दुर्बल पक्ष के ही होते हैं।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में कुल 14.52 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से 8 करोड़ रुपये केन्द्र के लिये तथा 6.52 करोड़ रुपये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नियत किये गये हैं। योजना आयोग की चौथी पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास की व्याख्या सम्बन्धी जो पैरा दिया गया है, वह नीचे दिया जाता है :—

"हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सुधरे हुए औजारों की सप्लाई के द्वारा कारीगरों की उत्पादकता को बढ़ाना नये-नये डिजाइनों का प्रयोग आरम्भ करना, किस्मों पर नियंत्रण करना, उत्पादन में वृद्धि करना, शिल्प का संरक्षण करना, शिल्पियी की सहकारी समितियों तथा संघों को बढ़ावा देना और निर्यात तथा अन्तर्देशीय बिक्री को बढ़ाना होगा। उन चुनिंदा शिल्पों के विकास के लिये, जिनकी विदेशी बाजारों में बढ़ती हुई मांग है, विशिष्ट प्रयत्न किये जायेंगे। सुसंगठित एककों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये मौडल केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें बढ़िया किस्म की हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये नये डिजाइनों तथा सुधरे हुए औजारों का इस्तेमाल किया जायेगा। कौशल के संरक्षण हेतु निपुण शिल्पियों द्वारा युवक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। बिक्री को बढ़ाने के लिये नये बिक्री केन्द्र खोले जायेंगे। आशा की जाती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकारी बिक्री केन्द्रों की बिक्री का मूल्य जो कि इस समय लगभग 4 करोड़ रुपये है बढ़ कर 10 करोड़ रुपये और निर्यात का मूल्य 55 करोड़ रुपये से बढ़ कर 73 करोड़ रुपये हो जायेगा।

निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त होने पर सरकारी बिक्री केन्द्रों के लिये उत्पादन हेतु सहायता दी जायेगी। इस उद्देश्य से पर्याप्त रक्षित भंडार बनाने के लिये उन्हें प्रोत्साहन तथा सहायता दी जायेगी।"

कार्यक्रम :—

(1) कामगारों की उत्पादकता में वृद्धि, उनकी आय में वृद्धि तथा उनके काम की शर्तों में सुधार करने ;

(2) कौशल के संरक्षण तथा हस्तशिल्प क्षेत्र में नये व्यक्तियों के प्रवेश को सुचारु बनाने ;

(3) सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने ;

(4) निर्यात तथा अन्तर्देशीय बिक्री का विस्तार करने ;

(5) उत्पादन संगठनों का सुधार करने तथा उत्पादों की किस्मों को सुधारने ;

(6) देहाती क्षेत्रों में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने ; और

(7) शिल्पियों के लिये पूरे रोजगार की व्यवस्था करने इत्यादि गैर उत्पादक व्यक्तियों के लिये विशेषतया देहाती क्षेत्रों में बिना किसी जाति भेद भाव के, रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था करने; से सम्बन्धित हैं।

अमरीकी और रूसी शिष्टमंडलों की भारत की यात्रा

2324. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने अमरीकी तथा रूसी शिष्टमण्डल भारत आये, उनके आने की तारीखें तथा उद्देश्य क्या थे ; और

(ख) अतिथ्य, यात्रा और मनोरंजन के रूप में प्रत्येक शिष्टमण्डल पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा विवाद

2325. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने 'सीली लारन' को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है और भारत-नेपाल सीमा के सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में सीमा निर्धारण के लिए एक नियमित सीमा आयोग की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाया जायेगा और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा इसके प्रस्तावित निर्देशपद क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा

2326. **श्री अदिचन** : **श्री शशिभूषण** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री हाल में इंडोनेशिया गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ किन-किन मामलों के बारे में बातचीत की थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उन्होंने यूरोपीय साफा बाजार अथवा किसी ऐसी संस्था तथा संयुक्त एशिया प्रतिरक्षा के तरीके का एशियाई-आर्थिक करार करने की सम्भावना तथा वांछनीयता पर चर्चा की थी, यदि हां, तो किस संदर्भ में तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या इस बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग तथा पारस्परिक व्यापार के सम्बन्ध में कोई करार हुए हैं; यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ। प्रधान मंत्री ने 28 जून से 3 जुलाई, 1969 तक इन्डोनेशिया की राजकीय यात्रा की थी।

(ख) और (ग) सदन की मेज पर संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति रख दी गई है जिसमें वे विषय बताए गए हैं जिन पर भारत और इन्डोनेशिया के प्रधान मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1547/69]

(घ) अभी तक कोई नए करार नहीं हुए हैं। लेकिन, कुछ प्रस्ताव दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का नीति आयोजन प्रभाग

2327. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के नीति आयोजन प्रभाग के उद्देश्य क्या हैं तथा उसके गठन का स्वरूप क्या है;

(ख) इसके बनाये जाने के बाद से इसके द्वारा क्या काम किया गया है;

(ग) मंत्रालय के अन्य प्रभागों के साथ इसके कार्य का समन्वय करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या सरकार इसके कार्य को संतोषजनक समझती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कार्य में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नीति आयोजन प्रभाग का उद्देश्य है : भारत के दीर्घकालिक हितों की रोशनी में तथा परिवर्तनशील विश्व स्थिति के संदर्भ में विदेशों के साथ भारत के संबंधों के प्रश्न का गहराई से अध्ययन करके सुझाव देना। अभी इस प्रभाग का अध्यक्ष संयुक्त सचिव के स्तर का एक अधिकारी है और एक उप सचिव तथा कुछ अनुसंधान अधिकारी उसकी सहायता करते हैं।

(ख) इस प्रभाग ने भारत की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर कई बार अध्ययन किया है। इस प्रकार का अध्ययन निरंतर होता रहता है।

(ग) अध्ययन करने और नीतिविषयक सिफारिशें करने में यह प्रभाग मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय तथा दूसरे प्रभागों से परामर्श करता है। यह प्रभाग नीति विषयक जो निबंध तैयार करता है, उन पर नीति आयोजन एवं पुनर्विचार समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसके अध्यक्ष विदेश सचिव हैं तथा विदेश मंत्रालय के सभी सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव इसके सदस्य हैं; जब कभी सरकार के दूसरे मंत्रालयों से संबद्ध विदेश नीतियों पर विचार-विमर्श किया जाता है, तो उन मंत्रालयों के सचिव भी उस समिति के सहयोजित एकक बना लिये जाते हैं। इस तरह मंत्रालय में तो विभिन्न स्तरों पर तालमेल किया ही जाता है, सरकार के उन अन्य मन्त्रालयों के साथ भी तालमेल बैठाया जाता है जिनका उस विषय-विशेष से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार हो।

(घ) और (ङ) सरकार समझती है कि इस प्रभाग ने संतोषजनक कार्य किया है। लेकिन, काम के आकार को देखते हुए, इस प्रभाग को और मजबूत बनाने की जरूरत है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

2328. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के उन सदस्य देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं अथवा जिनको भारत ने मान्यता नहीं दी है ;

(ख) ऊपर दी गई दो श्रेणियों में आने वाले देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध किस हद तक हैं ; और

(ग) राजनीतिक बातों को ध्यान में रखे बिना उन देशों के साथ सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने की क्या वांछनीयता हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) निम्नलिखित राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उनके साथ भारत का राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं :—

अल्बानिया, बोत्स्वाना, चेद, मध्य अफ्रीका गणराज्य, फारमोसा (चीन), डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल-साल्वादोर, भूमध्य गाइना, ग्वातेमाला, हेती, होंडरस, आइसलैंड, इसराईल, लिसाथो, निकारागुना, नाइज़र, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्वाज़ीलैंड।

लेकिन, भारत केवल फारमोसा (चीन) को छोड़कर इन सभी देशों को मान्यता देता है।

(ख) इनमें से किसी भी देश के साथ सांस्कृतिक या आर्थिक करार नहीं हुए हैं। उनके साथ हमारा आर्थिक सम्बन्ध बहुत कम है। कुछ अफ्रीकी देशों जो ऊपर की सूची में दिखाए गए हैं, उनके साथ हमारा वार्षिक व्यापार निम्नलिखित सीमा तक है—

(1968-69 के आंकड़े)

बोत्स्वाना	58,000 रुपये।
मध्य अफ्रीका गणराज्य	24,62,000 रुपये।
चेद	1,200 रुपये।
लिसाथो	1,60,000 रुपये।
नाइज़र	12,000 रुपये।
स्वाज़ीलैंड	14, 48,000 रुपये।

(ग) सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धों पर राजनीतिक विचारों से पृथक होकर नहीं विचार किया जा सकता। इसलिए, अधोलिखित देशों के साथ वर्तमान समय में सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धों के क्षेत्र बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।

अल्बानिया, इसराईल, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और फारमोसा (चीन)।

जहाँ तक शेष देशों का प्रश्न है, उनके साथ जब और जैसा संभव होगा, हमारा विचार सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने का है।

मिग विमानों का निर्माण

2329. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मिग विमानों के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) मिग विमान के आयात के लिए भारत को कितना मूल्य चुकाना पड़ता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

प्रतिरक्षा के लिए रेलवे परिवहन सुविधाएं

2330. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हमारे कई प्रतिरक्षा संस्थान मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र तथा विदर्भ के मैदानों में स्थित हैं जिन का परस्पर तेज गतिवाली रेल गाड़ियों से कोई सम्बन्ध नहीं है ;

(ख) क्या देश के इस भाग में प्रतिरक्षा संस्थानों के बीच सुदृढ़ रेल व्यवस्था न होने के कारण हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुँच सकता है, अथवा आपातकाल में हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियों में बाधा पड़ सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिरक्षा संस्थानों के बीच प्रभावी तथा तीव्र रेलवे परिवहन की व्यवस्था करने तथा उन्हें आसपास के मुख्य सैनिक क्षेत्रों के साथ मिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : इस क्षेत्र में रक्षा संस्थानों का कोई विशेष जमघटा नहीं है । इस क्षेत्र में स्थित सभी वृहत् रक्षा संस्थान पहले से रेल द्वारा संबंधित हैं ।

भारत तथा पड़ौसी देशों की साझा मंडी

2331. **श्री गा० शं० मिश्र : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, दक्षिण-पूर्व एशिया, सुदूर-पूर्व आदि के पड़ौसी देशों को भारतीय वस्तुओं और तकनीकी जानकारी का निर्यात करने की दृष्टि से, भारत और उक्त देशों की एक साझा मंडी बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन देशों को आयात करने वाले प्रमुख देश अमरीका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और जापान हैं जो बहुत दूर स्थित हैं, और भारतीय वस्तुएं इन देशों में अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं बशर्ते कि साझा मंडी की स्थिति पैदा की जाये और कर के रूप में, निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क में कमी, ऋण सुविधाओं, सस्ती नौवहन तथा परिवहन सुविधाओं, तकनीकी जानकारी और किस्म नियंत्रण व्यवस्था में इस प्रकार सुधार किया जाये कि यह पश्चिमी देशों से मिलने वाले लाभ के समकक्ष आ सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : इस समय भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के पड़ौसी देशों के बीच साझा मंडी का कोई प्रस्ताव नहीं

है। किन्तु, भारत सरकार इकाफे के सदस्य देशों के मध्य निकट आर्थिक सहयोग बढ़ाने के मार्गोपायों के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। दिसम्बर, 1968 में बैंकाक में तृतीय मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में इस सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे जिनमें समन्वित क्षेत्रीय सहयोग की योजना को सर्वसम्मति से अपनाना भी शामिल है जिसके अन्तर्गत, अन्य विषयों के साथ-साथ, अन्तःक्षेत्रीय व्यापार प्रवाह को बढ़ाना भी है। भारत सरकार इस को क्रियान्वित करने के लिये इकाफे सचिवालय में स्थापित कृतिक बल (टास्क फोर्स) के साथ निकट सहयोग से कार्य कर रही है।

कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) में कर्मचारी भविष्य निधि का आरम्भ किया जाना

2332. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एस० डी० (आई) संगठन को कर्मचारी के भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के क्षेत्राधिकार में लाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस तारीख से ;

(ग) क्या सी० एस० डी० (आई०) ने कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को बम्बई स्थित इ० एस० सी० एफ० संगठन को इस बीच सौंप दिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सी० एस० डी० (आई०) के पास भविष्य निधि की कितनी धनराशि है तथा वह इ० एस० पी० एफ० संगठन उसे कब तक सौंप देगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) : सी० एस० डी० (आई०) एम्प्लाईज़ प्रोविडेंट फण्ड अधिनियम की धारा 17, उपधारा (1) क्लाज़ (क) के अन्तर्गत एम्प्लाईज़ प्राविडेंट फण्ड योजना से मुक्त है। फलतः जमा शुदा प्राविडेंट फण्ड को एम्प्लाईज़ प्राविडेंट फण्ड संगठन को सौंप देने का प्रश्न ही नहीं उठता। 31 मार्च, 1969 को सी० एस० डी० (आई०) के पास प्राविडेंट फण्ड की राशि लगभग 60 लाख रुपये थी।

ई० एन० सी० शाखा के अधीन कार्य करने वाले असैनिक कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति

2333. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इ० इन० सी० शाखा के अधीन विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को विशेषकर सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को, दूसरी श्रेणी के राजपत्रित पदों पर तदर्थ पदोन्नति दी गई थी तथा बाद में, जब उन्होंने राजपत्रित पदों पर दो वर्ष से अधिक समय से कार्य कर लिया था, उनकी फिर तीसरी श्रेणी के पदों पर अवन्नति कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों की वर्षकार तथा श्रेणीवार अवन्नति की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तीसरी श्रेणी के इन कर्मचारियों में अधिकांश कर्मचारी ऐसे थे जो सेवा निवृत होने वाले थे तथा इस पदोवन्नति से उनके पेंशन अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि कर्मचारियों की पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रे० कृष्ण) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया)

2334. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8690 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेन्ट (इंडिया) के कार्य संचालन में कार्यकुशलता लाने के लिए अन्य पांच अध्ययन दलों की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन अध्ययन दलों के निष्कर्षों की एक प्रति, प्रत्येक के सम्बन्ध में सरकार का जो कार्यवाही करने का विचार है, उसके समेत, सभा पटल पर रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अध्ययन दल संख्या 2 की सिफारिशों के सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट का निरीक्षण हो चुका है, और आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएँगे। अध्ययन दल संख्या 3 से 6 द्वारा आवृत्त मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी निरीक्षाधीन है ।

(ख) जी नहीं, इस प्रावस्था पर नहीं ।

गुजरात से जाने वाले हज यात्री

2335. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस वर्ष गुजरात के कितने हज यात्रियों को हज यात्रा की अनुमति दी गयी है ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने इसके लिये आवेदन किया है ; और

(ग) इस वर्ष हज यात्रा के लिये कितनी विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जहाज से 490 और हवाई जहाज से 35, जिनकी कुल संख्या 525 है ;

(ख) 1970 के हज के लिए, समुद्री मार्ग से जाने वाले लोगों के आवेदन पत्रों के पंजीकरण का काम 21 जुलाई, 1969 से ही आरम्भ हुआ है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 8 सितम्बर, 1969 है। हवाई जहाज से जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में आवेदन पत्र लिए जाने का काम नवम्बर 1969 में आरम्भ होगा। गुजरात से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की ठीक-ठीक संख्या, समुद्री मार्ग से जाने वाले लोगों के मामले में सितम्बर 1969 में मालूम होगी और हवाई जहाज से जाने वाले लोगों के मामले में दिसम्बर 1969/जनवरी 1970 में।

(ग) 2,36,25,000.00 रुपए ।

Radars manufactured in India

2336. **Shri Valmiki Choudhary :** **Shri A. Sredharan :**
Dr. Sushila Nayar : **Shri K. Lakkappa :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Radars manufactured in the country so far ;

(b) whether 100 per cent components utilised in them are indigenous and if not, the percentage of foreign components utilised ;

(c) the names of airports at which these Radars have been installed and whether they have been working satisfactorily ; and

(d) the names of other big cities where such indigenous Radars are proposed to be installed ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d) : It is not in public interest to disclose this information.

Issue of Licences for Import of Sheets

2337. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1575 on the 8th May, 1969 and state :

(a) the names, designations and addresses of the parties to whom actual users' licences have been issued, as admissible under the Import Policy in force during the period from the Ist April, 1964 to May, 1969 (Year-wise), and the quota sanctioned to them, gauge-wise and

(b) the names of parties who actually used their quotas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Information is not available. Only bonafide users are given actual users licence in accordance with the policy laid down. In the absence of any complaint, it is presumed that all those who have been granted licences are making use of them.

Manufacture of Radar Epuipment in the Country

2338. **Shri K. M. Madhukar** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is not a fact that the radar equipment manufactured recently in India is less powerful than that of Pakistan or China, and if not, the comparative details thereof ;

(b) if so, the steps taken to make the Indian radar equipment more powerful than that of Pakistan or China ;

(c) whether it is possible for Government to hold talks with the U. S. S. R. or East European countries with a view to further improving the indigenous radar equipment ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) : We have no reason to believe that the radar equipment manufactured in India are inferior to those available to Pakistan and China for similar roles. It is our constant effort to manufacture the most modern equipment which would fulfil our requirements and for this we are prepared to take technical assistance from wherever it is available.

शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों का आयात

2339. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में देश में कितने मूल्य के शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण आयात किये गये ; और

(ख) क्या विदेशी शल्य-चिकित्सा उपकरणों के स्थान पर देशी उपकरणों का प्रयोग हो, इसके लिये सरकार विचार कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1968-69 की अवधि में 1.14 करोड़ रुपये के शल्य चिकित्सा उपकरणों का आयात किया गया ।

(ख) शल्य चिकित्सा उपकरण संयंत्र, नन्दम्बाकम, मद्रास, जो एक सरकारी उपक्रम है, पहले ही कुछ प्रकार के शल्य चिकित्सा उपकरण तैयार कर रहा है और ऐसे अन्य प्रकार के उपकरणों को अधिकाधिक संख्या में तैयार करने की भी उसकी योजनाएं हैं जो नाक-कान-गला, स्त्री रोग विद्या, दन्त-रोग, नाड़ी शल्य चिकित्सा के क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सकों की आवश्यकताओं के अनुकूल हों ।

चंडीगढ़ हवाई अड्डे का विकास

2340. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ हवाई अड्डे का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या चंडीगढ़ के एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित होने की बड़ी सम्भावनायें हैं ; और

(ग) एक असैनिक हवाई अड्डे के रूप में चंडीगढ़ का भविष्य कैसा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) चंडीगढ़ का हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना के विमानों के चलाने के लिये पहले से विकसित किया गया है । इंडियन एयर लाइन्ज़ भी हवाई अड्डे को अपनी शडूल सेवाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं । क्षमता और यातायात की मांग की प्राप्यता के साथ इंडियन एयरलाइन्ज़ द्वारा अतिरिक्त उड़ानें चलाई जाएंगी ।

Import of Raw Silk

2341. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the quantity of raw silk to be imported during the current financial year and the time by which the country would become self-sufficient in silk production ;

(b) whether it is a fact that all the States except Mysore have ignored the schemes of silk production ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry af Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Import of raw silk is permissible only against exports of natural silk fabrics, made-up articles and garments containing 50 per cent of mulberry raw

silk by weight. The quantum of import of raw silk will, therefore depend, upon the quantum of export of such materials.

The country is expected to be self-sufficient in regard to production of raw silk by the end of the IV Plan.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्था का प्रतिवेदन

2342. **श्री राम चरण :**　　　　**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्था द्वारा विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) भारतीयों द्वारा अन्य देशों में उद्योग स्थापित किये जाने के बारे में कितने संयुक्त उपक्रम करार स्वीकृत किये गये हैं तथा उनका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) रिपोर्ट पर, विभिन्न मंत्रालयों की सलाह से, विचार किया जा रहा है ।

(घ) सरकार ने, विभिन्न विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में भाग लेने के लिये विभिन्न भारतीय पार्टियों के 84 प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित किये हैं । इनमें अनेकानेक औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि एसबेस्टस सीमेंट उत्पाद, इंजीनियरी माल, वस्त्र, स्टील रोलिंग, भेषज आदि शामिल हैं । अनुमोदित उपक्रमों का क्षेत्र-वार विवरण निम्नलिखित है :—

अफ्रीका	34
दक्षिणी एशिया	16
पश्चिमी एशिया	7
पूर्वी एशिया	16
प० यूरोप	5
उत्तरी अमरीका	3
वेस्ट इंडीज़ सहित दक्षिणी अमरीका ।	3

Export incentives for Radio Industry

2343. **Shri Brij Bhusan Lal :**　　**Shri Ranjeet Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi :　　**Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :　　**Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1216 on the 26th February, 1969 and state :

(a) whether more export incentives were asked for by the Radio Industry ; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) :

Yes. It has been agreed to increase the cash subsidy from 10 per cent to 20 per cent.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

2344. **श्री एस० आर० दामानी : श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास गत वर्ष कितनी धनराशि थी और उसने उसका कैसे प्रयोग किया ;

(ख) निगम ने चालू वर्ष के लिए क्या प्रस्ताव रखे हैं और उसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) उक्त निधि में मिलों को वित्तीय सहायता देने के बारे में क्या नियम बनाये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 42.50 लाख रु० दिये गये थे जिनमें से 20,61,468 रु० इस प्रकार से खर्च किये गये :—

न्यू मानेकचौक मिल्स कं०, अहमदाबाद को ऋण	12,75,000 रु०
श्री भारती मिल, पांडेचरी को ऋण	5,00,000 रु०
अन्य ऋण तथा पेशगी धन	43,000 रु०
प्रशासनिक व्यय	1,64,746 रु०
योग	20,61,468 रु०

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने चालू वर्ष के वजट में 7.5 करोड़ रु० की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है, जिसके आधार पर 4 करोड़ रु० (2 करोड़ रु० हिस्सा पूंजी तथा 2 करोड़ रु० ऋण के रूप में) की व्यवस्था की गई हैं।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की निधि मुख्यतया उन मिलों के अभिग्रहण, चलाने तथा आधुनिकीकरण करने में उपयोग करने के लिये होती है जिन्हें सरकार, सूती वस्त्र समवाय अधिनियम, 1967 के अधीन अपने हाथ में लेती है। इस निधि का, सरकार की सहमति से कार्यकारी पूंजी, तथा उन मिलों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी उपयोग किया जा सकता है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी प्रबन्ध के अधीन हैं। निगम की निधि में से वित्तीय सहायता देने के लिये नियम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित राशि

2345. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना को तैयार करते समय सम्बद्ध राज्यों को योजनाओं के बारे

में संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, प्रशासकों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों की सलाह ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः कितनी राशि निर्धारित करने की मांग की थी और उन्हें वास्तव में कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ ऐसी योजनाओं का पता लगा है जो बहुत आवश्यक थीं और जिनके पूरा होने पर उन स्थानों के लोगों को बहुत लाभ होता किन्तु जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया, क्या योजना आयोग का उन मामलों को ध्यान में रखते हुए आवंटन के बारे में फिर से विचार करने का प्रस्ताव है ;

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) संघशासित प्रदेशों की, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते समय सम्बन्धित संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों से विचार-विनिमय किया गया था। अनुमान है कि अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते समय संघ शासित प्रदेशों ने स्थानीय प्रतिनिधियों से जरूर विचार-विनिमय किया होगा।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी योजनाओं में उच्च प्राथमिकता की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल कर ली गई हैं।

विवरण

क्षेत्र	जोड़ (लाख रुपये) यथा प्रस्तावित	यथा अंतिमरूप से स्वीकृत
1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1335	1100
2. चंडीगढ़	2103	750
3. दादर तथा नागर हवेली	672	224
4. दिल्ली	38778	15565
5. गोआ, दमन और दीव	6090	3700
6. हिमाचल प्रदेश	23560	9440
7. लकादीव अमिनदीव और मिनिकोय द्वीप समूह	280	196
8. मनीपुर	5190	2800
9. नेफा	2368	1629
10. पांडिचेरी	1842	1200
11. त्रिपुरा	5318	3191
जोड़	87536	39795

प्रागा टूल्स लिमिटेड

2346. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रागा टूल्स लिमिटेड की स्थापना के उद्देश्यों तथा उसके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई है अथवा नहीं ;

(ख) क्या यहां के उत्पादन की तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से की जा सकती है तथा उसकी उत्पादन लागत विदेशी कम्पनियों की उत्पादन लागत के समान है अथवा कम या अधिक है ;

(ग) वर्ष 1965 से यहां कौन सी नई मदों का उत्पादन किया जा रहा है जो कि पहले आयात का जाती थी तथा गत वर्ष प्रत्येक पद के बारे में उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या पिछले वर्ष के दौरान इस कम्पनी के उच्च कार्यकारी पदों में कोई परिवर्तन किए गये थे, यदि हां, तो क्या वर्तमान अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के क्या नाम हैं और उन पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1968-69 के लाभ तथा हानि, बिक्री, लक्ष्य तथा स्टाक आदि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) पराग टूल्स कम्पनी की स्थापना हाई सपीड कटिंग टूल्स तथा नापने के औजार इत्यादि बनाने के लिये 28.5.1943 को गैर सरकारी क्षेत्र में एक ज्वांट स्टॉक कम्पनी के रूप में की गई थी। मशीनी औजार एकक के रूप में इसका विकास करने के लिये वर्ष 1958-59 में केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लिया गया था। इस समय इस कम्पनो में मशीनी औजारों, मशीनी औजारों के सहायक पुर्जों, सूक्ष्म औजारों और ढ़लाई / काटने के औजारों का निर्माण किया जाता है और इस दृष्टि से इस कम्पनी को स्थापित करने के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

उत्पादन तथा विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमियाँ रही है तथा इसका उल्लेख 21 फरवरी 1969 को संसद् में प्रस्तुत सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति, 1968-69 (चौथी लोक सभा) के 25 वें प्रतिवेदन के अध्याय तीन में किया गया है।

(ख) इस कम्पनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्तर और किस्म की तुलना विदेशों में बनी उसी प्रकार की वस्तुओं से की जा सकती है। विदेशी तकनीकी सहयोग से इस कम्पनी में जिन-जिन वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ किया गया है उनकी उत्पादन लागत भी विदेशी उत्पादों की उत्पादन लागत की तुलना में ठीक ही है।

(ग) प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के अतिरिक्त वर्ष 1965 से इस कम्पनी द्वारा केवल (1) पराग जोन्स शिपमैन सर्फेस ग्राइंडरों (2) पराग गैम्बिन मिलिंग मशीनों तथा उनके सहायक पुर्जों, इन तीन नई मदों का जिनका पहले आयात किया जाता था, उत्पादन आरम्भ किया गया है। वर्ष 1968-69 में हुए इन मदों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मद	उत्पादन (किस्म)
(1) **पराग जोन्स शिपमैन सर्फेस ग्राइंडर**	
(क) मॉडल 540 एच (हैंड ओपरेटिड)	8 नम्बर
(ख) मॉडल 540 (हाईड्रालिक)	77 नम्बर
सहायता पुर्जे मूल्य :	5. 38 लाख रुपये

(2) (क) पराग-गैंबिन मिलिंग मशीनें 1 नम्बर

(ख) सहायक पुर्जे मूल्य 0. 11 लाख रुपये

बाजार की माँग को देखते हुए इस वर्ष के दौरान हैंड ओपरेटिड सर्फेश ग्राइंडर के उत्पादन में फेर बदल किया गया था। पराग टूल्स ने वर्ष 1968-69 में पहली बार हाईड्रालिक मॉडल के सर्फेश ग्राइंडरों का उत्पादन आरम्भ किया था।

पराग-गैम्बिन मिलिंग मशीनों का उत्पादन भी वर्ष 1968-69 में काफी दिनों बाद आरम्भ किया गया था और प्रयोगात्मक रूप में केवल एक मशीन तैयार की गई थी।

(घ) गत एक वर्ष के दौरान कम्पनी के प्रमुख अधिकारियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के बारे में, उनके पदधारण की तिथि सहित जानकारी नीचे दी गई है :—

(1) **चेयरमैन** : श्री एन० पी० सेन (प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद)—20.11.1968 से।

(2) **प्रबन्ध निदेशक** : श्री जी० सी० मुकर्जी (भारतीय आयुध कारखाना सेवा)—21.2.1967 से

(3) **सचिव** श्री डी० एस० एम० वी० प्रसाद राव (कम्पनी के कर्मचारी)— 2.9. 1968 से।

(ङ) जानकारी नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

	उत्पादन के लक्ष्य	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
1	मूल	198.02	250.00	254.43	275.36
	पुनरीक्षित	149.44	178.38	182.98	179.64
2	उत्पादन किया गया	153.20	125.56	163.96	170.39
3	लाभ / हानि (+)	3.48	(−)22.01	(−)11.81	* *
4	बिक्री	117.40	148.01	14 .24	157.07
5	इतिस्टॉक (तैयार माल)	40.36	25.69	45.54	* *

* * चूंकि वर्ष 1968-69 के लेखे को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है, इसलिये इस वर्ष के लाभ / हानि तथा इति स्टॉक के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी अनुमान यह है कि कम्पनी को इस वर्ष भी घाटा ही होगा।

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड

2347. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इंडियन रेयर अर्थ को जिस प्रयोजन और लक्ष्यों के लिये स्थापित किया गया था क्या वे पूरे हो गये हैं अथवा नहीं;

(ख) क्या इसके उत्पादन के स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से तुलना की जा सकती है और इसकी उत्पादन लागत विदेशी कम्पनियों की तुलना से अधिक है या कम;

(ग) वर्ष 1965 से इसमें कौन कौन सी नई वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है जिनका पहले आयात किया जाता था;

(घ) प्रत्येक वस्तु के गत वर्ष के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या गत वर्ष कम्पनी की उच्च कार्यकारी पदों में कोई परिवर्तन किये गये हैं और यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं;

(च) उसके वर्तमान अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सचिव के क्या नाम हैं और वे इन पदों पर कब से काम कर रहे हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1968-69 में इसके लाभ, हानि, बिक्री लक्ष्यों और स्टाक आदि के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड ने (1) समुद्र तटीय रेत खनिजों को पृथक करने, (2) थोरियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण और रेयर अर्थस् क्लोराइड के निकालने और (3) उपरोक्त से सम्बन्धित रसायनों के उत्पादन में सफलता प्राप्त की है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) : रुटाइल का, जिसका पहले आयात किया जाता था, 1965 से इस कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन किया जा रहा है । 1968-69 में उत्पादन 1480 मीटरी टन था । कम्पनी प्रयोगशालाओं में परीक्षणों में थोड़ी मात्रा में प्रयोग की जाने वाली रेयर अर्थ थिट्रियम भी अलग कर रही है । 1968-69 में प्रयोक्ताओं को 100 ग्राम थिट्रियम सप्लाई किया गया ।

(ङ) और (च) गत वर्ष में कम्पनी के उच्च कार्यकारी पदों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

कम्पनी के वर्तमान चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और सचिव का विवरण इस प्रकार है :

नाम	जिस तिथि से वर्तमान पद पर हैं
श्री जे० डी० चोक्सी, चेयरमैन	18.8.1950,
कर्नल जी० राजगोपाल मेनन, प्रबन्ध निदेशक	1.1.1962,
श्री पी० मुरलीधरन, सचिव	1.10.1968,

(छ) गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आँकड़ों सहित 1968-69 में लाभ और हानि, बिक्री उत्पादन (लक्ष्य और वास्तविक आंकड़े) और स्टाक दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1548/69]

ऊनी माल के निर्यात लाइसेंसों के बीजकों में अधिक और कम राशि दिखाना

2348. **श्री जय सिंह** : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी माल की निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत बीजकों में अधिक और कम राशि दिखाने का अनियमितताओं और लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी अन्य अनाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा इस प्रकार पकड़े गये मामले किस प्रकार के थे और उनकी संख्या कितनी थी ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी, हां । कतिपय मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ।

(ख) तथा (ग) ये मामले, निर्यात के लिये ऊनी तथा अथवा मिश्रित ऊनी माल के विषय में बीजकों में अधिक राशि दिखाने तथा उनके तत्वों के विषय में गलत घोषणा करने से सम्बन्धित थे । ऐसे मामलों के व्यौरे, उनपर की गई कार्यवाही सहित, एकत्र किये जा रहे हैं ।

इसराइल से व्यापार सम्बन्ध

2349. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 2 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार इसराइल सरकार से व्यापार करार करने के लिये इच्छुक क्यों नहीं है ;

(ख) क्या भारत में गैर-सरकारी फर्मों पर इसराइल के साथ व्यापार करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस देश से व्यापार करने वाले ऐसे लोगों की कुल संख्या क्या है और भारत के व्यापार को इसराइल से बढ़ाने के लिये उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) चूंकि सरकार का इजरायल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का विचार नहीं है, अतः उस देश के साथ कोई व्यापार करार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं ।

(ग) गैर सरकारी व्यापार निर्बाध होने के कारण इस जानकारी का संकलन करना असम्भव है । किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिये सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं ।

भारतीय माल का नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात

2350. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 9 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय माल का नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात करने के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जी नहीं, अभी नहीं । जांच इस प्रकार की है कि इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

पंजाब में औद्योगिक और कृषि विकास के लिए धनराशि का आवंटन

2351. **श्री जय सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह चौथी योजना में औद्योगिक और कृषि के विकास के लिये 25 से 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था करे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए पत्र-व्यवहार का व्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य की योजना के लिये विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित करने की योजना है और विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत राज्य की अलग-अलग मांग क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से इस प्रकार का कोई खास अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) एक विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(करोड़ रुपये)

चौथी योजना परिव्यय

	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई
कृषि कार्यक्रम	52.91	49.19
सामुदायिक विकास तथा सहकार	5.50	5.30
सिंचाई तथा बिजली	181.41	143.28
उद्योग व खान	21.00	16.15
परिवहन व संचार	21.20	15.55
समाज सेवाएँ	41.96	40.98
विविध	1.92	0.95
कुल जोड़	325.00	271.40

Orders not complied with by Chinese Embassy

2352. **Shri Sharda Nand :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Onkar Singh : **Shri Gadilingana Gowd :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the orders of Government which were not complied with fully by the Chinese Embassy in India during the last two years ;

(b) the action taken by Government against the Chinese Embassy in this regard ;

(c) the names of Officers sent back to China from the Chinese Embassy at the instance of Government ;

(d) the charges levelled against them ; and

(e) the special steps being taken by Government to curb the anti-national activities of the Chinese Embassy ?

The Depnty Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Siagh) : (a) The Chinese Embassy in New Delhi has not complied with the Government of India's instructions regarding the routing of the invitations to persons other than the diplomats accredited to the Government of India through the Ministry of External Affairs and the circular instructions relating to the publicity activities by the accredited Missions.

(b) Government have drawn the attention of the Chinese Embassy to their disregard of the Government of India's instructions.

(c) None during the last 2 years.

(d) Does not arise.

(e) Appropriate measures are taken in conformity with international law and practice to safeguard the national interests vis-a-vis all foreign Missions including the Chinese Embassy.

दिल्ली राज्य व्यापार निगम द्वारा किराये पर ली गई इमारतें

2353. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इसहाक साम्भली : **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने दिल्ली में अपने विभिन्न कार्यालयों के लिये कितनी इमारतें किराये पर ली हुई हैं और प्रत्येक इमारत में कितनी जगह किराये पर ली हुई है ;

(ख) निगम प्रत्येक महीने कुल कितना किराया देता है ;

(ग) ये इमारतें कब किराये पर ली गई थीं ;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम की इमारतों के निर्माण-कार्य के लिये भूमि नियत या निर्धारित कर दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है, [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1549/69]

(घ) जी, हां ।

(ङ) मामला राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन है ।

उत्तरी क्षेत्र में प्रतिरक्षा बस्तियों की स्थापना

2354. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्र में (राज्य वार) कितनी प्रतिरक्षा बस्तियां स्थापित की गई हैं या स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) उन बस्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या मकान बनाने के लिए उन्हें भूमि के प्लाट घटी दर पर दिए गए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रे० कृष्ण) : (क) चंडीगढ़, चुरु (राजस्थान) और देहरादून (यू० पी०) में रक्षा कालोनियां स्थापित की गई हैं । हिसार (हरियाणा), जम्मू (जम्मू तथा काश्मीर) और जलंधर (पंजाब) में भी रक्षा कालोनियां स्थापित करना प्रस्तावित है ।

(ख) मकान बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिक कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग भवन योजना से ऋण लेने के अधिकारी हैं, और कई हालतों में, जैसे कि सहकारी समितियों के लिए लागू हैं, प्राथमिकता के आधार पर द्रव्यों के लिए भी ।

(ग) राजस्थान सरकार ने रियायती कीमती पर प्लाट दिए हैं । अन्य हालतों में बिना लाभ हानि के आधार पर भूमि दी गई है ।

अमृतसर को शुष्क बन्दरगाह बनाना

2355. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर को शुष्क बन्दरगाह घोषित करने के बारे में सरकार को कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि अमृतसर को शुष्क बन्दरगाह घोषित करने से अमृतसर के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्तमान बन्दरगाह वैदेशिक व्यापार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं तथा इसके लिये और बन्दरगाहों की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह कहना सम्भव नहीं है कि अमृतसर को शुष्क पत्तन घोषित करने से अमृतसर के निर्यात व्यापार को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा ।

(ग) और (घ) : भारत में विभिन्न बड़े बन्दरगाहों में वर्तमान यातायात को संभालने की पर्याप्त क्षमता है । चौथी योजना के दौरान, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान पत्तनों का और अधिक विकास करने और मंगलौर तथा तुतुक्कुड़ि में नए बड़े पत्तनों का निर्माण करने के कार्यों को भी, आरम्भ किया जायेगा ।

आयुध कारखाने

2356. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में कुछ तकनीकी प्रक्रियायें गोपनीय नहीं होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लघु उद्योगपतियों को उन प्रक्रियाओं को देखने देने और तकनीकी कर्मचारियों से वार्ता करने की अनुमति देने का है ताकि उत्पादन लागत में कमी की जा सके ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विशिष्ट प्रार्थनाओं के विरुद्ध निजी उद्योगों के प्रतिनिधियों को आर्डनेन्स फैक्टरियों के भ्रमण की अनुमति दी जाती है। साधारणतः ऐसी प्रार्थनाएं की जाती हैं, और विशिष्ट स्थानों को देखने की अनुमति दी जाती है, अगर और जब भी संबंधित सामानों के लिए आर्डर, आर्डनेन्स फैक्टरियों के अतिरिक्त अन्य एजेन्सीयों को देने प्रस्तावित हों।

चौथी योजना में प्रति व्यक्ति आवंटन

2357. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आवंटन क्या है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को फैज़ाबाद डिवीज़न के लिए किया गया आवंटन अखिल भारतीय आवंटन के अनुसार ही है ; और

(ग) क्या फैज़ाबाद डिवीज़न के पिछड़ेपन को देखते हुए अधिक आवंटन किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) सभी राज्यों के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति परिव्यय की औसत 123 रुपये है।

(ख) और (ग) : राज्य के अंतर्गत डिवीज़नों को दिया जाने वाला धन का आवंटन, राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उपलब्ध संसाधनों की सीमा के अंतर्गत, उन्होंने फैज़ाबाद डिवीज़न पर समुचित ध्यान दिया है।

नागालैंड में अमरीकी पर्यटक

2358. **श्री धीरेश्वर कलिता** : **श्री क० लकप्पा** :
श्री बेधर बेहेरा : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो अमरीकी पर्यटक 25 मई 1969 को नागालैंड में आन्तरिक प्रवेश-पत्र लिए बिना घुस गये थे तथा 26 मई 1969 को उनको वहां से निकाल दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : दो अमरीकी राष्ट्रिकों, जेम्स रसल हेनले और लिऔनाई अब्राह्म लीनो, ने मणिपुर जाने के उद्देश्य से,

आन्तरिक रेखा प्रवेशपत्रों के बिना नागालैंड में प्रवेश किया। वे गिरफ्तार कर लिए गए और 26 मई 1969 को उन्हें उप मंडल अधिकारी के सामने पेश किया गया। उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पास आन्तरिक प्रवेशपत्र होना आवश्यक है। उनके यात्रा प्रलेखों से इस बात का पता चला कि वे पर्यटक हैं। उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

Scheduled Castes/Scheduled Tribes Employees promoted in Defence Production Department

2359. **Shri Molahu Prashad :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9599 on the 14th May, 1969 and state :

(a) whether the information in regard to the organisations under the Defence Production Department and the lower formations under the Defence Services has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) : Yes, Sir. A statement giving the required details is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1550/69)

(c) Does not arise.

Publications brought out by Central Statistical Organisation

2360. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3608 on the 19th March 1969 and state :

(a) the reasons for which Hindi versions of 31 **ad hoc** publications are not brought out by the Central Statistical Organisation;

(b) whether the possibilities of bringing out Hindi versions of other regular and **ad hoc** publications, which are of technical nature, have been considered ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi (a) to (c): Many of these publications have become outdated and their circulation is rather limited. In these cases, the translation and publication of Hindi versions at this stage will not be of much use. The Department has now taken up the question of appointing additional staff trained in Hindi for translation work and when such staff are appointed the publication of Hindi versions will be facilitated.

Manufacture of Submarines

2361. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri M. S. Oberoi :**

Will the Minster of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of submarines available with Government ;

(b) the number of submarines possession of China and Pakistan, separately ; and

(c) whether Government propose to manufacture submarines in the country ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Although a Submarine Arm of the Navy has come into being, it is not in the public interest to disclose details.

(b) According to Jane's Fighting Ships 1968-69, China possesses 33 Submarines and the Pakistan Navy has one Submarine and is acquiring three more.

(c) At present there is no project for the construction of Submarines in India.

सूती कपड़े का ब्रिटेन को निर्यात

2362. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में भारत से ब्रिटेन को निर्यात किये जाने वाले सूती कपड़े के निर्यात में काफी कमी आ गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात में इस कमी के सम्बन्ध में संसद सदस्यों ने सरकार को पूर्व चेतावनी दे दी थी और उन्होंने ब्रिटेन को किये जाने वाले ऐसे निर्यात के लिये निर्धारित कोटा पद्धति की त्रुटि की ओर से संकेत किया था ; और

(ग) क्या सरकार का स्थिति पर नये सिरे से विचार करने तथा कोटा पद्धति का समुचित रूप से पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) दिसम्बर, 1968-मई, 1969 तथा गत वर्ष की उसी अवधि में निर्यात निम्नलिखित थे :—

	दिसम्बर, '68-मई, '69	दिसम्बर '67-मई, '68
ग्रूप 'क'	89 लाख पौंड	34 लाख पौंड
ग्रूप 'ख', 'ग' तथा 'घ'	7.3 लाख वर्ग गज	14. 93 लाख वर्ग गज

(ख) और (ग) : संसद् के कतिपय माननीय सदस्यों से पत्रादि प्राप्त हुए थे जिनमें ब्रिटेन को सूती कपड़ों के निर्यातों से सम्बन्धित लाइसेंसिंग नीति की आलोचना तथा उस पर सुझाव निहित थे । सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त दिसम्बर, 68-नवम्बर, 69 से ब्रिटेन के कोटा वर्ष के प्रथम छः महीनों के लिये लाइसेंसिंग नीति घोषित की गई । प्रथम छः महीनों की अवधि के अन्त में पद्धति की क्रियान्विति का पुनः पुनरीक्षण किया गया और कोटा वर्ष के द्वितीय भाग के लिये आवश्यक परिवर्तन किये गये ।

सैनिकों को राशन की सप्लाई

2363. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 900 फीट की ऊंचाई से ऊपर तथा उससे नीचे की ओर तैनात सैनिकों के राशनों में अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है ; और

(ख) क्या अफसरों को दिए गए "फील्ड स्केल राशन" के बारे में लागत वसूल करने का मामला मंत्रालय में लम्बित है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : प्रश्न शायद, (रक्षा सेवाओं की) आडिट रिपोर्ट 1967 के पैरा 17 द्वारा आवृत मामले से संबंधित है । 9000 फुट से नीचे स्थित सैनिकों को राशन जारी करने के मामले में कोई अनियमितता नहीं है । 9000 और उससे ऊपर स्थित सैनिकों को उच्च स्थानीय राशन जारी करने में उठे अतिरिक्त व्यय के नियमीकरण का प्रश्न

और अफसरों को जारी किए गए राशन की लागत उन से वसूल करने संबंधी आदेशों में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम संधि का उल्लंघन

2364. **श्री क० लकप्पा : श्री ए० श्री धरन : डा० सुशीला नैयर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने 1 जनवरी, 1969 से 31 जून, 1969 तक कितनी बार, युद्ध-विराम संधि का उल्लंघन किया ;

(ख) गत वर्ष इसी अवधि में तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या थे ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ग) : इस अवधि में पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम के 401 उल्लंघन किए ।

इन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक प्रेक्षकों को युद्ध-विराम उल्लंघनों की शिकायतें कर दी गई हैं । इसके अतिरिक्त इन मामलों में आवश्यक प्रतिकारी उपाय भी किए गए हैं ।

(ख) 698 ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

2365. **श्री यशपाल सिंह : श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति ने वर्ष 1968-69 का वार्षिक-विज्ञान प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखने का है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी, नहीं । विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति द्वारा विभिन्न साधनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर गत वर्ष में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का सर्वेक्षण दर्शाने वाला प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । प्रतिवेदन के इस वर्ष के अन्त तक संसद को प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

"शान्ति तथा प्रगति रेडियो" द्वारा प्रसारण

2366. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री शिव कुमार शास्त्री : श्री शिव चरण लाल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'शान्ति तथा प्रगति रेडियो' मास्को से लगातार आपत्तिजनक प्रसारण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रसारणों की संख्या क्या है और 1 जनवरी, 1968 से प्रसारित होने वाले ऐसे प्रसारणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में रूस सरकार से विरोध प्रकट किया है; यदि हां, तो रूस सरकार से कितनी बार विरोध प्रकट किया गया और इस सम्बन्ध में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या रूस सरकार ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि इस प्रकार के प्रसारण बन्द कर दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या मई, 1969 को रूस के प्रधान मंत्री के भारत के दौरे के समय इस विषय पर चर्चा की गई थी, यदि हां, तो बातचीत से क्या परिणाम निकले; यदि नहीं, तो सरकार का किन अन्य स्तरों पर वार्ता करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हाल के महीनों में सरकार के ध्यान में इस प्रकार के कोई प्रसारण नहीं आए हैं।

(ख) जैसा कि 24 जुलाई 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 709; 21 अगस्त 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 573 और 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1403 में कहा गया था रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस से आपत्तिजनक स्वरूप के कुछ प्रसारण ध्यान में आए।

(ग), (घ) और (ङ) भारत-सोवियत सम्बन्धों के दृष्टिकोण से इस प्रकार के प्रसारणों के अवांछनीय स्वरूप की ओर सोवियत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। निस्संदेह सोवियत सरकार हमारी आपत्तियों पर उचित रूप से विचार करेगी।

भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा लातिनी अमरीका की यात्रा

2367. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री भा० सुन्दरलाल :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा लातिनी अमरीकी देशों के बीच व्यापार की अधिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने हाल में लातिनी अमरीकी देशों की यात्रा की ;

(ख) क्या उनके दल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं की अधिक मांग है तथा उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या भारतीय व्यापार दल ने इन देशों के अपने दौरे के दौरान भारतीय वस्तुओं की सप्लाई के लिये लातिनी अमरीकी देशों के साथ बातचीत की तथा करार किये ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या क्या करार किये गये तथा उनकी शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। 26 अप्रैल से 28 मई, 1969 तक।

(ख) प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) : जब तक सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक यह प्रश्न नहीं उठता।

आई० सी० एस० अधिकारी को सौंपा गया कार्य

2368. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक आई० सी० एस० अधिकारी विशेष को सरकार द्वारा कोई भी काम सौंपे बिना सितम्बर, 1968 से वेतन मिल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अधिकारी की लोक लेखा समिति ने पहले निन्दा की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त राज्य सरकार ने, जिसकी पदालि में यह अधिकारी था, इसको लेने से इंकार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उक्त अधिकारी को सितम्बर, 1968 से कोई काम न देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) एक आई० सी० एस० अधिकारी को, जो भारतीय विदेश सेवा का है, कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण कुछ महीने तक काम सौंपा नहीं जा सका था। लोक लेखा समिति ने इस अधिकारी के विरुद्ध कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। भारतीय विदेश सेवा में आने से पहले जिस राज्य सरकार की पदालि में पहले वह अधिकारी था वह उसे राज्य भारतीय प्रशासन सेवा पदालि में वापस लेने के लिये तैयार नहीं थी क्योंकि वह अधिकारी स्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में चला गया था। उक्त अधिकारी को अब काम सौंप दिया गया है।

भारत का आयात

2369. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में भारत में कपास, कच्चा पटसन, क्रूड आयल, उर्वरक तथा अलोह धातु का कितना आयात किया गया ; और

(ख) इस आयात में कितने प्रतिशत कमी हो गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

वर्ष 1967 तथा 1968 के दौरान कच्ची रुई, कच्चे पटसन, अशोधित तेल, उर्वरकों तथा

अलोह धातुओं के भारतीय आयात तथा वर्ष 1967 की तुलना में वर्ष 1968 में प्रतिशत कमी (—) अथवा वृद्धि (+) को दर्शाने वाला विवरण ।

(मूल्य लाख रु० में)

क्रम सं०	मदें	1968	1967	1967 की तुलना में 1968 में कमी का प्रतिशत (-) अथवा वृद्धि (+)
1.	कच्ची रुई	93,87	93,54	+ .35
2.	कच्चा पटसन	4,91	2,28	+115.35
3.	अशोधित तेल	55,77	57,94	— 3.75
4.	उर्वरक	180,05	116,28	+ 54.84
5.	अलोह धातुएं	81,85	105,92	— 22.73

Duration of posting of an Army officer at one place

2370. **Shri P. M. Sayeed : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri J. Sunder Lal : Shri Bal Raj Madhok : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of years for which the Army Officers are normally posted at one station ;

(b) whether there are any orders in this regard ;

(c) if so, whether Government propose to lay a copy thereof on the Table ;

(d) whether these orders are strictly followed ; and

(e) the number of senior officers of the Military who have been working for more than three years at one station at present ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : In accordance with the existing orders Army Officers other than Medical Officers are normally posted to one station for 2 to 3 years. Copies of extracts from relevant Administration Instructions are enclosed.

(d) The orders are followed as far as possible, subject to the exigencies of service.

(e) 60 (including 5 medical officers).

(I) Extracts from Army Headquarters letter No. 29159/MS Coord dated 20th August 1955, reg : Tenures of Appointments.

5. Officers will not normally be posted away before completion of tenure of an appointment, nor will they be retained in the appointment beyond the period of tenure, except in special circumstances and with the approval of Army Headquarters.

6. Officers will not be posted to the same appointmets in Comd or Staff where they have already completed a previous tenure.

They will not normally be reposted to the same station on staff/ERE, if they have previously served there for more than 2 years other than in regimental duty.

(2) Extracts from Army Headquarters letter No. 29159/MS Coord dated 28th Feb 1966, reg : Tenure of Appointments.

3. Tenures in command will be three years initially for all Brigs and Lt Cols other than Lt Cols of Armd Corps. Tenure in command for Lt Cols of Armd Corps will be two years so as to provide as far as possible opportunity of command experience to all eligible officers of the Armd Corps.

4. Normal tenure in Staff and ERE appointments will be two years. However, in view of the limited number of vacancies in the ranks of Cols and above, it is anticipated that majority of Lt Cols may have to serve in Staff and ERE appointments for more than one consecutive tenure.

5. Every effort will be made to enusure that officers are not moved before completing their minimum tenure in an appointment but this may not be practicable in all cases, particularly when officers have to be moved on promotion.

केन्या, संयुक्त अरब गणराज्य तथा ईरान भेजे गये विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

2371. **श्री प० मु० सईद : श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन केन्या, संयुक्त अरब गणराज्य तथा ईरान की यात्रा करने वाले विशेषज्ञ दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्योग के विशेषज्ञों के दो दलों ने स्वतंत्र रूप में संयुक्त अरब गणराज्य और ईरान की यात्रा क्रमशः जनवरी—फरवरी, 1968 और नवम्बर—दिसम्बर, 1968 में की है। इस प्रकार की कोई यात्रा कीनिया में नहीं हुई है।

(ख) इन दलों ने संबद्ध सरकारों को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इनकी रिपोर्टों में लघु उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रस्ताव और योजनाएँ रखी गयी हैं और वे विचाराधीन हैं।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में भारत-फिजी करार

2372. **श्री प० मु० सईद : श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी-आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्योगों की स्थापना करने के क्षेत्र का निर्धारण करने हेतु फिजी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) क्या भारत भी तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता, जिसमें कर्मचारियों को क्षेत्र

में प्रबन्ध और व्यापार का प्रशिक्षण दिया जाना भी शामिल है, देगा और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लघु उद्योगों के भारतीय विशेषज्ञ तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के लिये इस बीच फिजी गये हैं ; और

(घ) वे अपना सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लेंगे और अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) फिजी की सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि वह उनके तीन व्यक्तियों को वन-विज्ञान और समाज-सेवा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान कर दे। उसकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है। भविष्य में भी अगर कभी फिजी सरकार तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए कहेगी तो उस पर भी यथोचित रूप से विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) : फिजी सरकार की प्रार्थना पर भारत ने मई 1969 के अंत में फिजी में तीन विशेषज्ञों का दल भेजा था। यह दल फिजी में औद्योगिक सम्भावनाओं का अध्ययन करने और पता लगाने के लिए गया था। अब यह भारत लौट आया है और उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ सप्ताह में इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

Helicopter-like Aircraft manufactured by U. K.

2373. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Britain have manufactured an aircraft which can take off and land like a helicopter ; and

(b) if so, whether Government have considered its utility for defence purposes in the Himalayan region and the feasibility of its manufacture in India ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. The 'Harrier' manufactured in the U. K. has capability of vertical take off and landing.

(b) This type of plane is very expensive and our requirements can be adequately fulfilled by other planes.

This is a highly sophisticated type of aircraft and it is not feasible to manufacture it in India for a number of years.

Manufacture of Nitrogen Fertilizer

2374. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the broad features of the report of the working Group of the Atomic Energy Commission which has studied the research work for the manufacture of Nitrogen Fertilizer done by the Oakridge Laboratories of U. S. A. ;

(b) whether Government have made a detailed study of the report ; and

(c) if so, the conclusions arrived at ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The salient features of the working Group along with the Report are already available in the Parliament Library.

(b) and (c) The report submitted was preliminary in nature. Further studies by the Working Group are now in progresss. The question of arriving at any conclusions will arise only after the current studies are completed.

आजाद पख्तूनिस्तान के लिए समर्थन

2375. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री समर गुह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब्दुल गफ्फार खां की 'आजाद पख्तूनिस्तान' की मांग का समर्थन करने के सम्बन्ध में उनका निवेदन मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उनकी मांग का समर्थन कैसे करना चाहती है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : पख्तून प्रश्न पर सरकार की नीति सर्व विदित है ।

विमान-समिति के सदस्यों की विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों से मुलाकात

2376. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान-समिति के सदस्य यूरोप के देशों में काम कर रहे कुछ भारतीय वैज्ञानिकों से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन सदस्यों ने उनसे भारत वापस आने की पेशकश की थी ;

(ग) यदि हां, तो इन वैज्ञानिकों ने क्या-क्या शर्तें रखी थीं ;

(घ) सरकार उनके द्वारा रखी गई मांगों पर कहां तक सहमत होने का विचार कर रही है ; और

(ङ) क्या देश में विमान-विज्ञान की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों की सेवाएँ अत्यावश्यक हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) (क) और (ख) : विदेश में काम कर रहे वैज्ञानिकों को, एरोनाटिक्स कमेटी के सदस्यों द्वारा कि जो मार्च-अप्रैल 1968 में योरुप में थे कोई पेशकश नहीं गई थी ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) एरोनाटिक्स कमेटी ने सलाह दी है कि उच्च स्थानों के लिए विदेश में काम कर रहे भारतीय राष्ट्रिकों को आकर्षित करने के लिए उद्योग इस योग्य होना चाहिए कि स्थान से संलग्न वेतनमान का ध्यान न करते हुए उन्हें उपयुक्त वेतनों की पेशकश की जा सके, इस सुरक्षण सहित कि जो ठेके के आधार पर नियुक्ति प्राप्य करती है । एरोनाटिक्स कमेटी की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन । है

भूतपूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा विशिष्ट सेवा पदक का उत्तरदान

2377. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष ने अपना जीता हुआ विशिष्ट सेवा पदक सेना को उत्तरदान कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले भी सेवानिवृत्त होने वाले सेनाध्यक्षों ने अपने पदक सेना को उत्तरदान कर दिए थे ; और

(ग) क्या सरकार सेनाध्यक्षों के इन पदकों के बदले उन्हें कोई आर्थिक सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जनरल पी० पी० कुमारमंगलम ने अपना डी० एस० ओ० का पदक एक आर्टिलरी रेजिमेंट को प्रदान कर दिया है ।

(ख) भूतपूर्व जनरल के० एस० थिमय्या ने जिन्हें भी विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था, उसे कुमाऊं रेजिमेंट को प्रदान कर डाला था ।

(ग) जी नहीं ।

उड़ीसा खान निगम

2378. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा खान निगम खनिज तथा धातु व्यापार निगम के जापान के साथ हुए लौह अयस्क व्यापार से निराश है तथा वह जापानी इस्पात उद्योग से सीधे ही बात-चीत करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापानी इस्पात मिलों को दायतारी अयस्क की बिक्री के लिए दीर्घावधि प्रस्ताव भेजा है । दायतारी अयस्क के सम्बन्ध में गुण के आधार पर जापानी इस्पात मिलों की आरम्भिक आनाकानी से उड़ीसा खनन निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम दोनों ही चिन्तित हैं । उड़ीसा खनन निगम की ओर से जापानी इस्पात उद्योग के साथ सीधी बात-चीत करने के प्रयास के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम जापानी इस्पात मिलों के साथ मामले पर आगे बातचीत कर रहा है और अन्य बाजारों को भी दायतारी अयस्क के निर्यात की संभाव्यताओं का पता लगा रहा है ।

पश्चिम जर्मनी द्वारा निर्मित बख्तरबन्द टैंक

2379. क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जर्मनी के आधुनिक बख्तरबन्द टैंक 'माडंर' के बारे में जानकारी है जिसकी गति, कार्यक्षमता तथा ऊँची फायर-शक्ति का प्रदर्शन, मन्स्टर में मई, 1969 में जनता के समक्ष पहली बार किया गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे टैंकों को अपने प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए प्राप्त करने के बारे में विचार किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार जर्मनी के मार्डर के विषय में जानती है, परन्तु यह एक आमर्ड पर्सानल कैरियर है, न कि टैंक ।

(ख) जी नहीं ।

पाकिस्तान के साथ हल न किये गये विवादों को तय करना

2380. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहया खां ने अमरीकी विदेश मंत्री के साथ बातचीत करने के बाद 25 मई 1969 को लाहौर में दिये गये अपने एक वक्तव्य में भारत पर आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी आधार भूत झगड़े के बारे में बातचीत न करने की हठ पकड़े हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संसार को यह मालूम है कि भारत, पाकिस्तान के साथ अपने मतभेदों के संबंध में शान्तिपूर्ण तथा द्विपक्षीय रूप से बातचीत करने के लिए तैयार है, यह तो पाकिस्तान है जो भारत का सामना करने की नीति अपना रहा है ।

Scheduled Caste Employees in Foreign Countries

2381. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Indian Officers at present working in foreign countries in various Departments, class-wise ; and

(b) the number of Officers of Scheduled Castes among them, class-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) 1584 Indian Officers under the administrative control of the Ministry of External Affairs are at present working in the Indian Missions abroad. The class-wise break up is as under :

Class I	332
Class II (Gazetted)	201
Class II (Non-Gazetted)	741
Class III	219
Class IV	91
Total	1,584

(b)	Class I	10
	Class II (Gazetted)	3
	Class II (Non-Gazetted)	29
	Class III	11
	Class IV	27
	Total	80

आसाम तथा कलकत्ता के बीच नौवहन मार्ग

2382. **श्री राम चरण :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से आसाम तथा कलकत्ता के बीच पूर्वी पाकिस्तान से होकर जाने वाले बन्द पड़े नौवहन मार्ग को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि, हां तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने भी पुराने मार्ग के बजाय बंगाल की खाड़ी तथा कालन्दी नदी के वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से न तो व्यवहार्य है न आर्थिक रूप से आकर्षक।

नेपाल को भारतीय सहायता

2383. **श्री राम चरण : श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में विकास कार्य के लिये भारतीय सहायता कार्यक्रम के अधीन 14.50 करोड़ रुपये मन्जूर किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों में सहायता की धनराशि अपेक्षाकृत कम कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) नेपाल को चालू वर्ष में कुल कितनी राशि की सहायता देने का प्रस्ताव है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। 1969-70 के लिए 14.50 करोड़ रुपए की रकम नियत की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह रकम ऊपर (क) में बताई गई है।

इस तरह की सहायता की कोई शर्तें नहीं हैं। यह आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम है जिसे

भारत और नेपाल ने मिलकर बनाया है और कार्यरूप दिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक योजना पर दोनों सरकारों के बीच बाकायदा समझौता होता है।

श्री त्रिलोक चन्द्र गुप्ता को क्षतिपूर्ति

2384. **श्री म० ल० सोंधी : क्या वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री त्रिलोक चन्द्र गुप्ता को जिस को पाकिस्तान सरकार ने अवैध रूप से नजरबन्द कर रखा था पुनर्वास अनुदान देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस बीच में, श्री त्रिलोक चन्द्र का आवेदन पत्र, जिसमें उसने नई दिल्ली में अपने नाम दुकान खोलने का अनुरोध किया है जोरदार सिफारिश के साथ, सम्बद्ध अधिकारियों के पास, भेज दिया गया है।

पोलैंड में एक भारतीय की रिहाई

2385. **श्री म० ला० सोंधी : क्या वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैन्ड के एक भारतीय की रिहाई का मामला पोलैन्ड सरकार के साथ उठाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पोलैन्ड के अधिकारी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

हिन्द महासागर क्षेत्र की रक्षा के बारे में इंडोनेशिया का सुझाव

2386. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सीताराम केसरी :
श्री जुगल मंडल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारस्परिक सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में हिन्दमहासागर के निकटवर्ती देशों की विचार धारा का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार इंडोनेशिया सरकार द्वारा हाल में दिये गये सुझाव को कि श्रीलंका भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलयेशिया तथा इंडोनेशिया के समुद्री तथा सम्बद्ध संसाधनों को हिन्द महासागर की रक्षा करने की दृष्टि से समेकित कर लिया जाय, लाभप्रद समझती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र से पाश्चात्य नौसैनिक शक्तियों के हट जाने से उत्पन्न हुए शून्य को भरने के प्रश्न पर विचार करने के लिये क्षेत्रीय शक्तियों का एक सम्मेलन बुलायेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार इस मामले के संबंध में हिन्द महासागर के इलाके के देशों के विचारों की सामान्य रूप से जानकारी रखती है।

(ख) उनके समक्ष इन्डोनेशिया सरकार ने हिन्द महासागर के इलाके में संयुक्त नौसेना की कार्रवाई के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है ।

(ग) भारत सरकार को यह विश्वास नहीं है कि हिन्द महासागर से पश्चिमी जहाजी सेवासेनाओं के हट जाने से रिक्तता पैदा होगी । इसलिए रिक्तता की पूर्ति करने संबंधी प्रश्न का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के सम्मेलन की आवश्यकता महसूस नहीं होती ।

नायलोन क्रिम्पिग उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई

2387. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायलोन क्रिम्पिग उद्योग में काफी मात्रा में निष्कार्य क्षमता है तथा इस उद्योग की अधिष्ठापति क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये कच्चे माल की समुचित मात्रा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि वहां और आगे क्षमता न बढ़ाई जाये ; और

(ग) इस उद्योग को समुचित मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) : सरकार को नायलन क्रिम्पिग उद्योग में बेकार पड़ी किसी उल्लेखनीय क्षमता की जानकारी नहीं है । कच्चे माल की प्राप्यता में सुधार हुआ है और इसमें आगे भी सुधार होगा जिससे सभी क्रिम्पिग एककों के लिए अपनी आवश्यकता पूरी करना संभव हो जायेगा ।

परमाणु हथियारों को छोड़ने की प्रणाली का विकास

2388. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने परमाणु हथियारों को छोड़ने की प्रणाली का विकास कर लिया है तथा इस प्रकार भारत तथा चीन के बीच शक्ति के बारे में पर्याप्त अन्तर आ गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस दिशा में अनुसंधान करायेगी; और

(ग) छोड़ने की प्रणाली का विकास करने के लिए अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारत शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणु शक्ति और अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में उन्नत जानकारी और प्रौद्योगिकी के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करता रहा है ।

(ग) हमारी स्थिति में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

Payment of Compensation for Land acquired for Hindon Airport

2389. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers of many villages whose land was acquired for the construction of Hindon aerodrome have not so far been paid full rent and compensation therefor ;

(b) whether it is also a fact that on account of non-payment of compensation, it has become difficult for the farmers to live on or to purchase new land for cultivation ;

(c) whether his Ministry has asked the concerned State Government to make early payments in this regard ; and

(d) if so, the reaction of State Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) : In a large majority of cases, the amount admissible for the land acquired has been paid by the local revenue authorities. The State Government has reported that in some cases it has not been possible for the Collector to disburse compensation as the claimants have not produced succession certificates or because there are disputes as regards the rightful claimants. The local revenue authorities have been requested to expedite the remaining disbursements to the extent possible and they are taking action accordingly.

छंटनी किये गये 'ट्रेड अपरेंटिसों' को नये आयुध कारखानों में रोजगार देना

2390. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आयुध कारखानों में समुचित प्रशिक्षण देने के पश्चात छंटनी किये गये 'ट्रेड अपरेंटिसों' को नये आयुध कारखानों में रोजगार दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको रोजगार देने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) आयुध कारखानों में 'ट्रेड अपरेंटिसों' को शिक्षुता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अपरेंटिसों को प्रशिक्षण पूरा होने पर रोजगार देने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं है। इसलिये उनकी छंटनी का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। तथापि नये कारखानों में नियुक्त किये गये 'अपरेंटिसों' की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की बहाली

2391. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अनेक स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी आदेश जारी हो जाने पर भी अभी तक बहाल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात का निश्चय करने के लिये कि उन सभी अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, वापस काम पर ले लिया जाये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सिवाय उन मामलों के कि जहाँ कोई दृष्टिकोण न्यायालय में मामलों की सम्पूर्ति के पश्चात् अपनाया जाना है, और वे मामले न्यायालय में निर्णयाधीन हों उन सभी व्यक्तियों को सेवा में बहाल कर लिया गया है, कि जो विभिन्न सरकारी आदेशों में दी गई छूटों द्वारा आवृत्त हैं।

भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा अमरीका के विदेश मंत्री से पश्चिमी एशिया संकट के सम्बन्ध में बात-चीत

2392. **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री म० ला० सोंधी** :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति ने भारत से अनुरोध किया है कि अमरीका के विदेशी मन्त्री श्री विलियम रोजर्स दिल्ली यात्रा के दौरान, वह पश्चिम एशिया के संकट के बारे में अमरीकी दृष्टिकोण का पता लगाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : जून 1967 में संघर्ष के परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार, संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के साथ हमेशा सम्पर्क बनाए हुए है। जब भारत में विदेशी उच्च पदधारी आते हैं तो, उस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत सरकार पश्चिम एशिया के संकट तथा नवम्बर 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को शीघ्र लागू करने के सम्बन्ध में बातचीत करती है। यह तो आप स्वीकार करेंगे ही कि चूंकि इस प्रकार की बातचीत गोपनीय है, अतः इनका विवरण नहीं बताया जा सकता।

मानव केश के न्यूनतम मूल्य

2394. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मानव केश के निम्नतम मूल्य विश्व भर के मानव केश मूल्यों से 15 से 20 प्रतिशत अधिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग ने सरकार को इनका निम्नतम मूल्य घटाने का सुझाव दिया है जिससे कि इनका वर्तमान निर्यात स्तर बढ़ सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मानव केश के निम्नतम मूल्य घटाना स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम-स्वरूप निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि की सम्भावना है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 25-30

सेंटीमीटर, 30-35 सेंटीमीटर, 35-40 सेंटीमीटर और 40-45 सेंटीमीटर लम्बे 'डबल ड्रॉन' मानव केशों के निम्नतम मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से 15 से 20 प्रतिशत अधिक होते थे।

(ख) जी, हां।

(ग) 25-30 सेंटीमीटर, 30-35 सेंटीमीटर, 35-40 सेंटीमीटर और 40-45 सेंटीमीटर लम्बे 'डबल ड्रॉन' मानव केशों के मूल्य क्रमशः 28/-,31/-,34/,- और 37/- अमरीकी डालर से घटाकर 25/-, 28/-, 32/- और 36/- अमरीकी डॉलर कर दिये गये हैं। 'टुक्कूस' का निम्नतम मूल्य भी 40/- अमरीकी सैंट्स से घटाकर 30/- अमरीकी सैंट्स प्रति किलो कर दिया गया है।

(घ) यह अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है कि निम्नतम मूल्यों में कमी के परिणाम-स्वरूप मानव केशों का निर्यात कितना बढ़ाया जा सकता है; और

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जब्त किये गये जलयानों सम्बन्धी विवाद का निपटारा

2395. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल याह्या खां की अध्यक्षता में बनी नई पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 1965 के संघर्ष में क्रमशः पाकिस्तान तथा भारत द्वारा जब्त किये जलयानों तथा माल सम्बन्धी काफी समय से चले आ रहे विवाद को निपटाने के बारे में अपनी सहमति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पिछले तीन महीनों में क्या कार्यवाही की गयी है तथा इस विवाद को तुरन्त समाप्त करने के लिये और आगे क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) पाकिस्तान तथा भारत के कब्जे में क्रमशः कितने जलयान तथा कितना माल है तथा पाकिस्तान तथा भारत सरकार द्वारा क्रमशः कितने जलयान तथा कितना माल बेचा जा चुका है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत की जिन सम्पत्तियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उनमें हिन्द महासागर का एक जहाज और आन्तरिक परिवहन के 188 जलयान उनके संरक्षण में हैं। हमारी सूचना के अनुसार, इसने आन्तरिक परिवहन के 188 जलयान बेच दिए हैं। पाकिस्तान ने लगभग 12 करोड़ रु० के मूल्य के भारतीय माल पर भी कब्जा कर लिया था। भारत सरकार को ये खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान इस माल को विशाल राशि समय-समय पर बेचता रहा है।

भारत के कब्जे में पाकिस्तान का एक महासागरीय जहाज और एक पोतकक्ष हैं। भारत द्वारा कब्जा किए गए 21,530 टन पाकिस्तानी माल में से सिर्फ 5,530 टन माल भारत के कब्जे में है, और 27 जून 1966 के सरकारी निर्णय के अनुसार, जिसमें सैनिक दृष्टि से वर्जित माल को छोड़कर सभी पाकिस्तानी माल को एक पक्षीय रूप से मुक्त करने की बात कही गई थी, 16,000 टन माल मुक्त कर दिए गए हैं।

विदेशों में सूचना केन्द्र

2396. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 7 मई 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1538 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ख) रूस में एक सूचना केन्द्र की तुलना में अमरीका में तीन सूचना केन्द्र खोलने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार लंका, बर्मा, मलयेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम (दक्षिण तथा उत्तर) आदि देशों में और अधिक सूचना केन्द्र खोलेगी जिनमें सांस्कृतिक अनुभाग भी शामिल हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और 7 मई 1969 को सदन में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में अलग से उत्तर भेजा जाएगा।

(ख) हमारे सूचना केन्द्र विदेशों में स्थित हमारे मिशनों या केन्द्रों के अभिन्न रूप में स्थापित हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे तीन मिशन या केन्द्र हैं यथा वाशिंगटन डी० सी० में राजदूतावास, और न्यूयार्क तथा सान-फ्रांसिसको--प्रत्येक में महा कोंसलावास हैं। चूंकि ये तीनों नगर प्रेस और समाचार माध्यम के प्रमुख केन्द्र हैं अतः उस देश में तीन सूचना केन्द्र हैं ; यद्यपि कि रूस में हमारे दो मिशन हैं यथा मास्को में राजदूतावास और ओडेस्सा में कोंसलावास हैं, मास्को में ही एक सूचना केन्द्र खोलने की आवश्यकता समझी गई है क्योंकि उस देश में वही प्रेस और समाचार माध्यम का मुख्य केन्द्र है।

(ग) और (घ) : सूचना केन्द्र जो साँस्कृतिक विषयों की भी देखभाल करते हैं, श्रीलंका, बर्मा, मलयेशिया, इन्डोनेशिया और थाईलैन्ड में पहले से ही स्थापित हैं।

अभी कम्बोडिया, लाओस, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में अलग से सूचना केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है, किन्तु संबद्ध मिशन इस कार्य को सम्पन्न करते हैं, क्योंकि ये उनके कार्यों का यह एक सामान्य अंग है।

भारत, पाकिस्तान तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चीन-समर्थक तत्वों को चीनी प्रोत्साहन

2397. **श्री समर गुह :**   **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीनी साम्यवादी दल की नवीं कांग्रेस के इस कथित निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें हिंसा का मार्ग अपनाने तथा सत्ता हथियाने के लिये विप्लव की कार्यवाहियां करने हेतु भारत, पाकिस्तान तथा अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साम्यवादियों को प्रोत्साहन देने की बात है क्योंकि वे लोग समझते हैं कि इन देशों में चीनी विचारधारा के समक्ष क्रान्ति लाने के लिये स्थिति अनुकूल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों में चीनी समर्थक तत्वों को ऐसी विघटनकारी गतिविधियां करने का प्रोत्साहन देने का प्रयत्न इन देशों की सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता के लिये खतरनाक हो सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन देशों की स्वतंत्रता को हानि पहुँचाने वाले चीनी प्रयत्नों के विरुद्ध दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की सामूहिक सुरक्षा का निश्चय करने के लिये कोई उपाय ढूढने के बारे में पहल करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। लेकिन, पाकिस्तान का उल्लेख न करके उसे इसका अपवाद बता दिया गया है।

(ख) प्रभुसत्ता सम्पन्न दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

(ग) सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन, सरकार विश्वास करती है कि द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होने से तोड़फोड़ का खतरा कम हो जाएगा।

Import of X-Ray Films

2398. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the consumption of X-ray films in our country during the last three years, year-wise ;

(b) whether X-ray films are also imported into the country ; if so, the quantity imported annually and the names of countries from which these are imported ;

(c) whether X-Ray films are manufactured in the country also ; if so, the annual production thereof ;

(d) the names and addresses of the firms which imported X-Ray films ;

(e) the difference in the import price and the prevalent market price of these films ; and

(f) the steps taken by Government to meet the shortage of these films in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Consumption figures are not available. The present demand however is estimated at one million sq. metres per annum with an anticipated growth rate of approximately 15 percent every year.

(b) Yes, Sir. A statement giving the information is attached.

(c) Yes, Sir.

X-ray films are manufactured by Hindustan Photo Films, Ootacamund. Their production has been of the order of 1.89 lakh sq. metres during 1969.

(d) Import of X-ray Films is canalised through State Trading Corporation since 1968-69, and imports are effected through their following Associates :

1.	M/s. Orwo Pvt. Ltd., Bombay. M/s. Central Camera Co. Pvt. Ltd. Bombay M/s. Orwo Films Eastern Unit, Madras.	German Democratic Republic.
2.	M/s. Photo Cine Stores, Calcutta. M/s. Simla Studios, New Delhi. M/s. Simla Studios (Bombay) Bombay.	Hungary
3.	M/s. Fomindia Private Ltd. Delhi	Czechoslovakia.

(e) In accordance with the marketing pattern, supplies of X-ray films are made directly by importers to hospitals and actual users. Importers' commission as fixed by the

S. T. C. to cover handling, cold storage, overheads and margin of profit varies from 5 per cent to 14 per cent depending on the size and type of **X**-ray films.

(f) Steps have been taken to import **X**-ray films worth **Rs. 113 lakhs** during 1969-70. Out of which **X**-ray Films worth Rs. 8 lakhs are being air lifted to meet the immediate shortage in the country. In addition M/s. Hindustan Photo Films also propose to import Jumbo rolls of **X**-ray films, which will be used as buffer.

Statement

Country-wise imports of X-ray films and plates during 1966-67 to 1968-69.

Value in Lakhs (post develuation Rate)

S. No.	Description/country	1966-67	1967-68	1968-69
1.	**X-Ray films and Plates.**			
	Belgium	28	38	24
	German Dem. Rep.	74	47	15
	Hungary	11	9	4
	Italy	1	37	neg.
	U. K.	45	68	41
	German Fed. Republic	neg.	2	2
	Others	6	1	3
	Total	165	202	89

मध्य प्रदेश में रेडियो-सक्रिय खनिज

2399. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रेडियो-सक्रिय खनिजों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश के कई जिलों में सर्वेक्षण किया जा चुका है उसके परिणामस्वरूप जहां भी परमाणु धातु पाई गई है वह बहुत कम मात्रा में विद्यमान है तथा उसे निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है । राज्य सर्वेक्षण जारी हैं ।

Export of Beedis

2400. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether beedis are being exported from Madhya Pradesh to foreign countries at present ;

(b) if so, the quantity thereof ; and

(c) the steps being taken by Government to promote the export of beedis?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) 35,000 and 2,40,000 beedis have been exported from Madhya Pradesh during 1966-67 and 1967-68 respectively.

(c) 2 per cent import replenishment on F. O. B. Value of exports is allowed to registered exporters of Beedis for importing permissible types of pcking materials. The Tobacco Export Promotion Council, Madras, sponsored by the Government, undertakes a number of measures for the promotion of exports of tobacco and tobacco products including beedis, by dissemination of market information, participation in exhibitions abroad and in India, ending trade delegations, conducting market surveys, distribution of publicity folders etc.

Export of fruits from Madhya Pradesh

2401. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the quantity of bananas, mangoes and oranges exported from Madhya Pradesh to foreign countries during 1968-69 ;

(b) the foreign exchange earned thereby ; and

(c) the steps being taken by Government to promote the export of these items from Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) : Information regarding the quantity of bananas, mangoes and oranges exported from Madhya Pradesh to foreign countries during 1968-69 is not available as the export statistics are compiled for the country as a whole and not state-wise.

(c) No specific steps are being taken by the Govt. of India in Madhya Pradesh. Export promotion measures are taken with a view to boost our exports of these fruits. Results yielded from these measures will naturally be reflected in increased offtakes from States where they grow.

Employees belonging to Madhya Pradesh released from service

2402. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of regular employees belonging to Madhya Pradesh who have been relieved from service during the last three years ;

(b) the number out of them who have been provided employment in military and semi-military establishments and the total number of such persons who are yet to be provided employment ;

(c) the total number of such unemployed persons who had participated in the battle at the time these Units were made a part and parcel of the active forces at the time of Indo-Pak and Indo-China conflicts ; and

(d) the steps taken by Government in connection with giving them employment in Territorial Army and National Cadet Corps, which are semi-military establishments in order to take advantage of their experience ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) : The information is not available from the statistics maintained and the time and effort involved in collecting it will not be commensurate with the results.

सोवियत रूस तथा अन्य देशों को माल डिब्बों की सप्लाई

2403. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सोवियत रूस तथा पूर्व यूरोपीय देशों को कितने माल डिब्बों की सप्लाई की गई ;

(ख) ये माल डिब्बे किन मूल्यों पर सप्लाई किये गये ;

(ग) क्या उन देशों में हमारे माल डिब्बों की मांग है ; और

(घ) यदि हाँ, तो अगले दो वर्षों में कितने माल-डिब्बे सप्लाई किये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) गत वर्ष राज्य व्यापार निगम ने हंगरी को चार पहियों वाले 355 माल-डिब्बे भेजे ।

(ख) माल डिब्बों के संभरण-मूल्य बताना भारतीय राज्य व्यापार निगम के व्यावसायिक हित में नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने निम्नलिखित संख्या में माल-डिब्बों के संभरण के लिये क्रयादेश प्राप्त किये हैं :—

(क) पौलैंड को 500 माल डिब्बे

(ख) हंगरी को 100 माल डिब्बे

सोवियत संघ को रेलवे माल डिब्बों के संभरण के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है ।

वस्तुओं का निर्यात

2404. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री एम० एस० ओबराय :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका आजकल निर्यात किया जाता है ;

(ख) प्रत्येक वस्तु को प्रोत्साहन के रूप में क्या नकद सहायता दी जाती है ;

(ग) उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनको, ऐसे निर्यातों के बारे में प्रोत्साहन स्वरूप आयात करने की अनुमति दी जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि निर्यात के समक्ष आयात की जाने वाली वस्तुओं को खुले बाजार में बेचने की अनुमति है, या कि निर्यात करने वाले निर्माता-गण उनका उपयोग कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) निर्यातों के सम्पूर्ण आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'मंथली जर्नल आफ स्टेटिसटिक्स आफ फोरेन ट्रेड' में दिए गए हैं ।

(ख) अनेक भारतीय औद्योगिक उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रवेश करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ये कठिनाइयां औद्योगिक उत्पादन, उसकी कार्यकुशलता, कतिपय कच्चे माल तथा मध्यवर्ती उत्पादकों की लागत की स्थिति से उत्पन्न होती हैं । हमारे निर्यातकों को ऐसी स्थति में लाने हेतु, जिससे कि वे अपनी विपणन योग्यता तथा प्रतियोगी निर्यात उत्पादन को बढ़ा सके, विपणन विकास निधि से सहायता दी जाती है जिसके व्यौरे बजट में दिए गये हैं ।

(ग) कच्चे माल की ऐसी मदों तथा संघटकों जिनका आयात, निर्यात उत्पादों के बदले, किया जा सकता है, का आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तिका (भाग 2) के खंड 2 में सारणी के कालम 4 में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित के आयात की अनुमति है :—

(1) वैध वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस, जो ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदक के पास है, जिस पर बाद में आयात के लिए रोक नहीं लगी है, में उल्लिखित कच्चे माल की कोई मद; तथा

(2) सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सिफारिस किये जाने पर कच्चे माल अथवा संघटक की कोई मद जो निर्यात क्रयादेशों की पूर्ति के लिये अपेक्षित है।

निर्यात के बदले अर्जित आयात लाइसेंस का भी मशीनों अथवा फालतू पुर्जों के आयात के लिए कुछ सीमाओं तक प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपने आप बम ले जाने वाली मशीन

2405. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री शारदानन्द :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री श्रीधरन :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सतारा, महाराष्ट्र के रहने वाले श्री सुरेश बलवन्त सावन्त नामक एक व्यक्ति ने एक मशीन का आविष्कार किया है, जो 5000 मील प्रति घंटा की गति से उड़ती है तथा अपने आप बम ले जाने वाली एक मशीन का काम दे सकती है, और वह युवक मंत्री महोदय से दिनांक 2 जून, 1969 को मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मशीन के बारे में तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह मशीन भारतीय वायु सेना के किसी काम आ सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आविष्कार को पूरा करने के लिए श्री सावन्त ने यदि कोई सुविधाएं तथा अन्य सहायता मांगी है तथा सरकार का विचार वे सुविधाएं तथा सहायता देने का है, तो वे सुविधाएं तथा सहायता किस प्रकार की हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस वर्ष जून में बिना हस्ताक्षर के एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सतारा, महाराष्ट्र के एक 29 वर्षीय व्यक्ति श्री एस० वी० सावंत ने 5000 मील प्रति घंटा उड़ने के योग्य एक आटोमेटिक बाम्बर मशीन का आविष्कार किया था। श्री सावंत ने 2 जून 1969 को रक्षा मंत्री से भेंट की थी।

(ख) उससे तकनीकी तथ्यों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) : इन पर तभी विचार किया जा सकता है, जब तथ्यों का पता लग जाए।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय नावों की बिक्री

2406. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री वे० कृ० दासचौधरी :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री पाकिस्तान द्वारा भारतीय नावों की बिक्री के बारे में 14 मई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9630 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) नौकाओं को वापस प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार पाकिस्तान को इस बात पर राज़ी कराने के लिए अभी भी प्रयत्नशील है कि वह 1965 के संघर्ष के दौरान कब्ज़ा की गई संपत्तियों को लौटाने के संबन्ध में बातचीत करे।

एक्सपो-70

2407. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में एक्सपो-70 प्रदर्शिनी में भारत के कक्ष में एक भारतीय जलपानगृह खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे इसका ठेका दिया गया है तथा वह ठेका कितनी धनराशि का है ;

(ग) क्या उस जलपानगृह में भारतीय शराब बेचने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : **(क) से (घ)** : जी हां। राष्ट्रीय रेस्तरां चलाने के लिये 24 होटल मालिकों / रेस्तरां मालिकों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं। अन्तिम रूप में चुनाव करने के लिए इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। रेस्तरां में भारतीय शराब बेचने के प्रश्न पर चुने गये होटल / रेस्तरां मालिकों के साथ परामर्श करके यथा-समय विचार किया जायेगा।

Children Camp at Artek, Russia

2408. **Shri Yashwant Singh Kushwah** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian children, Statewise, who are participating in the Children Camp started on the 15th July at Artek situated on the shore of Black Sea in the Soviet Union ;

(b) the aim of the Camp and the criterian for selection of these Indian children ; and

(c) the names of other countries in the world to which Indian children are sent to participate in Camps like the one started in the Soviet Union ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh : (a) None, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No Indian children are being sent by Government to participate in such camps in other countries this year.

Textile mils in Madhya Pradesh

2409. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number and names of textile mills in Madhya Pradesh which are running at a loss at present and are faced with financial crisis ; and

(b) the steps taken to revitalise them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The following 12 Cotton Textile Units in M. P. have reported losses.

Name of the mill	Year ending to which the loss pertains
1. Indore Malwa United Mills Ltd. Indore	31.12.67
2. Hukamchand Mills Ltd., Indore	31.12.68
3. Swadeshi Cotton & Floor Mills Ltd. Indore	31.12.67
4. and 5. Binod Mills Co. Ltd., Ujjain (includes Deepchand Bimal Mill)	31.21.68
6. Hira Mills Ltd., Ujjain	31.12.67
7. Burhanpur Tapati Mills Ltd., Burhanpur	31.3.68
8. New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal	31.3.68
9. Bilaspur Spg. Mills & Industries Ltd., Bilaspur	30.9.67
10. Nimar Textiles Ltd.,	31.12.67
11. M. P. State Industries Corpn. (Sanawad Spg. Mill)	31.3.67
12. Motilal Agarwal Mills Ltd. Gwalior	12.10.67

N. B : One mill namely Mandsaur Textiles Mills is a proprietory concern and its balance sheet is not available.

(ii) Separate details are not available in respect of two units namely, M/s Standard Mills Co. Ltd. and Bharat Commerce and Ind. Ltd., in as much as the accounts of these units form part of the balance sheets of the parent companies.

Government have no information regarding the mills facing crisis.

(b) Three mills viz. Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd., Indore, Hira Mills Ltd,. Ujjain and New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal are already under the Authorised Controllers and their cases are being examined under the Cotton Textile Companies (Management of Undertakings, and Liquidation or Reconstruction) Act, 1967. The National Textile Corporation will undertake modernisation of these mills as may be considered necessary if they are taken over by Government in terms of the provisions of that Act. Government would assist the mills in suitable cases to take advantage of the lowering of margins on advances and term loans, for which instructions have been issued by the Reserve Bank to the scheduled bank. Certain other measures are also under consideration of Government.

पेरू से आयात

2410. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पेरू से रुई, सीसा तथा जस्त का खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : जी नहीं। भारत सरकार आर्थिक तथा व्यापार प्रतिनिधि मंडल के, जिसने हाल ही में लेटिन अमरीकी देशों की यात्रा की थी, प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी सिफारिशें की जायेगी उन पर विचार किया जायेगा।

डा० मसकेरनहस की रिहाई के लिये की गई कार्यवाही

2411. **श्री उमानाथ** :　　**श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री विश्वनाथ मेनन :　　**श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री गणेश घोष :　　**श्री धीरेश्वर कलिता** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोश्रा के 70 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डा० टैलाओ मसकेरनहस की दशा, जो इस समय पुर्तगाली जेल में हैं, खराब होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके जीवन की रक्षा हेतु रिहा कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से डा० मसकेरनहस को जल्द रिहा कराने का हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। यह आशा की जाती है कि गोवा के स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी श्री मोहन रानाडे के मामले की तरह, सरकार के ये प्रयत्न भी सफल होंगे।

भारत में निर्मित चाय की मशीनों के लिये विदेशी बाजार

2412. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित चाय की मशीनों के लिए विदेशों में नये बाजारों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और उसमें किस सीमा तक सफलता मिली ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) जी, हां। चाय की मशीनों सहित समूचे रूप से इंजीनियरी माल के निर्यात के संवर्धन के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् बाजार सर्वेक्षण, विदेशों में प्रचार, विदेशों में प्रदर्शनियाँ लगाने, प्रतिनिधिमण्डलों, बिक्री तथा अध्ययन दलों के भेजने आदि के नियमित कार्यक्रम चलाती है। दो विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे।

(1) एक तो वर्ष 1967 में पूर्वी अफ्रीका के चुने हुए देशों को, और

(2) दूसरा, वर्ष 1968 में केवल चाय मशीनों के लिये बाजारों के अध्ययन के लिए श्री लंका को। दक्षिण पूर्वी एशियाई कुछ देशों के लिए, परिषद द्वारा प्रस्तावित एक तीसरा प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है।

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये, चाय की मशीनों सहित, इंजीनियरी माल के निर्यात के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति, नकद सहायता, शुल्क की वापसी, लोहे तथा इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर संभरण करने के रूप में सुविधाएं दी जाती हैं। गत दो वर्षों में चाय मशीनों के निर्यात इस प्रकार रहे हैं :—

1967-68	26.27 लाख
1968-69	31.62 "
1969-70 (अप्रैल-जून)	9.50 " (अनुमानित)

Indian Institutions Nationalised by Burma

2413. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 245 on the 19th February, 1969 and state :

(b) the amount of capital invested in each company ; and

(c) the action being taken by Government to protect their interests ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b) :

Names of Indian industries nationalised.	Approximate capital investment
1. Ramjasrai Sons & Co.	Kyats 17 lakhs.
2. Burma Industries.	" 15 lakhs.
3. A. I. Textile Mills	" 5 lakhs.

	Name of Indian industries nationalised.	Approximate capital investment
4.	Burma Rubber Industry	Kyats 2 lakhs.
5.	Rope Works	" 2 lakhs.
6	Umbrella Works	" 6 lakhs.
7.	United Burma Rubber Industry	" 5 lakhs.
8.	Bandoola Iron Industry	" 3 lakhs.
9.	Golyan Brothers	" 3 lakhs.

(c) The value of assets is being worked out. The question of compensation is under consideration between the two Governments. The Burmese Government have assured us of sympathetic consideration.

Fraudulent Supply of Sleepers

2414. **Shri Sharda Nand :** Will the **Minister of Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9384 on the 13th May, 1969 and state :

(a) the period for which the cases of fraudulent supply of sleepers have been pending in the Poona Court and other courts and the amount of expenditure incurred by the Railways in pursuing these cases in the courts ; and

(b) the number of dates fixed in these cases and the time likely to be taken in the final disposal of these cases and the expenditure likely to be incurred till then ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The criminal cases relating to the supply of inferior quality of bottom boards to the Central Railways have been pending in the Poona Court since 1960. No expenditure has been incurred by the Railways as these cases are not being pursued by them.

(b) Various dates were fixed for hearing of these cases and they may be disposed of by the end of September, 1969. It is difficult to indicate the total expenditure likely to be incurred on these cases till the final decision by the court. A sum of about Rs. 28,000 at least has already been spent.

Loans Advanced to Textile Mills in Madhya Pradesh

2415. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8744 on the 7th May, 1969 and state ;

(a) whether the information has since been collected in regard to the loans advanced to the Textile Mills of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof :

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) Government of India and Government of Madhya Pradesh has not granted any loan to cotton textile mills in Madhya Pradesh during the last three years.

The position of loans advanced by the Madhya Pradesh Finance Corporation and the Industrial Finance Corporation is as follows :

	Loans advanced Rs.	Outstanding as on 31.3.69 Rs.
Madhya Pradesh Finance Corporation		
1. M/s The Hira Mills Ltd. Ujjain	6,00,000	6,27,073.97
2. The Coop. Mill Ltd. Barhanpur	6,00,000	6,00,000.00
3. The Indore Malwa Mills Indore.	10,00,000	11,92, 800.03
Industrial Finance Corporation		
1. M/s Binod Mills Co. Ltd.	Nil	1,47,53,000.00*
2. M/s Nimar Textiles Ltd.	Nil	67,50,000.00
3. M/s Bilaspur Spg. Mills Ltd.	Nil	17,04,000.00

*This includes interest in default (Rs. 12.92 lakhs) as also a sum of Rs. 9.11 lakhs on account of default in deferred payment instalment guaranteed and met by the Corporation.

Manufacture of Anti-Tank Shells by M/s Pearls Cycle Firm, Delhi

2416. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have placed orders on M/s Pearl Cyce Industries Ltd., Delhi to manufacture 73 mm anti-tank shells during the yeals 1968-69 anld 1969-70 ;

(b) if so, the value thereof ; and

(c) whether it is a fact that the Ordnance Factories produce this ammunition at cheaper rates as compared to this firm ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Ordnance Factories have not yet been able to produce this store successfully.

Agro-Industrial Corporation Andhra Pradesh

2417. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8124 on the 30th April, 1969 and state :

(a) whether information with regard to the firm named Agro-Industrial Corporation, Andhra Pradesh which deals in Tobacco has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the information will be collected and placed on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c) : Enquiries made by the Government show that no such firm dealing in tobacco exists in Andhra Pradesh.

स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु पर कार्यालयों का बन्द होना

2418. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने पर प्रतिरक्षा विभाग के कार्यालयों और निर्माण-कार्यो को बन्द करने के लिए किस समय हिदायतें जारी की गई थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में भारतीय नौसेना की गोदी को 3 मई, 1969 को जिस दिन राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी खुला रखा गया था और कर्मचारियों से 5.15 बजे सायंकाल तक काम कराया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गोदी के कर्मचारियों को राष्ट्रपति की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई थी और गोदी में कोई शोक सभा भी नहीं की गई थी ; और

(घ) क्या राष्ट्रपति की स्मृति के प्रति, जो सशस्त्र सेनाओं के कमान्डर-इन-चीफ भी होते हैं, दिखाये गए इस असम्मान के लिए गोदी के अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) स्वर्गीय राष्ट्रपति के सम्मान में 3 मई, 1969 को बाद दोपहर 2 बज कर 37 मिनट पर नौसेना मुख्यालयों द्वारा कार्यालय बन्द करने के निदेश जारी किए गए थे ।

(ख) और (ग) : चूंकि 3 मई 1969 शनिवार था नौसैनिक डाकयार्ड में पहली पारी में काम करने वाले कर्मचारी पहले ही बाद दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर जा चुके थे । डाक यार्ड अधिकरणों को कार्यालय बन्द करने के निदेश सायं तीन बजे प्राप्त हुये थे और डाक यार्ड तुरन्त बन्द कर दिया गया था । संक्रियात्क कार्य के लिए अनिवार्य ओवरटाइम के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए गए थे जो सायं 5-45 से पहले विमुक्त नहीं किए जा सके थे । दूसरी पारी के लिए आने वाले कर्मचारियों को जो सायं 7 बजे शुरू होती है, राष्ट्रपति के निधन के विषय में सूचित किया गया था, और पारी रद्द कर दी गई थी । ऐसे अवसरों पर शोक सभाएं अपेक्षित नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा औद्योगिक उत्पादों की खरीद

2419. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक (क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर) ने 1965 से 1968 तक वर्षवार और राज्यवार (1) बड़े पैमाने, (2) मध्यम दर्जे और छोटे पैमाने के एककों को कुल कितने मूल्य के क्रयादेश दिये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (जिसमें इसके प्रादेशिक कार्यालय भी शामिल हैं) द्वारा दिए गए आर्डरों के आंकड़े रखने के प्रयोजन से, उद्योगों को दो वर्गों में बांटा गया है--(1) कुटीर तथा लघु उद्योग यूनिट और (2) बड़े पैमाने के यूनिट, जिसमें मध्यम दर्जे के यूनिट भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में स्थित इन दोनों वर्गो के औद्योगिक यूनिटों के पूर्तिकताओं को 1964-65 से 1967-68 तक की अवधि में दिए गए आर्डरों तथा आयातित सामान के मूल्यों के वर्षवार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1551/69]

शक्तिमान ट्रक

2420. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 से 1968-69 तक का शक्तिमान ट्रकों का वर्षवार उत्पादन लक्ष्य क्या था ;

(ख) 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार अत्याधिक उत्पादन कितना हुआ ; और

(ग) 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार प्रति ट्रक कुल उत्पादन लागत में आयातित पुर्जों के मूल्य का अंश कितना था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

एक भूतपूर्व विधि मंत्री के विरुद्ध आरोप

2421. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1969 के 'दर्पण' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के एक भूतपूर्व विधि मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या लोक सभा के एक सदस्य ने उक्त भूतपूर्व विधि मंत्री पर, जब वे विधि मंत्री थे, विवरण देकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) : 'दर्पण' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था । स्वयं माननीय सदस्य ने भी इस विषय में प्रधान मंत्री को लिखा था ।

एक भूतपूर्व विधि मंत्री के विरुद्ध बसुमती, मामले से सम्बन्धित कुछ आरोपों की, जो केन्द्रीय अन्वेक्षण ब्योरो के ध्यान में आये थे जांच जारी है । इस जांच के परिणाम की, जिसके पूरा होने में समय लगेगा, प्रतीक्षा की जा रही है ।

छावनी बोर्डों की असैनिक क्षेत्र समिति

2422. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक क्षेत्रों में इमारतों, पट्टे पर देने पर नियंत्रण के मामले में छावनी बोर्डों की असैनिक क्षेत्र समिति को शक्तियों के प्रतिनिधान के बारे में आदेश दिल्ली छावनी के सम्बन्ध में भी जारी कर दिए गए हैं और क्या इन आदेशों का कठोरता से पालन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रतिनिधान की गई शक्तियों का वास्तविक स्वरूप तथा सीमा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) : अन्य बातों सहित उल्लिखित डेलीगेशन के उपबंध के लिए छावनी बोर्ड दिल्ली द्वारा बनाए गए सम्बन्धित

विनियम की एक प्रति सलंग्न है । विनियम के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आ पाया ।

दिल्ली में असैनिक क्षेत्रों का विस्तार

2423. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी के चर्च बाजार और सदर बाजार के असैनिक क्षेत्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावित क्षेत्रों को कब तक असैनिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) : दिल्ली छावनी के असैनिक क्षेत्र में प्रसार करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । तदपि, रक्षा भूमियों के पुन:वर्गीकरण के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । एक मामले में गोपीनाथ बाजार में शापिंग सेंटर को निर्माण किए जा सकने के लिए असैनिक क्षेत्र में स्थित 'सी' वर्गभूमि के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव है । दूसरा प्रस्ताव है, एक सिनेमा तथा बैंक भवन तथा वास्य फ्लेटों के निर्माण की अनुमति के लिए गोपीनाथ बाजार के निकट असैनिक क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि का पुन: वर्गीकरण करना ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

डा० मसकेरेनहस की रिहाई

2424. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के 70 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डा० टेली मसकेरेनहस को रिहा कराने के लिये, जो गत नौ वर्षों से एक पुर्तगाली जेल में बीमार हैं, सरकार द्वारा क्या विशिष्ट प्रयास किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या यह सच है कि डा० मसकेरेनहस 11 अप्रैल, 1969 को गम्भीर रूप से बीमार हो गये थे और उन्हें एक अस्पताल में दाखिल किया गया था तथा उनका स्वास्थ्य सामान्य होने से पहले ही उन्हें पुन: जेल में डाल दिया गया ;

(ग) क्या सरकार ने एक वृद्ध और रोगग्रस्त भारतीय नागरिक के साथ इस अनुचित दुर्व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) क्या सरकार अपने पति से मिलने के लिये उनकी पत्नी को पुर्तगाल भेजने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से डा० मसकेरेनहस की रिहाई का मामला उठाया है । ये प्रयत्न अभी भी जारी हैं और यह आशा की जाती है कि ये प्रयत्न सफल होंगे ।

(ख) सरकार को यह जानकारी मिली है कि डा० मसकेरेनहस को पुर्तगाल के एक अस्पताल में, मार्च-अप्रैल, 1969 के आसपास, डाक्टरी परीक्षा के लिए ले जाया गया था । इस डाक्टरी परीक्षा का परिणाम मालूम नहीं है ।

(ग) डा० मसकेरेनहस के स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें मिली हैं, उनसे सरकार को काफी

चिन्ता है। इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे ही कि पुर्तगाल के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क के अभाव के बावजूद, भारत सरकार ने डा० मसकेरेनहस को जल्द रिहा कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया है और वह कर भी रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्पर्क के सभी सम्भव माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) सरकार से अभी तक इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया गया है। परन्तु अगर यह समझा गया कि उनके जाने से डा० मसकेरेनहस जल्द रिहा होंगे तो सरकार उनके मार्ग में नहीं आएगी।

असम में चाय-बागानों का बन्द होना

2425. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के कुछ चाय-बागान आर्थिक कारणों से बन्द हो गये हैं अथवा बन्द होने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) (1) कचार स्थित सल्वापाड़ा चाय बागान (पंजीयन संख्या 547) उसकी देखभाल के सम्बन्ध में स्वामियों की आयोग्यता के फलस्वरूप 28.12.66 से बन्द हो गया।

(2) लखीमपुर स्थित राजभोट्टा चाय बागान (पंजीयन सं० 235) अलाभप्रद हालात के फलस्वरूप 20-1-67 से बन्द हो गया।

(3) शिवसागर स्थित रावड़िया चाय बागान (पंजीयन सं० 2086 आसाम सरकार द्वारा लोक कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप 9-8-67 को बन्द हो गया अलाभप्रद-कारणों के फलस्वरूप असम स्थित किसी ऐसे चाय बागान के, जिसके बन्द होने की संभावना हो, सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ख) चाय उद्योग को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित ठोस राहतें दी है : (1) 1-10-68 से निर्यात शुल्क में छूट 24 पैसे प्रति कि० ग्रा० से बढ़ाकर 35 पैसे प्रति कि० ग्रा० कर दी गयी है, (2) 1-10-68 से मूल उत्पादन शुल्क पर लगने वाले 20 प्र० श० विशेष उत्पादन शुल्क को हटा दिया गया है (3) पहले से ही विद्यमान ऋण सुविधाओं तथा किराया खरीद आधार पर चाय बोर्ड के माध्यम से चाय परिष्करण मशीनें प्राप्त करने की सुविधा के अतिरिक्त ग्रति पुराने चाय के पौधों को बदलने के लिए मैदानी बागानों के लिए 3500 रुपये प्रति हेक्टार की दर से तथा पर्वतीय बागानों के लिए 4500 रु० प्रति हेक्टार की दर से पुनर्रोपण उपदान की भी घोषणा की गयी। विपुल परिमाण चाय पर निर्यात शुल्क पहले 35 पैसे प्रति किग्रा घटा कर 20 प्रतिशत यथा मूल्य या 2.65 रु० प्रति किग्रा, जो भी कम हो, थी, और पिछले बजट में उसे और भी कम करके 5 पैसे प्रति किग्रा घटा कर 15 प्रतिशत यथा मूल्य या 1.70 रु० प्रति किग्रा, जो भी कम हो, कर दिया गया है। धातु के डिब्बों में बन्द चाय पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर शून्य कर दी गई है और धातु से इतर डिब्बों में बन्द चाय पर निर्यात शुल्क पिछले बजट में 15 प्रतिशत यथामूल्य से घटा कर 5 प्रतिशत कर दी गई है ।

नागा विद्रोही नेता श्री मोवू अंगामी की गिरफ्तारी

2426. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पकड़े गए विद्रोही नागा नेता श्री मोवू अंगामी से कुछ समय पहले दिल्ली में कई बार पूछताछ की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पूछताछ से विद्रोही नागाओं और चीनियों के बीच कोई सम्बन्ध पता चले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : मोवू अंगामी तथा चीन से लौटे अन्य व्यक्तियों से पूछताछ से पता चला है कि चीनियों ने भूगर्भगत नागाओं को जो चीन गए थे राजनयिक और सैनिक प्रशिक्षण दिया है। चीनियों ने नागाओं को भारी राशि में आयुध गोला बारूद और धन भी दिया है।

Opening of Schools in Cantonment

2427. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Cantonment Board is permitted to open primary schools in case a Municipal Committee or Corporation does not open schools in the Cantonment Board area, while according to Government policy primary education is compulsory ;

(b) whether Mathura Cantonment Board has permitted the opening of a school there ; and

(c) whether Government propose to abolish the present system prevalent in Cantonment Boards and to vest all the powers with the elected representatives so that the people settled there also enjoy the same rights which are available to the people residing outside ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) It is the duty of every Cantonment Board so far as the funds at its disposal permit to make reasonable provision within the Cantonment for establishing and maintaining or assisting primary schools. No permission therefor is required.

(b) The Mathura Cantonment Board is running a primary school in the Cantonment. No permission is required from the Cantonment Board for opening of a school by any other authority.

(c) Does not arise in view of replies to clauses (a) and (b) above.

Poona Cantonment Board

2428. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether Cantonment Board at Poona cannot maintain its own Fire Brigade even if it has the financial resources to do so and for civil facilities they have to depend on the Army ;

(b) if so, the reaction of Government thereto and the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to abolish the present system prevalent in Cantonment Board and to vest all the powers with the elected representatives so that the people settled there also enjoy the same rights which are available to the people residing outside ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) The Poona Cantonment Board maintains its own Fire Brigade.

(b) **and (c)** : Do not arise.

संयुक्त मोर्चा सरकारों के चौथी योजना नियतन में वृद्धि

2429. **श्री सरजू पाण्डेय : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त मोर्चा की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि चौथी योजना में उनके लिए नियत राशि में 60 प्रतिशत वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी योजना नियतन को बढ़ाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हां । परन्तु 60 प्रतिशत तक नहीं ।

(ख) फिलहाल योजना नियतन में वृद्धि नहीं की जा सकती क्यों कि राज्य के अपने साधनों तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत कसौटी के अनुसार दी गई केन्द्रीय सहायता के आधार पर इनका निश्चय किया जाता है ।

(ग) और (घ) सभी राज्यों ने बढ़ौतरी की मांग की है । एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(लाख रुपये)

राज्य 1	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित 2	प्रारूप की रूपरेखा में जैसा अंकित है 3
आन्ध्र प्रदेश	66064	36055
असम	39481	22550
बिहार	49374	44161
गुजरात	56590	45022
हरियाना	26200	19049
जम्मू तथा कश्मीर	22546	14500
केरल	46675	25840
मध्य प्रदेश	55280	35596
महाराष्ट्र	100022	81180
मैसूर	44000	32710
नागालैंड	5866	3500
उड़ीसा	32149	18050
पंजाब	32500	27140
राजस्थान	31300	23896
तमिलनाडु	62368	50200

1	2	3
उत्तर प्रदेश	135000	95100
पश्चिमी बंगाल	65474	32051
कुल	870889	606600

टेलीविजन केन्द्रों के लिये उपग्रह

2430. **श्री अदिचन :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन केन्द्रों की लागत कम करने तथा देश में टेलीविजन केन्द्रों का जाल बिछाने की दृष्टि से सरकार पिछले कुछ समय से देश के टेलीविजन केन्द्रों के लिए एक उप-ग्रह स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) इस प्रकार लागत किस हद तक कम हो जाएगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हां।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय समिति के एक अध्ययन दल ने अनुमान लगाया है कि समूचे भारत में उपग्रहों के द्वारा टेलीविजन सिग्नल व्यवस्था करने पर पुराने भूस्थित सम्पर्क व्यवस्था की तुलना में अनुमानतः एक तिहाई लागत आयेगी।

नेपाल से संश्लिष्ट धागे से बने कपड़े तथा स्टेनलैस स्टील का आयात

2431. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल की यात्रा के दौरान भारत के वैदेशिक कार्य मंत्री तथा नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हाल में काठमंडू में हुई वार्ता में नेपाल से संश्लिष्ट धागे से बने कपड़े और स्टेनलैस इस्पात के आयात की समस्याओं के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वार्ता असफल हुई ;

(ग) क्या इन प्रश्नों के बारे में पुनः नई दिल्ली में बातचीत हुई है अथवा होने वाली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस बारे में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट प्रस्ताव रखे गये हैं अथवा रखे जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) : नेपाल से संश्लिष्ट धागे तथा स्टेनलैस इस्पात का भारत में आयात करने के प्रश्न पर जून, 1969 में काठमंडू में भारत के वैदेशिक कार्य मंत्री तथा नेपाल के विदेश मंत्री के बीच सामान्य रूप से बातचीत हुई थी और वे इस बात पर सहमत थे कि इस पर तथा भारत-नेपाल व्यापार से संबंधित अन्य मामलों पर अन्तःसरकारी संयुक्त समिति की अगली बैठक में विचार किया जाये। वह बैठक शीघ्र ही दिल्ली में होने की आशा है। नवम्बर, 1968 में किये गये करारों का कार्यान्वयन करने की दिशा में नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा किये गये मार्गोपायों की भी इस बैठक में समीक्षा की जायेगी।

मैसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ समूह

2432. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री प० गोपालन : **श्री गणेश घोष :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के संविहित उपबंधों के अंतर्गत सरकार को मेसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ समूह को वर्जित सूची में रखने की अनुमति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की है ?

(ग) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। कलकत्ता उच्च न्यायालय का मत है कि आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक, अमीन चन्द प्यारे लाल ग्रूप की फर्मों को आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 यथा संशोधित के उपबंधों के अधीन आयात लाइसेंस, सीमाशुल्क निकासी परमिट आदि प्राप्त करने से विवर्जित करने के लिये सक्षम हैं।

(ख) और (ग) : अमीन चन्द प्यारे लाल ग्रूप की एक फर्म को छोड़कर शेष सभी फर्मों को लाइसेंस आदि प्राप्त करने से विवर्जित करने का विनिश्चय किया गया है, जिनके ब्योरे निम्नलिखित हैं :—

फर्म का नाम	विवर्जन की सीमा	विवर्जन की अवधि
1. मेसर्स अमीन चन्द्र प्यारेलाल, कलकत्ता।	15 प्रतिशत	18.6.1966 से मार्च, 1967 तक तथा अप्रैल, 1967-मार्च,68 से अप्रैल-70-मार्च, 71 तक
2. मेसर्स एपीजय प्रा० लि०, कलकत्ता	10 प्रतिशत	वही
3. मेसर्स जे. एस. कोहेन एंड कं०, कलकत्ता।	10 प्रतिशत	वही
4. मेसर्स राम कृष्ण कुलवंतराय, कलकत्ता।	20 प्रतिशत	वही

परन्तु शेष फर्म अर्थात मेसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज प्रा० लि० को दोष-मुक्त कर दिया गया था।

भारत स्थित विदेशी दूतावासों द्वारा खर्च की गई धन राशि

2433. **श्री गणेश घोष :** **श्री सी० के० चक्रपाणी :**
श्री नम्बियार : **श्री प० गोपालन :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी है कि भारत स्थित विदेशी दूतावासों ने वर्ष 1966 से लेकर अब तक कितनी धन राशि खर्च की है ; और

(ख) इस के लिये भारत के रिजर्व बैंक को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : 1966-67 और 1967-68 में भारत-स्थित विदेशी मिशनों के संबंध में भारत के रिजर्व बैंक को 26.17 करोड़ रुपए के बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 1968-69 के आंकड़े अभी सुलभ नहीं हैं।

Text of U. S. S. R. Prime Minister's Speech at Kabul

2434. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have requested the U. S. S. R. Government to supply the authentic text of the speech delivered by the Soviet Prime Minister, Mr. Kosygin in Kabul ;

(b) if so, whether it is also a fact that the U. S. S. R. has supplied the authentic copy of the said speech to Government ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

Conference of Communist Parties in Moscow

2435. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri M. Sudarasanam :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have obtained the details of conclusions arrived at in the Conference of 75 Communist Parties held in Moscow ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The text of the final conclusions has been placed in the Library of the House.

(c) The conclusions have been noted. As the Conference was a conference of Communist Parties and not of Governments, the question of Government's reaction does not arise.

राज्यों में नलकूप लगाना

2436. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री उमा नाथ :**
श्री के० अनिरुद्धन : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की कमी से लोगों को बचाने के लिये नलकूप लगाने, नहरें खोदने आदि के काम में सेना की सहायता प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनके अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(घ) यदि सेना की सहायता नहीं दी जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) नलकूप लगाने और नहरें खोदने आदि के हेतु सेना की सहायता प्राप्त करने के लिये किसी राज्य सरकार से इस वर्ष कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। जब भी ऐसी प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं, उदाहरण के लिये 1967 में बिहार से, कर्मचारी, स्टोर और उपकरण उपलब्ध होने पर अपेक्षित सहायता दी जाती है। राजस्थान सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुँचाने में दी गई सहायता के बारे में जानकारी 30 जुलाई को अतारांकित प्रश्न संख्या 1452 के उत्तर में सभा को दी जा चुकी है।

हरयाणा सरकार के अनुरोध पर सेना ने नलकूप लगाने के लिये कूप खोदने वाली एक 'रिग' देने की पेशकश की है।

व्यापार के सम्बन्ध में भारत अफगानिस्तान संयुक्त आयोग

2437. **डा० रानेन सेन :** **श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये संयुक्त आयोग बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। दोनों देशों के अपने-अपने संसाधनों और सामर्थ्यों के तालमेल के आधार पर दोनों देशों के आपसी लाभ के उद्देश्य से अध्ययन करने और विभिन्न प्रायोजनाओं की योजना बनाने के लिए मंत्रिस्तर पर एक संयुक्त भारत अफ़गान आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग उन सभी उपायों की भी परीक्षा करेगा जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच व्यापार विनिमय के प्रसार के लिए आवश्यक हैं।

पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास में गणतन्त्र दिवस का मनाया जाना

2438. **श्री हेमराज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास को सार्वजनिक रूप से गणतन्त्र दिवस मनाने की अनुमति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'अदर रैंक्स' को दिए जाने वाला वियुक्ति भत्ता

2439. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से कितने 'अदर रैंक्स' को वियुक्ति भत्ता दिया गया ;

(ख) प्रत्येक को कुल कितनी धन-राशि दी गई ;

(ग) शिलांग में 'अदर रैंक्स' के कितने क्वार्टरों में बिजली लगी हुई हैं ;

(घ) क्या अलीपुर में 'अदर रैंक्स' तथा सैनिक अस्पताल के क्वार्टर फर्नीचर आदि से सुसज्जित हैं ; और

(ङ) क्या इन क्वार्टरों में बिजली लगी हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : **(क) और (ख)** : अवर श्रेणी सैनिकों को अवर भत्ता देय नहीं है। इसलिए गत दो वर्षों में उन्हें इस भत्ते की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 217 विवाहित वास्य भवन, और 4712 अकेलों के।

(घ) और (ङ) : अलीपुर के सैनिक हस्पताल में अवर श्रेणी सैनिकों के लिए हस्पताल और क्वार्टर सज्जित और बिजली वाले हैं।

जे० सी० ओ तथा अन्य रैंकों के यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें

2440. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिकों तथा जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों की यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : प्रत्येक श्रेणी को मिलने वाले यात्रा भत्तों का विवरण इस प्रकार है :-

श्रेणी	स्थायी ड्यूटी यात्रा	अस्थायी ड्यूटी यात्रा
1	2	3
अन्य रैंक (लैन्स नायकों और एन० सी० (ई) सहित)	(क) अपने तथा अधिकृत विवाहित अधिकारी संस्थापना में होने पर परिवार के लिये भी वारंट द्वारा तीसरी श्रेणी में निःशुल्क रेल	अपने लिये तीसरी श्रेणी में वारंट द्वारा निःशुल्क रेल यात्रा। सड़क यात्रा के लिये निःशुल्क सरकारी

1	2	3
	यात्रा । सड़क यात्रा के लिये निःशुल्क सरकारी परिवहन अथवा वारंट जहाँ पर ठेका प्रणाली है अथवा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा का वास्तविक व्यय ।	परिवहन अथवा वारंट जहां पर ठेका प्रणाली है अथवा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा का वास्तविक व्यय ।
	(ख) सामान	सामान
	(1) अविवाहित और विवाहित परन्तु अधिकृत विवाहित अधिकारी प्रतिस्थापना में नहीं 75 किलो	40 किलो
	(2) अधिकृत विवाहित प्रतिस्थापना में विवाहित, 115 किलो	
	(ग) सैनिक टुकड़ी के भाग के रूप में न जाने पर अधिकृत विवाहित अधिकारी प्रतिस्थापना के अधिकारियों को एक 'पीस स्टेशन' से तबादला किये जाने पर 30 रुपए का नकद भत्ता ।	
जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी	(क) अपने तथा परिवार के लिये प्रथम श्रेणी में निःशुल्क यात्रा । सड़क यात्रा के लिये निःशुल्क सरकारी परिवहन अथवा वारंट जहां ठेका प्रणाली है अथवा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा का वास्तविक व्यय ।	(क) वारंट द्वारा अपने के लिये प्रथम श्रेणी में और एक निजी सेवक के लिये तीसरी श्रेणी में निःशुल्क रेल यात्रा । सड़क यात्रा के लिये निःशुल्क सरकारी परिवहन अथवा वारंट जहां ठेका प्रणाली है अथवा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा का वास्तविक व्यय।
	(ख) सामान	(ख) सामान
	(1) अविवाहित जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी 150 किलो	75 किलो
	(2) विवाहित जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी 415 किलो	

1	2	3
	(ग) एक निजी सेवक के लिये वारंट द्वारा तीसरी श्रेणी में निःशुल्क यात्रा ।	
	(घ) सैनिक टुकड़ी के भाग के रूप में न जाने पर और एक 'पीस स्टेशन' से दूसरे 'पीस स्टेशन' को तबादला होने पर 40 रुपए का नकद भत्ता ।	
गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी	(क) अपने तथा अधिकृत विवाहित अधिकारी प्रतिस्थापना में होने पर परिवार के लिये भी दूसरी श्रेणी में वारंट द्वारा निःशुल्क रेल यात्रा । सड़क यात्रा के लिये निःशुल्क सरकारी परिवहन अथवा वारंट जहां पर ठेका प्रणाली है अथवा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा का वास्तविक व्यय ।	अपने लिये वारंट द्वारा दूसरी श्रेणी में निःशुल्क यात्रा । सड़क यात्रा के लिये निःशुल्क सरकारी परिवहन अथवा वारंट जहां पर ठेका प्रणाली है अथवा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा का वास्तविक व्यय ।
	(ख) **सामान**	**सामान**
	(1) अविवाहित और विवाहित परन्तु अधिकृत विवाहित अधिकारी प्रतिस्थापना में नहीं 75 किलो	40 किलो
	(2) अधिकृत विवाहित अधिकारी प्रतिस्थापना में अधिकारी 190 किलो	
	(ग) सैनिक टुकड़ी के भाग के रूप में न जाने पर अधिकृत विवाहित अधिकारी प्रतिस्थापना में अधिकारी को एक 'पीस स्टेशन' से तबादला होने पर 30 रुपए नकद भत्ता	

अवकाश यात्रा

जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों, गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य रैंकों को

वार्षिक अवकाश पर जाने के समय अपनी ड्यूटी के स्थान से घर तक तथा वहां से वापसी के लिये वर्ष में एक बार वारंट द्वारा निःशुल्क रेल यात्रा करने की अनुमति है, यदि वे दो वर्ष के एक चक्र में एक वर्ष के लिये इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं तो वे आधा रेल किराया देकर एक वर्ष के वारंट की लागत को रेल से रियायती वाउचरों द्वारा अपने परिवार को ले जाने के लिये उपयोग कर सकते हैं।

जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य रैंकों के लिये दैनिक भत्ता

यदि निःशुल्क मेस अथवा उसके बदले में निःशुल्क राशन का लाभ न लिया जाये तो जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्बन्धी व्यक्ति के कमान अधिकारी द्वारा प्रमाणित यात्रा के दौरान भोजन के लिये नौवहन कम्पनी द्वारा वसूल की गई वास्तविक राशि और वास्तविक व्यय परन्तु इसके अतिरिक्त कोई दैनिक भत्ता / मेस भत्ता / राशन भत्ता नहीं मिलेगा।

(घ) जब सरकार उनके लिये भोजन सहित यात्रा की व्यवस्था नहीं कर पाती और जब नौवहन कम्पनियां भोजन सहित यात्रा टिकट जारी नहीं करती हैं, नौसैनिक जहाजों के अतिरिक्त अन्य जहाजों पर ड्यूटी पर प्रधान भूभाग और कार निकोबार द्वीपसमूह के बीच समुद्र यात्रा के लिये।

तथा अन्य रैंक यात्रा पर अथवा अस्थायी ड्यूटी पर रूकने के लिये निम्न रूप में भत्ते पाने के अधिकारी होते हैं :—

	प्रति व्यक्ति प्रति दिन
(क) ड्यूटी पर रेल/सड़क यात्रा	4.50 रुपये
(ख) किसी स्टेशन पर, जहाँ उन्हें जलपान गृह में भोजन करना पड़ता है, वहन नियंत्रण कार्य पर लगाये जाने पर	4.50 रुपये
(ग) किसी अन्य स्टेशन पर अस्थायी ड्यूटी पर लगाये जाने अथवा ऐसे कैम्पों में भाग लेने पर जहां सरकार राशन नहीं दे सकती है।	डाक बंगले आदि के शुल्क सहित सम्बन्धित अधिकारी के कमान अधिकारी द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय परन्तु यह 4.50 रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं हो सकता।
(घ) हरकारे के काम पर लगाये जाने पर	4.50 रुपये
(ङ) गुप्त उपकरण ड्यूटी पर लगाये जाने पर	4.50 रुपये
(च) निःशुल्क राशन न दिये जाने पर एम्बुलैंस काफिले अथवा सामान्य रेल से यात्रा करने वाले रोगियों के लिये।	4.50 रुपये

जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन और भत्ते

2441. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जूनियर

कमीशन अधिकारियों के वर्तमान वेतन भत्ते और वृद्धियों की दरों में सुधार करने और उनको सेना से बाहर दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और वृद्धियों की दरों के समान करने की सरकार की कोई योजना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग के वेतन मान समतुल्य असैनिक सेवाओं के लिए पहले वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन मानों से संबद्ध हैं। जे० सी० ओज़० समेत सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के वेतन मानों का पुनरीक्षण समस्त सरकारी कर्मचारियों को आवृत करने वाले समग्र पुनरीक्षण के अंश के रूप में ही हस्तगत किया जा सकता है।

जहां तक भत्तों का संबंध है, उनका समय समय पर पुनरीक्षण किया गया है, और कई सुधार किए गए हैं। अभी हाल ही में विभागीय समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा स्वीकृति पर, विशेष तौर पर सशस्त्र सेनाओं के लिए (जे० सी० ओज़० समेत) भत्तों और रियायतों में काफी सुधार किए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भारतीयों की भर्ती के लिये प्रकिया में संशोधन।

2442. **श्री एन० शिवप्पा : श्री घो० ना० देव : श्री प्र० के० देव : श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में कुल कितने भारतीय नियुक्त हैं ;

(ख) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौकरियों के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं ;

(ग) और क्या सरकार ने इस प्रकार की नियुक्तियों के बारे में हाल ही में की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 31 अगस्त, 1968 को 65 भारतीय राष्ट्रिक व्यावसायिक और कार्यकारी वर्गों में, और अन्य 65 निम्न वर्गों में नियुक्त थे।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) नहीं, क्योंकि भर्ती संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के महा सचिव द्वारा की जाती है, न कि सदस्य राज्यों की सरकारों द्वारा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात नीति

2443. **श्री रा० कृ० बिड़ला : श्री धीरेश्वर कलिता : श्री रवि राय :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार पांच सूत्री निर्यात नीति अपनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस नीति को कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यातों सम्बन्धी नीति को चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969--74 के मसौदे के पृष्ठ 39-41 पर पैराग्राफ 2.23--2.24 तथा पृष्ठ 93-94 पर पैराग्राफ 4.41--4.44 में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है । संक्षिप्त रूप में नीति का उद्देश्य निर्यात के लिए अतिरिक्त माल तैयार करने, निर्यातों की प्रतियोगिता-क्षमता सुधारने, ऐसी अयोग्यताओं को दूर करने, जिनसे निर्यातक ग्रस्त हैं और परिवर्तनशील स्थितियों के साथ समायोजन के लिए अपेक्षित लचीलापन रहते हुए निर्यात नीतियों में कुछ स्थायित्व लाने हेतु नीति सम्बन्धी उपाय तैयार करना है ।

(ग) इस योजना को सरकार द्वारा समय समय पर किये जा रहे विभिन्न उपायों द्वारा उत्तरोतर क्रियान्वित किया जा रहा है ।

भारत-अफगानिस्तान संयुक्त आयोग

2444. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अफगानिस्तान ने परस्पर लाभ की परियोजनाओं का अध्ययन करने तथा उस सम्बन्ध में योजना बनाने के लिये मंत्री स्तर पर एक संयुक्त आयोग बनाने के बारे में अपने निर्णय की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । दोनों देशों के अपने-अपने संसाधनों और सामर्थ्यों के तालमेल के आधार पर दोनों देशों के आपसी लाभ के उद्देश्य से अध्ययन करने और विभिन्न प्रायोजनाओं की योजना बनाने के लिए मंत्रि स्तर पर एक संयुक्त भारत अफगान आयोग की स्थापना की गई है । यह आयोग उन सभी उपायों की भी परीक्षा करेगा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार विनिमय के प्रसार के लिए आवश्यक हैं ।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिये विशाखापत्तनम पत्तन योजना

2445. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने जापान को दीर्घावधि आधार पर 2250 लाख टन लौह-अयस्क बेचने को पेशकश की है ;

(ख) क्या दक्षिण भारत से लौह-अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये 31 करोड़ रुपये परिव्यय वाली विशाखापत्तनम बाहरी पत्तन योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विशाखापत्तनम पत्तन योजना कब तक आरम्भ की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विशाखापत्तनम, हल्दिया तथा पारादीप पत्तनों से 15 वर्ष की अवधि में बेलाडिला, किरिबुरु, दायतारी तथा बराजमदा क्षेत्र की खानों से लगभग 21.8 करोड़ मे० टन लौह अयस्क के संभरण के लिए जापानी इस्पात मिलों को पेशकश की है ।

(ख) और (ग) : बेलाडिला की खानों से अधिकाधिक परिमाण में अयस्क के निर्यात के लिए विशाखापत्तनम पर बाह्य बन्दरगाह बनाना सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। सलाहकार अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है। वर्ष 1974-75 तक बाह्य बन्दरगाह के तैयार हो जाने की संभावना है।

भारतीयों के लिये बर्मा की नागरिकता

2446. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने निर्णय किया है कि बर्मा की नागरिकता बर्मा के उन गैर-राष्ट्रीयकों को दी जायेगी जो बर्मा के सच्चे तथा वफादार नागरिक सिद्ध होंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बर्मा की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत मूलक के लोगों के 35000 आवेदन-पत्र काफी समय से सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ग) क्या भारत मूलक व्यक्ति नागरिकता के लिये निर्धारित स्तर के सिद्ध नहीं हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और उन लोगों की संख्या कितनी है जिनको अब तक नागरिकता दे दी गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) ज़ी हां।

(ग) जी नहीं। उनके आवेदन पत्र बर्मा सरकार के परस्वाधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्बाध व्यापार

2447. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी मित्र देशों के साथ व्यापार पर से नियंत्रण हटाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) मित्र देशों के साथ हमारे व्यापार पर केवल वस्तु-वार नियंत्रण हैं जो कि हटाये नहीं जा सकते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेकिंग रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार

2448. **श्री तुलसी दास दासप्पा :** **श्री गार्डिलिंगन गौड :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में रेडियो पेकिंग ने भारत विरोधी प्रचार का कार्य जोरों पर करना आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) 30 जून 1968 से 30 जून 1969 की अवधि के बीच सरकार ने चीन को कितने विरोध पत्र भेजे हैं ; और

(घ) भारत विरोधी प्रकार का निराकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) ऊंचे स्तर पर भारत की विदेश नीति के खिलाफ चीनी प्रचार करना भारत की अंदरूनी स्थिति के बारे में विकृत समाचार देना काफी समय से चल रहा है। भारत सरकार ने इस तरह के प्रचार की निंदा की है और समय-समय पर चीनी सरकार से इसे बन्द करके सामान्य अन्तर्राष्टीय व्यवहार के रास्ते पर आने के लिए कहा है।

(ग) भारत सरकार ने 30-6-68 से 30-6-69 के बीच चीन सरकार से तीन बार विरोध किया है।

(घ) भारत सरकार और उसके विदेश स्थित मिशन प्रेस, रेडियो और प्रचार के दूसरे माध्यमों से सही तथ्यों का प्रचार करके चीन के झूठे और शत्रुता पूर्ण प्रचार का प्रतिकार करने के हर मौके का उपयोग करते हैं।

वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन के अधिकारी

2449. **श्री जुगल मंगल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन के महानिदेशक तथा उप महानिदेशक के पदों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन पदों पर इस समय कार्य कर रहे व्यक्तियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है अथवा बढ़ाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उनके बढ़ाये गये कार्यकाल में इन अधिकारियों को देय उनके वेतन और भत्ते की विदेशी मुद्रा में अनुमानित राशि कितनी होगी ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन में इन पदों का कार्यकाल सामान्यतया तीन वर्ष होता है।

(ग) और (घ) उप महानिदेशक ने अपने पद का कार्य-भार अभी हाल ही में संभाला है, इसलिए उनका स्थानान्तरण अभी अपेक्षित नहीं है। महानिदेशक पहली अक्तूबर, 1969 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या उनके कार्यकाल में वृद्धि की जाये।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Misbehaviour with women by Soldiers of Dharangdhara Military Camp

2450. **Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Virendrakumar Shah :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint to the effect that some soldiers of the Dharangdhara Military Camp misbehaved and beat some women in a passenger train bound for Halwarha on the 19th May, 1969 ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the action proposed to be taken to avoid recurrence of such activities ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Military personnel concerned are being tried by a Court Martial.

(c) Every such incident is viewed seriously and is dealt with promptly under the Army Act and the punishment is publicised.

पूर्वी पाकिस्तान द्वारा विरोधपत्र

2451. **श्री किरित बिक्रम देव वर्मन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने त्रिपुरा की सरकार को ऐसा विरोध पत्र भेजा है कि इस वर्ष मई 1969 के दूसरे सप्ताह में कोमिल्ला-त्रिपुरा सीमा के समीप कोमिल्ला जिला में चुड्डाग्राम पुलिस थाने के अंतर्गत केटीपुरा से दूर भारतीय सीमा बल ने पाकिस्तान नागरिकों को जान से मार डाला है ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का सही व्यौरा क्या है ; और

(ग) उस विरोध पत्र के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। 14 मई 1969 को पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने त्रिपुरा सरकार से तार द्वारा यह आरोप लगाते हुए विरोध प्रकट किया कि 8-5-69 को गश्त लगाने वाले एक भारतीय सुरक्षा दल ने कोमिला जिला की सीमा के पास दो बार गोलियां चलायीं, जिससे एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक अब्दुससल्लाम की मृत्यु हो गई।

(ख) इस घटना में सही तथ्य ये हैं कि 8 मई 1969 को चन्द्रपुर में पुरन राजबाड़ी थाना के हमारे एक गश्ती दल ने, हमारी सीमा के 1,000 गज़ अन्दर के इलाके से वन-उपज चुराने वाले एक पाकिस्तान गिरोह का पता लगाया था। चुनौती देने पर बद्‌माशों ने दल पर दाव के साथ धावा बोल दिया और एक भारतीय सिपाही की राइफल ले लेने की कोशिश भी की। सिपाही के पास अपनी रक्षा के लिए दो बार गोली चलाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था, जिसमें एक अज्ञात पाकिस्तान बदमाश मारा गया। अन्य घुसपैठिए पाकिस्तानी भाग गए।

(ग) 9 मई 1969 को पाकिस्तान अधिकारियों को सही तथ्यों की जानकारी करा दी गयी थी, उनसे यह अनुरोध किया गया है कि पाकिस्तानी राष्ट्रकों द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की आवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठावें।

प्रधान मन्त्री की जापान यात्रा

2452. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री अब्दुल गनी दार : **श्री जुगल मंडल :**
श्री जि० मो० बिस्वास : **श्री देवेन सेन :**
श्री अदिचन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री वेणीशंकर शर्मा : **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में शाँति की संभव तथा आर्थिक सहयोग के बारे में विचार विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किस संदर्भ में और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। एशियाई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में भारत और जापान के प्रधान-मंत्रियों में विचार-विमर्श हुआ था। इस यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1552/69]।

(ग) जैसा कि इस संयुक्त विज्ञप्ति से पता चलेगा, कोई निर्णय नहीं लिए गए थे सिर्फ एशियाई क्षेत्र की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श हुआ था।

हिमालय के सीमावर्ती देशों की परियोजना

2453. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित जेम्स रिजवे द्वारा लिखित 'दि क्लोजड कारपोरेशन' नामक पुस्तक में लिखित विषयवस्तु की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उस पुस्तक में दी गई रिपोर्टों की जांच की है कि पेंटागन द्वारा दिये गये धन के अनुसन्धान केन्द्र ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहा है जैसे कि सिक्कम, नेफा आदि की प्रतिरक्षा क्षमता;

(ग) क्या हिमालय सीमावर्ती देश परियोजना को जो मूलतः फोर्ड फाऊंडेशन द्वारा स्थापित की गई थी और केलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाती थी, जैसा कि उपर्युक्त पुस्तक में लिखा है, चालू रखने की अनुमति दी गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अमरीका सरकार के साथ इन विषयों पर बातचीत करने का है और इस बीच अपने देश के हित में बचाव की सभी कार्यवाहियाँ करने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने जेम्स रिजवे द्वारा हाल में प्रकाशित 'दी क्लोज्ड कारपोरेशन' नामक पुस्तक देखी है और उसका ध्यान उस पुस्तक की विषय वस्तु की ओर दिलाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने केलिफोर्निया विश्वविद्यालय की हिमालय-सीमावर्ती देश परियोजना पर पुनर्विचार किया था और परियोजना के अधीन जो अनुसंधान योजनाएं थी उन्हें बन्द

कर दिया गया है । इस प्रकार की परियोजनाओं की पुनरावृत्ति को खतम करने के लिए सभी पूर्वोपायी साधन अपनाए गए हैं ।

ट्रांसमिटरों का निर्माण

2454. **श्री शिवप्पा : श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसमिटरों के निर्माण के लिए एक नए कारखाने की स्थापना की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थापित किए जायेंगे, तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ट्राँस्मिटरों के निर्माण के लिए नये कारखानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अधिकारियों के पास आयातित कारें

2455. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधिकारियों की वर्गवार संख्या कितनी है जिनके पास भारत में आयातित कारें हैं ;

(ख) ये कारें किन साधनों से प्राप्त की गई थीं ;

(ग) क्या इन कारों को प्राप्त करने से सम्बन्धित कार्यवाही नियमानुसार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) प्रथम श्रेणी --67
द्वितीय श्रेणी -- 8

(ख) इन अधिकारियों ने ये कारें सरकार से ऋण लेकर अथवा अपनी बचत के रूपए से या सरकारी ऋण और बचत दोनों के रूपए मिलाकर खरीदी है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग

2456. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्रियों अथवा सरकारी विभागों द्वारा आयातित कारों के प्रयोग पर कोई रोक तथा प्रतिबन्ध लगाया था और यदि हाँ, तो क्या;

(ख) इस प्रकार के प्रतिबन्ध लागू होने से मंत्रियों / सरकारी विभागों के प्रयोग के लिये राज्य व्यापार निगम अथवा अन्य साधनों से कितनी आयातित कारें मंगाई गई थीं ;

(ग) इस समय सरकारी कार्यालयों तथा मंत्रियों के लिये कितनी विदेशी कारों का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(घ) उनके स्थान पर भारतीय कारों को लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (घ) : जुलाई, 1964 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने एक निदेश जारी किया कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों को विशाल आराम-दायक कारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे मामलों को छोड़कर जहां विशेष आवश्यकता सिद्ध की जाये, राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकारी विभागों को ऐसी कारों की बिक्री नहीं की जानी चाहिए । सितम्बर, 1966 में मंत्रि-मंडल सचिवालय द्वारा सभी मंत्रियों / विभागों को हिदायतें जारी की गई थीं कि स्टाफ कारों पर, विशेषत: व्यय कम करने के उद्देश्य से, मंत्रियों के प्रयोग के लिये रखी जाने वाली कारों पर प्रत्येक मन्त्रालय/ विभाग मंत्रियों के प्रयोग के लिये केवल एक बड़े प्रकार की विदेश में निर्मित पोस्ट-1960 माडल कार रखें । इस संख्या से अधिक कारें निपटान के लिये राज्य व्यापार निगम को वापिस की जानी थी और उन्हें भारतीय कारों से बदला जाना था । नवम्बर, 1968 में राज्य व्यापार निगम को उपयोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को कारों की बिक्री के लिये क्रियाविधि के बारे में हिदायतें भी जारी की गई हैं ।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Sick Textile Mills

2457. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of sick textile mills taken over by Government so far ;

(b) the total amount of expenditure that Government had to incur on commissioning these mills ;

(c) the number of mills among those taken over by Government which were already functioning and of those which were closed, separately ; and

(d) the reasons for taking over the closed mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) 15 (excluding the mills already returned to their owners.)

(b) No expenditure as such has been incurred by the Central Government on commissioning these mills. However, besides giving loans aggregating Rs. 175 lakhs, the Central Government have stood guarantee to the extent of Rs. 241.75 lakhs.

(c) Four mills were functioning and eleven were closed at the time of their take over.

(d) For restarting them in the interest of maintain production.

Foreign Trade Undertaken by S. T. C.

2458. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the details of goods imported and exported by the State Trading Corporation during the last six months and the names of countries from which these were imported and of those to which they were exported ;

(b) the amount of foreign exchange spent and earned by the above import and export by the Corporation ; and

(c) the amount of loss sustained or profit earned by the export of each of the items ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c) : The information required is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Trade Agreements

2459. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of new trade agreements concluded by Government during the last three months and the names of countries with whom these agreements have been concluded ; and

(b) the details of goods that would be imported and exported under those agreements ;

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdary Ram Sewak) : (a) No new Trade Agreements have been concluded by Government during the last three months.

(b) Does not arise.

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

2460. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी :** **श्री द० रा० परमार :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से 1968 के दौरान मैंगनीज अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष में प्रति टन निर्यात मूल्य क्या था ;

(ख) वर्ष 1940 से 1950 के बीच इस देश से मैंगनीज अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात हुआ ; और

(ग) निर्यात में कमी के कारण कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) भारत, मैंगनीज अयस्क के विभिन्न वर्गों, जो रासायनिक तथा यांत्रिक दोनों प्रकार की रचना की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, का निर्यात करता रहा है । हर साल विभिन्न परिमाणों में निर्यात किये गये वर्गों को देखते हुए किसी उपयुक्त एकक मूल्य का हिसाब लगाना संभव नहीं है । निर्यातों से मिलने वाले मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवर्तित मूल्यों, जो पूर्ति तथा मांग द्वारा नियंत्रित होते हैं, पर निर्भर

होते हैं। 1964 से 1968 के दौरान मैंगनीज अयस्क का जितना निर्यात किया गया और उन निर्यातों से कुल जितनी आय हुई वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	परिमाण (हजार मे० टनों में)	मूल्य लाख रुपये में (अवमूल्यन के पश्चात के रुपये में)
1964	1,576	2146
1965	1,095	1433
1966	1,348	1619
1967	1,108	1269
1968	1,189	1208

(ख) 1940 तथा 1950 के पंचांग वर्षों के निर्यात आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन वर्षों के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे गये थे। 1940-41 तथा 1950-51 के दौरान मैंगनीज अयस्क निम्नलिखित मात्रा में निर्यात किया गया था :—

	परिमाण हजार मे० टन में
1940-41 (वित्तीय वर्ष)	518
1950-51 (वित्तीय वर्ष)	834

(ग) देश में मैंगनीज अयस्क की खानों में नियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नियोजित व्यक्तियों की दैनिक औसत
1964	42,199
1965	45,113
1966	46,983
1967	44,789
1968 (जनवरी से मई)	39,411

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

2461. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैंगनीज के निर्यात में तथा निर्यात-मूल्य में कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात तथा निर्यात-मूल्य को बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में मैंगनीज अयस्क के निर्यात निम्नलिखित थे :—

मात्रा '000' मे० टन में
मूल्य लाख रुपये में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1966	1348	1619
1967	1108	1269
1968	1189	1208

वर्ष 1968 में निर्यातों की मात्रा वर्ष 1967 के निर्यातों की तुलना में बढ़ गई है। सम्भरण के अन्य स्रोतों से सख्त प्रतियोगिता होने के बावजूद खनिज तथा धातु व्यापार निगम मैंगनीज अयस्क के निर्यातों को 10 लाख मे० टन के लगभाग बनाये रख स का जो कि गत कुछ वर्षों के निर्यातों का औसत स्तर है। परन्तु उच्च कोटि के मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी हो रही है। निर्यातों में गिरावट होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) बढ़िया भौतिक विशेषताओं तथा रासायनिक संरचना वाली किस्मों में बन्द स्रोतों (मुख्यतः ब्राजील, गाबेन तथा घाना में) के उत्पादन का विस्तार ;

(2) आस्ट्रेलिया जैसे नये स्रोतों का उद्भव होना ;

(3) भारतीय अयस्क की संबंधित कठिनाइयां, उदाहरणार्थ उत्पादन की ऊंची कीमत रेल द्वारा अधिक लम्बी ढुलाई, अनुपयुक्त तथा लदान सुविधाएं ;

(4) स्वेज नहर का बन्द होना, जिससे प० यूरोप तथा सं० रा० अमेरिका को की जाने वाली बिक्रियों पर 2 डालर प्रति मे० टन से अधिक समुद्री भाड़ा बढ़ गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आ जाने से निर्यात मूल्य गिर गये थे क्योंकि विश्व में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन शेष मांग से बढ़ गया था।

(ख) प्रतिकूल विपणन परिस्थितियों के बावजूद खनिज तथा धातु व्यापार निगम अपने बाजारों पर कब्जा बनाये रखने के लिये बिक्री संवर्धन के उपाय जारी रख रहा है। बिक्री की बातचीत करने और बाजार की अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में इसके प्रतिनिधि मंडलों ने प० यूरोप, सं० रा० अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने प्रतियोगी मूल्यों की पेशकश की है और वे हमारे परम्परागत खरीदारों को भारतीय मैंगनीज अयस्क की खरीद जारी रखने के लिये राजी कर पाये हैं।

स्वदेश में, परिवहन तथा पत्तन सुविधाओं के विकास के लिये समेकित परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही है। इनके पूर्ण होने पर समुद्री भाड़ा कम हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अयस्क की प्रतियोगिता क्षमता में सुधार आजायेगा।

सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार

2462. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति बच्चों को इनाम बांट रही है, जो उनको रूस में 1 महीने के लिये छुट्टी मनाने के रूप में है ;

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों से ऐसा हो रहा है ;

(ग) भूतकाल में जिन बच्चों ने इनाम जीता था, क्या उनको इस यात्रा के लिए (पी) फार्म और पारपत्र दिए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस पुरस्कार के अन्तर्गत कितने बच्चे रूस गए और उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1965 से।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1553/69]

खराब टायरों की खरीद

2463. **श्री मधु लिमये :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खराब टायरों की खरीद के बारे में लोक लेखा समिति द्वारा अपने इक्कासीवें प्रतिवेदन (चौथी लोकसभा) में की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने लापरवाही तथा अन्य गलतियों के लिये दोषी पाये गए अधिकारियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के प्रतिवेदन में जिन विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है ;

1. राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन की जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित तीन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

2. **पूर्ति विभाग :**

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सिफारिश की थी कि भूतपूर्व पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के मामले में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। यह निर्णय किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सिफारिश की थी कि एक उप-निदेशक, एक सहायक तथा एक अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये। ब्यूरो का प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले ही इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरु की गई थीं। ब्यूरो

द्वारा रिकार्ड ले लिये जाने के कारण उप-निदेशक के विरुद्ध मौखिक जांच रोक दी गई थी। इस बीच यह जांच पुनः आरम्भ हो गई है। अनुभाग अधिकारी का सफाई का बयान प्राप्त हो गया है परन्तु उप-निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इसके बारे में कोई अन्तिम विचार बनाया जा सकेगा। सहायक के बारे में जाँच अधिकारी ने निर्णय किया है कि उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं किये जा सके हैं। परन्तु सहायक की आयु 55 वर्ष की होने पर उसे समय से पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निरीक्षण निदेशक तथा सहायक निरीक्षण निदेशक के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का सुझाव दिया था परन्तु यह निर्णय किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सिफारिश की थी कि एक अन्तर्ग्रस्त फर्म का नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जाये। इस बारे में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

3. प्रतिरक्षा मन्त्रालय

कमान अधिकारी, केन्द्रीय आयुधागार, मलाद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में स्थिति लोक लेखा समिति (चौथी लोक सभा) 81 वें प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दी गई है।

4. प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग

सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी।

विदयुत करघों का आयात

2464. **श्री अब्दुल गनीदार : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पुराने करघों के स्थान पर नये विद्युत करघों का आयात किया गया था ;

(ख) क्या राजकीय व्यापार निगम ने इन नये विद्युत करघों का आयात किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या कानपुर के लिये आयातित करघों को राजकीय व्यापार निगम के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया था ; और गैर-सरकारी पक्षों को आयात करने की अनुमति दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अनुमति दी जाने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

रुई कताई और बुनाई मिलें

2465. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कताई और बुनाई की कितनी नई मिलें स्थापित की गई हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

गत तीन वर्षों में स्थापित की गई नई सूती कताई तथा बुनाई मिलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	सूती कताई मिलों की सं०	सूती कताई तथा बुनाई मिलों की सं० (मिश्रित)
1966	19	कोई नहीं
1967	18	कोई नहीं
1968	7	कोई नहीं

रोडेशिया की नाकाबन्दी

2466. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोडेशिया की नाकाबन्दी लागू करने के प्रस्ताव पर भारत ने किस पक्ष में मतदान किया ; और

(ख) उसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 29 मई, 1968 को सुरक्षा परिषद् ने दक्षिण रोडेशिया के विरुद्ध व्यापक प्रादेश-प्राप्त सत्ता के प्रतिबन्ध पर एक प्रस्ताव ग्रहण किया । भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया ।

(ख) भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में इस उम्मीद से मतदान किया कि सभी राज्यों द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने से दक्षिण रोडेशिया में अवैध जातीय सरकार का अन्त हो जाएगा ।

Rehabilitation of Ex-Servicemen

2467. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the suggestion which was made in the Seminar organised by the Business Administration and Industrial Management Department of Delhi University for taking steps by the Government with a view to solve the rehabilitation and employment problems of ex-servicemen ;

(b) whether Government have sought suggestions from the Planning Commission for solving the rehabilitation problem of ex-servicemen ;

(c) whether the suggestions have been received by Government ; and

(d) if so, the details thereof and the reaction of Government in regard to part (a) above ?

The Minister of pefence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) : A Seminar was held on 13th June, 1969, as a normal part of the syllabus of the Management Orientation Course for Defence Service officers organised by the Delhi University. The Deputy Defence Minister and Shri R. Venkataraman Member Planning Commission addressed. No proceedings of the Seminar seem to have been kept.

Government, however, welcome suggestions designed to help the resettlement of ex-Servicemen from all quarters. Various aspects of the problem of resettlement of ex-Servicemen were discussed in an inter-Ministerial meeting convened in 1966 by the Planning Commission.

Suggestions were made at the meeting for closer co-ordination between the various agencies, evaluation of progress made in the scheme for resettlement of ex-Servicemen, establishment of liaison with the private sector, giving of pre-release training to other ranks in agricultural and allied occupations, semi-skilled trades, etc., and enhancement of stipends for servicemen trainees at the various training institutions. The suggestions are being acted upon to the extent possible.

H. M. T. Plant in Luxemburg

2468. **Shri Shashi Bhushan.** Wi'l the Minister of **Foriegn Trade and Supply** be pleased to state :

(a) tne details of the agreement concluded between the Governments of India and Belgium for settin; up the Hindustan Machine Tools plants in Luxemburg ;

(b) the broad outlines and proposed production capacity of the plant and the names of countries in which efforts would be made to create market for the Hindustan Machine Tools machines ;

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned by India as a result of setting up this plant ; and

(d) the names of foreign firms and the details of agreements concluded with them for obtaining foreign collaboration by the Hindustan Machine Tools ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhury Ram Sewak) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) As per Annexure appended.

Annexure

Products	Foreign Collaboration
1. High Speed Production Lathe Models H22 and DA Lathes	Machine Tool Works Oerlikon, Buerhrle Ltd., Zurich, Switzerland.
2. Centre Lathe—LB Series	M/s Ernault Batignolles, 169, Rue d' Alesia, Paris (France).
3. High Power Milling Machines (M2/M3) Mech. type	M/s Fritz Warner A. G., Marienfelde, Berlin (W. Germany)
4. Electrically Controlled Milling Machine 2D/3, 3D/4, 4D/5 and 5D/6	---do—
5. Radial Drilling Machines	M/s Hermann Kolb, Koeln, Ehrenfeld, West Germany.
6. Hydraulic Cylindrical Grinding Machines	M/s Officina Mecannica Olivetti, San Bernardo d' Ivrea, Torino, Italy.
7. Hydraulic Surface Grinding Machines	M/s Limex G. m. b. H., Taubenstrasse, 4-6 Berlin W8, G. D. R
8. Special Purpose Machines	M/s Regie Nationale des Usines Renault, Billancourt, Seine, France.

9.	Gear Shaping Machines	M/s Drummond Brothers Ltd. Rydes Hill, Guildfort. Surrey, (U.K.)
10.	Gear Hobbing Machines	M/s Hans Liebherr, Kempten, Allgau, W. Germany.
11.	Single Spindle Automatics	M/s Manufacture de Machines due Haut Rhin S. A., Mulhouse, Bourtzwiller, France.
12.	Copying Lathes	M/s H. Ernault-Somua S. A., 19, Rue De' Alesia, Paris, France.
13.	Multi Spindle Automatics	M/s Gildemeister & Comp. A. G., Bielefeld, West Germany.
14.	Multi Tool Automatic Lathes	M/s Jones and Lams Division of Waterbury Farrel, Springfield, Vermont, U. S. A.
15.	Drum Turret Lathes	M/s Gildemeister and Comp A. G. Bielefeld, West Germany.
16.	Horizontal Boring Machines	M/s Pegard S. A., Andenne, Belgium.
17.	Broaching Machines	M/s Oswald Forst G. m. b. H., Solingen, West Germany.
18.	Berg Clamping Devices and Power Chucks	M/s Finmotil S. A., Zurich, Switzerland.
19.	Die Casting Machines and Plastic Injection Moulding Machines	M/s Interfonda Ltd., St. Gall, Switzerland.
20.	Drilling and Boring Machine	M/s Ateliers GSP, 92 Courbevoie, France.
21.	Hydraulic Presses and Press Brakes	M/s Verson Allsteel Press Co., Chicago, U. S. A.
22.	Wrist Watches	M/s Citizen Watch Co. Tokyo, Japan.

Indian Experts for Afghanistan

2469. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to send Indian experts to Afghanistan for the development of that country ; and

(b) if so, when the said experts would be sent there and the nature of development work for which they would render this assistance ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (**Shri Surendra Pal Singh**) : (a) **and** (b) : Government of India have received requests for technical assistance from the Government of Afghanistan **inter alia** in the fields of agriculture, irrigation & power, health and public works. It is proposed to meet these requests within the limitation of our resources and as soon as possible.

Hydrogen Bombs with China

2470. **Shri Bansh Narain Singh : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'Hindustan' of the 28th June, 1969 that China has 30 hydrogen bombs at present ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government feel that the said bombs can be used against India ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) and (b) : As stated in answer to Starred Question No. 376 on 27th November 1968, it is known that China could produce about 40 nuclear bombs every year of 20 kiloton capacity. China has also capacity to produce Hydrogen Bombs, but it is not possible to confirm that they have already built up a stockpile of 30 such bombs.

(c) and (d) : Government's assessment in this regard has been conveyed to the House on 23rd July, 1969 in answer to Unstarred Question No. 462.

Return of Indians by Pakistan

2471. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Bansh Narain Singh : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has returned some of those Indian nationals in June, 1969 who had been arrested by her ;

(b) if so, the number thereof and the States to which they belong ;

(c) the number of persons out of them who have been found mentally deranged ;

(d) the reasons therefor ; and

(e) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : **(a) and (b)** : Yes, Sir. A batch of 32 Indians, who were lodged in the Internment Camp at Lahore on their release from various jails in Pakistan was repetriated to India on the 27th June, 1969. They belonged to the following States :

Uttar Pradesh	7
Jammu & Kashmir.	6
Punjab	7
Rajasthan	5
Kerala	1
Madhya Pradesh	2
Bihar	1
Andhra Pradesh	2

Gujarat 1

(c) to (e) Five persons were found to be mentally deranged. According to information furnished by the State Governments concerned all these five persons were mentally deranged before they strayed into Pakistan.

ए० एम० आई० ई० डिप्लोमा धारकों को वेतन-वृद्धि देना

2472. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि 4 फरवरी, 1969 को यह आदेश जारी किए गए थे कि उन इंजीनियरी डिप्लोमा धारकों को तीन अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां देकर उनके वेतन पुनः निर्धारित किए जायेंगे, जिन्होंने ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर ली हो ; किन्तु फिर भी इन आदेशों को अभी तक लागू नहीं किया गया और न तो वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और न ही बकाया राशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बकाया राशि का भुगतान करने और वेतन पुनः निर्धारित करने में कितना समय और लगेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार आदेश को कार्यान्वित करने सम्बन्धी कार्यवाही कुछ नौसैनिक और वायुसैनिक एस्टेब्लिस्मेंटों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण हो चुकी है। कार्यान्विति में, जो अन्य एस्टेब्लिस्मेंटों में की जा रही है, अन्तर्ग्रस्त है रिकार्ड आफिसों द्वारा सेवा तथ्यों की पुष्टि, पुनः वेतन नियुक्ति इत्यादि पर उपलब्धि का हिसाब लगाना, और आदेशों की सम्पूर्ण कार्यान्विति में कुछ समय लगना अनिवार्य है।

भारत के साथ शस्त्रास्त्र करार की समाप्ति

2473. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो भारत के साथ नेपाल के शस्त्रास्त्र करार की समाप्ति के बारे में है ;

(ख) यह करार कब किया गया था ;

(ग) इस करार की शर्तें क्या थीं ;

(घ) नेपाल द्वारा इसे समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जनवरी, 1965।

(ग) भारत द्वारा नेपाल को सुरक्षा-सामान भेजने की सुविधाएं प्रदान करने के विचार से दोनों सरकारों के बीच यह व्यवस्था की गयी थी। समझौते की शर्तें गोपनीय हैं।

(घ) नेपाली अधिकारी जिन व्यवस्थाओं के लिए सहमत हुए थे, अब वे महसूस करने लगे हैं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए इसलिए इसमें उनकी ओर से संशोधन सम्बन्धी अनुरोध या इसे रद्द करने का आग्रह है।

(ङ) जैसा कि विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया था, उन विषयों में, जिनपर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आपसी संतोषजनक समाधान पाने के लिये विचार-विमर्श किया जायेगा, यह भी शामिल है ।

कृत्रिम पलकों के निर्माण के लिये कारखाने की स्थापना

2474. **श्री क० प्र० सिंहदेव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार, कृत्रिम पलकों के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग से एक कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है । फिर भी एक ब्रिटिश फर्म के सहयोग से कृत्रिम बरौनियों के निर्माण का एक प्रस्ताव राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़ा प्रौद्योगिकीविदों द्वारा कपड़े के मूल्य के संबंध में सिफारिशें

2475. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रित कपड़े के मूल्यों को निर्धारित करने के संबंध में कपड़ा प्रौद्योगिकीविदों की नामिका द्वारा, सरकार के संकल्प संख्या 1 (15)-टैक्स (i)/टैक्स (ए) दिनांक 15 मई, 1969 में उल्लिखित विशिष्ट सिफारिशें और सूत्र क्या हैं ;

(ख) नियंत्रित कपड़े के मूल्य में समय-समय पर जो समायोजन किया जाता रहा है, वह हमेशा उपरोक्त सिफारिशों और सूत्रों के अनुरूप किया जाता रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) सरकार ने नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में पिछली बार कब परिवर्तन किया, और कपड़ा प्रौद्योगिकीविदों की नामिका ने जो सूत्र दिया था उससे यह परिवर्तन कितना भिन्न है ;

(घ) क्या इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने सरकार को नियंत्रित कपड़े के मूल्य में शीघ्र संशोधन करने के लिये अभ्यावेदन दिया है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) प्रशुल्क आयोग ने नियंत्रित कपड़े के मूल्य निर्धारित करने के लिये 1962 में किस सूत्र का सुझाव दिया था और प्रशुल्क आयोग ने कितने समय बाद इन मूल्यों में संशोधन करने का सुझाव दिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) प्रौद्योगिकीविदों की नामिका द्वारा निर्धारित प्रमुख सिफारिशें तथा सूत्र निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रौद्योगिकीविदों की नामिका द्वारा दी गई कपास की प्रतिनिधि किस्मों की सूची को सरकार द्वारा कपड़े की विभिन्न किस्मों के मूल्यों का आवंकलन करने में अपनाया जाये।

(2) मूल्य समंजन कपास के मूल्य में वास्तविक परिवर्तनों पर आधारित होना चाहिए और उन पर कोई न्यूनतम सीमा नहीं होनी चाहिए।

(3) रील्ड और कोन धागे के बीच मूल्य अवकलों, जैसा कि नामिका द्वारा सजाये गये हैं, को अपनाया जाये।

(4) निर्माण प्रभारों को 1948 में अपनाई गई दरों पर निर्धारित किया जाये जो कपड़े की विभिन्न किस्मों के लिये कुछ प्रतिशत बढ़े हैं।

(ख) जी नहीं। मूल्यों में पहले तीन संशोधन तो सरकार द्वारा निर्धारित प्राप्ति गुणकों के अनुसार रुई की लगात तथा मजूरी में हुई वृद्धि के आधार पर किये गये थे, परन्तु बाद के संशोधनों में समरूप वृद्धियों करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि कई और उपाय, जैसे कि उत्पादन शुल्क में कमी और नियंत्रित कपड़े के क्षेत्र में कमी, भी किये गये थे। मूल्य स्तर को बनाये रखना भी आवश्यक था।

(ग) नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में पिछली बार 2 मई, 1968 को एक वर्ष से भी अधिक के अंतर के बाद संशोधन किया गया था। केवल कोरी धोतियों तथा साड़ियों को छोड़कर सभी किस्मों पर पैकेज समझौते के एक भाग के रूप में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दी गई जिसमें नियंत्रण के क्षेत्र में कमी, उत्पादन शुल्क में समायोजन भी शामिल था और मिलों को छूट भी दी गई थी कि कुछ परिस्थितियों में वे नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की अपनी बाध्यता से भी अधिक कपड़ा तैयार करें उन्हें प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

(घ) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(ङ) टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी एक प्रति 30 जुलाई, 1969 को सभा-पटल पर रखी गई थी।

बंद कपड़ा मिलों को चलाने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का उपयोग

2476. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री एस. एम. कृष्ण :**
श्री विश्वम्भरन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया युनाइटेड मिल्स ग्रूप आफ मिल्स के कर्मचारियों ने इन बंद मिलों को चलाने के लिये अपनी भविष्य निधि तथा एक मास के वेतन को प्रयोग में लाये जाने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बंद मिलों को चालू करने के लिये सरकार ने अन्य क्या व्यवस्था की है?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) और (ख): दि इंडिया यूनाइटेड मिल्स, बम्बई प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति से पहले या बाद में कभी बंद नहीं हुई। भविष्य निधि के रुपये को मिल के चलाने में काम में लाने का कभी भी सुझाव नहीं

दिया गया। हां, कर्मचारियों को इस बात का सुझाव दिया गया था कि वे केवल एक वर्ष के लिये अपना एक महीने का वेतन एक ही वर्ष जमा करायें और इस सुझाव पर अभी प्रबंधकों, राज्य सरकार तथा विभिन्न संघों के बीच बातचीत चल रही है।

विदेश मंत्री की अमरीका की यात्रा

2477. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री जुगल मंडल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जुलाई, 1969 के दूसरे सप्ताह में अमरीका और कुछ योरुपीय देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) यदि अमेरिका की सरकार और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत हुई थी, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश मंत्री ने 9 से 16 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की। उन्होंने किसी योरुपीय देश की यात्रा नहीं की।

(ख) यह यात्रा संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री श्री रोजर्स के निमंत्रण पर की गई थी।

(ग) इस प्रकार के विचार-विमर्शों का स्वरूप बतलाना जनहित में ठीक नहीं है, क्योंकि वे गोपनीय हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत करने का अवसर मिला। इससे एक दूसरे के दृष्टिकोण को भलीभाँति समझने में सहायता मिली।

American President's visit to India

2478. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Abdul Ghani Dar :**
Shri Jugal Mandal : **Shri R K. Sinha :**

Will the Minister of **External Affair** be pleased to state :

(a) whether the President of U. S. A., Mr. Nixon, had visited India recently ;

(b) if so, the matters discussed with him ; and

(c) the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. President Nixon of the U. S. A. visited India from July 31 to August 1, 1969.

(b) During his stay he had discussions with the Prime Minister. Besides reviewing the international situation, the situation in Asia and the bilateral relations between the two countries were also discussed. It is not customary to reveal the details of such discussions which are essentially of a confidential nature.

(c) It is hoped that as a result of the talks there will be greater understanding and cooperation between India and the U. S. A. to their mutual benefit.

विदेशों में बिना अनुमति ठहरे हुए भारतीयों की नागरिकता की समाप्ति

2479. **श्री द्वा० ना० तिवारी : श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन भारतीयों की नागरिकता समाप्त करने का निर्णय किया है जो विदेशों में बिना अनुमति 3 वर्ष से अधिक समय से ठहरे हुए हों ;

(ख) क्या श्री लंका के नेताओं ने इस निर्णय का इस कारण विरोध किया है कि यह बात भारत-श्रीलंका करार का उल्लंघन करती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय पर नए सिरे से विचार किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । इस वर्ष मई की सरकारी अधिसूचना में साक्ष्य-नियम की ही व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्तिगत मामलों में कुछ अनुमान लगाए गए हैं ।

(ख) और (ग) श्रीलंका की सरकार को यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया था कि इस अधिसूचना से 1964 के भारत-श्रीलंका करार के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दक्षिण अफ्रीका में आतंकवादी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रजन

2480. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में आतंकवादी अधिनियम के अन्तर्गत भारत मूलक व्यक्तियों को मनमाने ढंग से आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है ;

(ख) क्या ऐसे नजरबन्दियों में एक कुमारी शान्ति नायडू है जो महात्मा गांधी की दत्तक पौत्री है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत मूलक व्यक्तियों के विरुद्ध इस तरह की कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) भारत सरकार भारत मूल के व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करने तथा बंदी लोगों को रिहा कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयास कर रही है ।

काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित गुरिल्ला सेना

2481. **श्री द्वा० ना० तिवारी : श्री श्री निवास मिश्र :**
श्री नि० रं० लास्कर : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री जुगल मंडल :
श्री पी० विश्वम्भरन : श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण : श्री शशि भूषण ।

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने काश्मीर में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करवाने के लिए एक गुरिल्ला सेना तैयार की है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ गुरिल्लाओं ने सीमा को पार कर लिया है और वे पहले से ही काश्मीर के कुछ भागों में घुस बैठे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार की मुजाहिदों के नाम से पैरा-मिलिटरी सेनाओं सहित पाकिस्तानी सेविकों को गुरिल्ला युद्ध, तोड़ फोड़ और अन्य विध्वंसक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिए जाने का ज्ञान है। ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यह सेनाएं जम्मू तथा काश्मीर में सीमा-युद्ध विराम रेखा के पास घुस आई हैं। देश की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाते समय इस संबंध में संवधनों का ध्यान रखा गया है।

भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों पर समुद्र के साथ-साथ सड़क

2483. **श्री स० कुण्डू** :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों पर समुद्र के साथ-साथ एक अच्छी सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या शत्रु के आकस्मिक हमले से बचाव के लिए ऐसी सड़क बनाने के महत्व पर सरकार ने विचार किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : देश के पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों पर स्थित अधिकांश तटीय नगर विद्यमान राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं। उनके कुछ ऐसे भागों में जिनमें अभी सड़कें नहीं है, सड़कों का निर्माण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया है और उन्हें आगामी कुछ वर्षों में पूरा किया जाना है। तट के साथ-साथ विद्यमान सड़क संचार व्यवस्था प्रतिरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त समझी जाती है।

राजदूतों की नियुक्ति को मार्गदर्शी सिद्धान्त

2484. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजदूतों की नियुक्ति प्रधान मंत्री की मंजूरी से की जाती है और क्या यह मंजूरी आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मिशन प्रमुखों के पदों पर भारतीय विदेश सेवा के वृत्तिक अधिकारियों की नियुक्तिया उनकी उपयुक्तता, विशेष रुझान आदि पर आधारित हैं। विदेशों में विशेष राजनयिक नियोजनों के लिए, समय-समय पर जनता के जाने-माने व्यक्ति भी चुने जाते हैं। नियोजन के लिए उपयुक्त ही प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धान्त है।

आयुध कारखानों में सुपरवाइजर 'ए' ग्रेड की चार्जमैन के रूप में पदोन्नति

2485. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखाना श्रेणी 3 कर्मचारी सेवा नियमों के अन्तर्गत 7 फरवरी, 1963 को इन नियमों की प्रशिष्टी के टिप्पण 2 के रूप में एक विशेष परन्तुक जोड़ा गया था, जिसके अनुसार उन सभी डिपलोमाधारियों की, जिन्होंने आयुध कारखानों में दो वर्ष तक सुपरवाइजर 'ए' ग्रेड (तकनीकी) के रूप में अथवा समकक्ष पद पर संतोषजनक ढंग से काम किया था, साधारणतया चार्जमैन के रूप में पदोन्नति की जानी अपेक्षित थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिसम्बर, 1968 में इस विशेष परन्तुक को लागू करने का काम हटा लिया गया और अप्रैल, 1966 के बाद सरकार ने किसी भी सुपरवाइजर 'ए' ग्रेड (तकनीकी) की पदोन्नति नहीं की, यद्यपि, दिसम्बर, 1966 में इस विशेष परन्तुक को हटाये जाने से पहले ही बहुत से सुपरवाइजरों 'ए' ग्रेड (तकनीकी) ने दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और वे चार्जमैन के पद पर पदोन्नति के हकदार थे ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को वर्तमान रिक्त पदों पर या अतिरिक्त पद बना कर चार्जमैन के रूप में अब पदोन्नति देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

काली मिर्च पर निर्यात शुल्क की समाप्ति

2486. **श्री इ० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में, विशेषकर केरल में, काली मिर्च की खेती करने वाले किसानों को सहायता देने के लिये काली मिर्च पर निर्यात शुल्क समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार काली मिर्च के निर्यात से प्राप्त राशि को केवल काली मिर्च उगाने वालों के हित के लिये प्रयोग में लाने का है जैसा कि रबड़ की खेती के मामले में किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : काली मिर्च पर से निर्यात शुल्क, जिसका अभिप्राय मुख्यतः निर्यातों से प्राप्त इकाई मूल्य को संरक्षण देना होता है, हटाने का कोई विचार नहीं है। इस शुल्क को हटाने अथवा कम करने से उत्पादक को कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसके विपरीत लाभ विदेशी ग्राहक को चला जायेगा। तथापि उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को सहायता देने के उपाय सरकार के संपूर्ण विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में सेना के भूमिहीन लोगों को भूमि का आवंटन

2487. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में सेना के कितने भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित की गई है; और

(ख) उस राज्य में ऐसे कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन पड़े हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के बाद सभी खाली भूमि गोआ की सभाओं के अधिकार में है और भूमि का आवंटन गोआ की सभाओं की भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा किया जाता है। आवश्यक सूचना इन भूमि प्रबन्ध समितियों से प्राप्त करनी पड़ेगी। इन समितियों की संख्या 64, 685 है। सूचना से प्राप्त होने वाले परिणाम उस पर होने वाले व्यय तथा समय के अनुरूप नहीं होंगे।

भारत द्वारा मशीन पुर्जों के निर्यात के संबंध में सर्वेक्षण

2488. **श्री मोहन सिंह ओबराय :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रबन्ध संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था के तत्वावधान में मशीनी पुर्जे निर्यात करने की भारत की क्षमता के बारे में हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण दल के निष्कर्ष / सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, प्रचलित क्रियाविधि के अनुसार, सर्वेक्षण दल ने अपने अनन्तिम निष्कर्षों एवं सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिकता वाले पहले छः लक्ष्य बाजारों की सूची दी गई है और इन बाजारों में पैठने के लिए कतिपय उपायों का सुझाव भी दिया गया है। इस बात की अपेक्षा की गई है कि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व परामर्शदाताओं को मशीनी औजार विकास परिषद्, भारतीय मशीनी और निर्माता संगम तथा इंजीनियरी निर्यात संवद्‌र्धन परिषद के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए।

(ग) अंतिम प्रतिवेदन के आगामी तीन-चार मास में प्राप्त होने की संभावना है और अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में भाड़े तथा पत्तन शुल्क में कमी

2489. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय पत्तन अधिकारियों तथा रेलवे ने मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में रेल भाड़े और पत्तन शुल्क में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निश्चित निर्णय किया गया है; और

(ग) मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विभिन्न देशों से कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं तथा उक्त रियायतों के परिणाम-स्वरूप कितने मूल्य के क्रयादेशों पर बातचीत चल रही है अथवा प्राप्त होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के 1969 में विभिन्न किस्मों के लगभग 12.85 लाख मीटरी टन मैंगनीज अयस्क की सप्लाई के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया है । निगम को आशा है कि चालू वर्ष में 13 लाख मीटरी टन के विक्रय का लक्ष्य पूरा हो जायेगा । रेल भाड़े तथा शुल्क में कोई रियायत न होने के कारण अतिरिक्त निर्यात का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्यात नीति में परिवर्तनों का बिजली के तारों के निर्यात पर प्रभाव

2490. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ग 1968-69 का बजट पेश करते समय उप प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि निर्यात सहायता की नई व्यवस्था को ज्यों का त्यों कायम रखा जायेगा ;

(ख) क्या इसके विपरीत, बिजली के तारों के निर्यातकों को मिली हुई कुछ सुविधाओं की नवीनत निर्यात नीति के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से हटा दिया गया है;

(ग) इस परिवर्तन का औचित्य क्या हैं और विशेषकर इसे पीछे की तिथि से लागू करने के क्या कारण हैं, जो साधारणतया नहीं किया जाता;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इन परिवर्तनों से उन निर्यातकों को बड़ी परेशानी और हानि होगी जिन्होंने पहले से ही पक्के वचन दे रखे हैं और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान क्रयादेश भी रद्द किये जा सकते हैं और इस प्रकार बिजली के तारों के नये निर्यात व्यापार को स्थायी रूप से धक्का पहुँच सकता है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार निर्यात नीति में बारम्बार परिवर्तन न करने का है, क्योंकि ये देश के बढ़ते निर्यात के रास्ते में बहुत अधिक बाधक सिद्ध होते हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : यह सरकार के ध्यान में आया था कि बिजली के तारों के निर्यातक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों का प्रचुर मात्रा में उपयोग नहीं कर रहे जो कि उन्हें अपने मूल कच्चे माल अर्थात् तांबा तथा एल्यूमिनियम, के आयात के लिये दिये गये थे परन्तु इनका अन्य कम महत्वपूर्ण कच्चे माल, जो नीति के अंतर्गत अनुमेय है, के आयात के लिये प्रयोग कर रहे हैं । चूंकि सरकार इस बात की इच्छुक है कि इन लाइसेंसों से वास्तव में आयातित मद की प्रतिपूर्ति का उद्देश्य पूरा हो और प्रमुख कच्चे माल अर्थात् तांबा तथा एल्युमिनियम, का इन लाइसेंसों के अंतर्गत आयात होना चाहिए, अतः यह उपबन्ध करने का निर्णय किया गया कि बिजली के तारों के निर्यात के बदले अनुमेय लाइसेंसों का तांबा तथा एल्यूमिनियम को छोड़कर अन्य माल के आयात

के लिये केवल सीमित आधार तक ही उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार दिनांक 2 जून, 1969 को एक सार्वजनिक सूचना सं० 82 जारी की गई। इस सूचना का कोई अनुदर्श प्रभाव नहीं है बल्कि यह केवल सार्वजनिक सूचना जारी करने की तिथि को अथवा उसके उपरांत दिये जाने वाले आयात लाइसेंसों पर लागू होगी।

(घ) तथा (ङ) : सार्वजनिक सूचना में घोषित किये गये सरकारी निर्णय में नीति संबंधी कोई परिवर्तन निहित नहीं है क्योंकि नीति सदा केवल निर्यात उत्पाद के आयातित अंश की प्रतिपूर्ति प्रदान करने की रही है। परिवर्तन के लागू हो जाने के उपरांत भी यह प्रतिपूर्ति दी जा रही है। सरकार सचेत है कि इस परिवर्तन से ऐसे निर्यातकों को कठिनाइयां हो सकती हैं जिन्होंने परिवर्तन से पूर्व उन्हें प्राप्य सुविधाओं के आधार पर वचनबद्धताएँ की थी। ऐसी पूर्व वचनबद्धताओं के संबंध में राहत देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Ordnance Depots set up in Sinkiang

2491. **Shri Oakar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Ordnance Depots have been set up in border areas of Sinkiang adjoining Pak-occupied Kashmir by China ;

(b) whether it is also a fact that preparations have been made there by establishing military base and acquiring fighter, bomber planes, etc. ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) : Government are aware of Chinese military activities across the border, including those in various military installations in Sinkiang. The Chinese have been constructing a number of bunkers, barracks, storage space for ammunition and in general improving the roads linking to various military stations.

काश्मीर के बारे में पाकिस्तान को चीन का समर्थन

2492. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के वायु सेनापति नूर खां के सम्मान में हाल में आयोजित किये गये भोज में चीन के प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि काश्मीर की जनता को आत्म निर्णय का अधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे राजदूत इस बात के विरोध में वहां से उठकर चले गये थे ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जब काश्मीर, जो भारत का अभिन्न अंग है, का उल्लेख किया गया तब पीकिंग में रहने वाले हमारे कार्यनायक इसका विरोध करते हुए भोज छोड़कर चले गए।

हवाई अड्डों का निपटान

2493. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 12 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2843 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यकता से फालतू घोषित दो हवाई अड्डों के निपटान की निर्धारित प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उनके निपटान का काम इस बीच आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जब एक सेवा की भूमि तथा आस्तियों को फालतू घोषित किया जाता है तो उस भूमि तथा आस्तियों की शेष दो सेवाओं की आवश्यकताओं के बारे में उनसे परामर्श किया जाता है । यदि उनका उत्तर नकारात्मक हो, तो उस भूमियों तथा आस्तियों को प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं से फालतू घोषित करने की मंजूरी दी जाती है । उसके बाद, भूमि तथा आस्तियों का ब्यौरा तथा उसके बाज़ार मूल्य की सूचना प्राथमिकता प्राप्त पार्टियों को दी जाती है । यदि उनमें से कोई उसे उल्लिखित मूल्य पर लेना न चाहता हो तो उसकी अनुमोदित नीलामी करने वाले के जरिये आम नीलामी करके उसे बेच दिया जाता है ।

(ख) जी हां । प्राथमिकता-प्राप्त पार्टियों से परामर्श करने का प्रक्रम शुरू हो गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय राजनयिकों द्वारा सरकारी भोजों से उठकर चले आने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

2494. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे अवसरों की कोई सूची अन्तिम रूप से तैयार की है जब हमारे राजनयिकों को उन देशों द्वारा, जहां वे नियुक्त हैं, दिये गये सरकारी भोजों से उठकर चले आना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य

2495. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : **श्री कं० हाल्दर** :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हाल में कलकत्ता की मंडियों में कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य 40 रुपये प्रति मन से बढ़ा कर 50 रुपये करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हां ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तथा (क) पटसन उत्पादन को स्थिर बनाने (ख) कृषकों को लाभकर मूल्य देने तथा (ग) निर्यात बाजारों में हमारे पटसन के माल को प्रतियोगी बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1969-70 के लिये आसाम बौटम किस्म के कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थक मूल्य 107.17 प्रति क्विंटल (40 रुपये प्रति मन) पर निर्धारित किया गया है ।

नेपाल द्वारा शरद नहर का उपयोग

2496. **वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से शरद नहर के उपयोग के लिये अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से इस नहर का नियंत्रण नेपाल को सौंपने के लिये भी कहा है जो अंग्रेज़ी शासन काल में बनाई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नेपाल सरकार ने शारदा नहर हेडवर्क्स से अपने हिस्से के जल लेने का ही अनुरोध किया है जैसा कि नेपाल सरकार और तत्कालीन संयुक्त प्रान्त सरकार के बीच 1920 में जो एक करार पर हस्ताक्षर हुये थे, जिसमें इसकी व्यवस्था है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनिर्णीत विवादों के निपटारे के लिए भारत-नेपाल समितियां

2497. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और नेपाल सरकार ने दोनों देशों के बीच की अनिर्णीत समस्याओं के समाधान के लिए समितियां नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को कौन-कौन सी समस्याएं सौपी जायेंगी ; और

(ग) इन समितियों के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : विदेश मन्त्री की काठमांडू यात्रा के अंत में 9 जून, 1969 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीद की जाती है कि भारत और नेपाल के संबद्ध अधिकारियों की बैठक होगी और उसमें वे द्विपक्षीय प्रकृति के सभी मामलों पर विचार करेंगे ताकि उनके विशिष्ट समाधान निकाले जा सकें । जैसा कि विदेश मन्त्री ने 21 जुलाई, 1969 को लोक सभा में अपने बयान में कहा था, इस सिलसिले में नेपाली अधिकारियों के दिल्ली आने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

महाराष्ट्र में विद्युत् करघों द्वारा रंगीन साड़ियों का निर्माण

2498. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री 14 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9658 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में विद्युत करघे अभी भी रंगीन साड़ियां बना रहे हैं, यद्यपि वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 2 जून, 1966 के संकल्प संख्या 9 (42) टैक्स (सी) 64 के अनुसार नियत तीन वर्ष की अवधि 2 जून, 1969 को समाप्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) महाराष्ट्र में विद्युत् करघे रंगीन साड़ियां बना रहे हैं परन्तु विद्युत् करघों द्वारा साड़ियों के बनाये जाने पर रोक लगाने वाली वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना के अनुसार तीन वर्ष की अवधि 9 नवम्बर, 1969 को समाप्त होने वाली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युत-करघों द्वारा रंगीन साड़ियों के बनाये जाने के प्रश्न पर एक समिति द्वारा विचार किया गया है जिसमें वस्त्र आयुक्त तथा महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं और इस समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

रंगीन साड़ियों के निर्माण पर पाबन्दी

2499. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में विशेष कर मालेगांव, अमरावती, शोलापुर, अचलपुर, और अहमदनगर में बड़ी संख्या में अनधिकृत विद्युत् करघे लगे हैं और लगाये जा रहे हैं वे रंगीन साड़ियां बना रहे हैं, जिसका निर्माण केवल हथकरघों के लिये आरक्षित रखा गया है और इससे इस प्रकार वाणिज्य मन्त्रालय के दिनांक 2 फरवरी, 1966 के संकल्प संख्या 9 (42) टैक्स (सी) 64 के अन्तर्गत सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध का उल्लंघन होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) महाराष्ट्र में अप्राधिकृत शक्तिचालित करघों के अस्तित्व की सरकार को जानकारी है। रंगीन साड़ियों का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश 9-11-1966 को जारी किये गये थे। रंगीन साड़ियाँ बनाने वाले शक्तिचालित करघा केन्द्रों को अन्य वस्त्रों का उत्पादन 9-11-1966 से तीन वर्ष की अवधि में अपना लेना है।

(ख) मामले की जांच वस्त्र-आयुक्त तथा महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा की गयी है और इसके प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है।

भारत में हथकरघा बुनकरों की प्रति व्यक्ति आय

2500. **श्री ना० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा बुनकरों की प्रति व्यक्ति आय क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघा बुनकर की प्रति व्यक्ति आय किसान की प्रति व्यक्ति आय से भी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हथकरघा बुनकरों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) हथकरघा बुनकरों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हथकरघा बुनकरों की प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) सहकारी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) उत्पादन के कतिपय क्षेत्र हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं।

(3) हथकरघा क्षेत्र में शनैः शनैः शक्तिचालित करघे लगाने का विचार है।

"ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े का निर्यात

2501. **श्री यशपाल सिंह : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम को 1966 में "ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े के निर्यात के एक सौदे में ही 53 लाख रुपये का घाटा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे क्या निवारक कार्यवाही की गई है जिससे भविष्य में ऐसा घाटा न हो पाये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) : 1966 में "ब्लीडिंग मद्रास" के कपड़े के अमेरिकी बाजार के सहसा ठप हो जाने के कारण इस कपड़े का भारी स्टाक हथकरघा उद्योग के बुनकरों के पास इकट्ठा हो गया। बुनकरों की कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने उनसे माल खरीदने के लिये मंडी में प्रवेश किया। इस कपड़े को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों को भेजने के लिये प्रयत्न किये गये परन्तु वे सफल नहीं हुए। फिर इस माल को स्थानीय बाजार में बेचना पड़ा और इस सारे सौदे में, लगभग तीन वर्षों की अवधि में, राज्य व्यापार निगम को 54.05 लाख रुपये की हानि हुई। यह कोई व्यापारिक कार्य नहीं था, अपितु हथकरघा बुनकरों की, जिनके पास निर्यात बाजार के सहसा ठप हो जाने के कारण भारी मात्रा में कपड़ा इकट्ठा हो गया था, सहायता करने के लिये की गई कार्यवाही थी।

नेपाल में भारतीय मिशन

2502. **शिव चन्द्र झा : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठमांडू स्थित भारतीय मिशन में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उन पर वहां प्रति वर्ष कितना धन खर्च होता है ; और

(ख) वहां इस मिशन का उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) :

मिशन	1-3-1969 को कर्मचारियों की संख्या	1969-70 का अनुमानित खर्च (रु० लाखों में)
1. भारत का राजदूतावास, काठमांडू ।	166	18.14
2. भारतीय सहयाग मिशन, काठमांडू ।	106	12.33

(ख) : दूसरे देशों में स्थित हमारे राजनयिक मिशनों की तरह ही भारत के नेपाल-स्थित राजदूतावास का काम भी भारत-नेपाल मित्रता को बढ़ाना तथा प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत करना है ।

भारतीय सहयोग मिशन कोलंबो योजना के अन्तर्गत भारत-नेपाली तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों को चलाता है ।

प्रधान मन्त्री की इन्डोनेशिया और जापान की यात्रा पर खर्च

2503. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में जापान और इंडोनेशिया की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था और उस यात्रा पर सरकार का कितना खर्च हुआ ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वे सद्भावना यात्राएँ थी । इन दो यात्राओं का अनुमानित खर्च (लगभग) 2,86,000/- रुपए हैं ।

बकरियों और बकरियों की खाल का निर्यात

2504. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बकरियों और बकरियों की खाल का निर्यात विदेशों को करता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों को और इस व्यापार से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें बकरियों तथा बकरियों की खालों के निर्यात सम्बन्धी देशवार आंकड़े दिखाये गए हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1554/69]

ब्रिटेन के नागरिकों को वीजा

2505. **श्री इन्दजीत गुप्त :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भविष्य में भारत में आने के इच्छुक ब्रिटेन के नागरिकों के लिये वीजा व्यवस्था लागू करने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : वर्तमान नीति, जिसका पुनरीक्षण किया जाता रहता है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

Supply of Military arms to Pakistan by North Korea

2506. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been concluded between Pakistan and North Korea in regard to the suppy of military arms to Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has received about 30,000 tonnes of cannon-balls as per the aforesaid agreement ; and

(c) if so, Government's reaction thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) : Government have received a report on the subject, but this has not been corroborated yet.

(c) Government's views on the supply of military equipment to Pakistan are well known and are brought to the notice of foreign Governments wherever feasible.

कोसीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में गोली चलने की घटना की जांच

2507. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बता दिया है कि वह गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर में 8 अप्रैल, 1969 को गोली चलने की घटना के मामले में जांच करने में केन्द्रीय सरकार को सहयोग देने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो अपने उक्त पत्र में पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कारण लिखे हैं ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन्कार किये जाने के कारण सरकार इस मामले में जांच करायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार का विचार है कि चूंकि घटना में अन्तर्ग्रस्त तथा-कथित अफसरों के विरुद्ध मामला एक फौजदारी अदालत में चल रहा है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई कमीशन द्वारा इन्क्वायरी अनावश्यक और निरर्थक होगी ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

हथकरघे निर्मित माल पर छूट

2508. श्री किरूतिनन : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि हथकरघा निर्मित माल पर जो छूट दी जा रही है, उसे चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सरकार का विचार राज्य हथकरघा सरकारी समितियों के प्रधानों की एक बैठक बुलाने का है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों से लगातार ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं कि जैसे खादी को छूट और रियायतें दी जाती हैं वैसे ही उन्हें भी दी जायें ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Tenements built for Defence Personnel in Delhi Cantonment

2509. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1200 tenements have been built for Defence personnel in Delhi Cantonment ;

(b) if so, the total estimated cost thereof and the expenditure incurred thereon ;

(c) whether the completion certificate has been issued by the officer concerned on the completion of ethe work ;

(d) if so, whether the Contractors have been paid their dues and if not, the reasons therefor ;

(e) whether Government's attention has been drawn to the fact that the tenements a constructed are not upto the standard of model according to which they had to be con-s structed ; and

(f) whether Government propose to enquire into the entire construction work ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Married accommodation for 2,239 defence personnel has been completed in Delhi Cantonment from 1st April, 1964 upto date. There is no single project for approximately 1,200 tenements.

(b) The estimated cost was Rs. 446.255 lakhs approximately. The actual completion cost is Rs. 459.83 lakhs approximately.

(c) Yes, Sir.

(d) All amounts due to the contractors have been sanctioned.

(e) The quarters have been built according to the approved designs and specifications.

(f) Does not arise.

Tenements Constructed for Defence Personnel in Delhi Cantonment

2510. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of tenements out of 1200, already constructed in Delhi Cantonment which have been allotted to Defence personnel upto the 30th June, 1969 and the number of employees who have taken occupation thereof ;

(b) the number of employees who have been refused the allotment ; and

(c) the number of tenements which have not so far been allotted and the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) : As mentioned in reply to Unstarred question No. 2509, married accommodation for 2,239 defence personnel has been completed in Delhi Cantonment from 1st April, 1964 upto date. All these quarters have been allotted and occupied.

स्वेज नहर के बन्द होने का भारत के निर्यात पर प्रभाव

2512. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : **क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर के बन्द होने के बाद भारत के वैदेशिक व्यापार में कुछ परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्वेज नहर के बन्द होने का हमारे निर्यात पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) : जून 1967 में स्वेज नहर के बन्द होने पर, विभिन्न विदेशों, जिनको माल का जाना और जिनसे माल का आना स्वेज नहर के द्वारा स्वाभाविक था, के साथ होने वाले हमारे व्यापार की मात्रा में अन्तर आ गया है । कई देशों के साथ तो हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है, पर अन्य देशों के साथ वर्ष 1966-67 की तुलना में वर्ष 1968-69 में हमारे व्यापार में कमी हुई है । एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें इसका ब्यौरा दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1555/69] क्योंकि किसी विशेष देश के साथ व्यापार की वास्तविक मात्रा कई तथ्यों पर निर्भर रहती है अतः किसी विशेष तथ्य, जैसे कि स्वेज नहर का बन्द होना, के प्रभाव का अलग से ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्र

2514. **श्री देवराव पाटिल** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में पिछड़े क्षेत्रों तथा जिलों की संख्या तथा नाम क्या हैं और इन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या कितनी है ; और

(ख) इन क्षेत्रों के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजनाएँ शामिल की गई हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित मंत्री, अणशक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : **(क)** राज्य सरकार ने 80.36 लाख आबादी वाले चान्दा, यवतमाल, भीड़, परभानी, नानदेड़ और उस्मानाबाद के 6 जिलों को पिछड़े क्षेत्र निर्धारित किया है।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने अभी राज्य की चौथी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

कपास के लिए समर्थन मूल्य

2515. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1969-70 के लिये "कपास" के समर्थन मूल्य के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि चालू वर्ष में कृषकों को "कपास" का मूल्य उसके निर्धारित मूल्य से बहुत कम मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : चालू वर्ष की अवधि में कपास के लिए केवल समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई थी। कपास के मूल्य इन मूल्यों से काफी ऊँचे रहे हैं और कृषकों को मूल्यों से कम मूल्य मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

Handling of Cotton Trade by State Trading Corporation

2518. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have advised the State Trading Corporation to take over the cotton trade ;

(b) if so, whether the said corporation has decided to take over the cotton trade ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No decision has been taken to that effect.

विद्रोही नागाओं से पकड़े गये चीनी शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद

2519. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने सशस्त्र विद्रोही नागाओं के साथ 4 और 7 जुलाई, 1969 को हुई तीन मुठभेड़ों में उनके पास से बड़ी मात्रा में चीनी सशस्त्रास्त्र और गोला-बारूद पकड़ा;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने विद्रोही नागा मारे गये और कितने पकड़े गये;

(ग) भारतीय सुरक्षा दल की कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या नागा विद्रोहियों ने जुलाई, 1969 से पुनः अपनी विद्रोही गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं ; और

(ङ) क्या चीनियों और पाकिस्तानियों ने उन्हें पुनः बड़े पैमाने पर गोला-बारूद देना आरम्भ कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नागा विद्रोही लोगों की गतिविधियां और बढ़ गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 4 जुलाई, 1969 को होने वाली किसी ऐसी घटना के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। 5 जुलाई, 1969 को छिपे नागाओं तथा सिविल प्रशासन के अधीन एक पुलिस चौकी के बीच उखरूल से लगभग 18 मील दूर एक झड़प हुई थी। 7 जुलाई, 1969 को माप्को से लगभग दो मील दूर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा छिपे नागाओं के बीच भी एक मुठभेड़ हुई थी। इन दोनों मुठभेड़ों में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त चीन के बने सात हथ गोले, 73 कार्तूस और 7.62 एम एल के 165 खौल मिले थे।

(ख) तथा (ग) : दोनों ओर कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

(घ) छिपे नागाओं ने विरोधी गतिविधियां पूर्णतया तो बन्द नहीं की हैं परन्तु जुलाई, 1967 से उनमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु गत कुछ दिनों में तीन घटनायें हुई हैं जिनके बारे में 5 अगस्त, 1969 को सभा में एक वक्तव्य दिया गया था।

(ङ) चीन जाने वाले छिपे नागाओं को चीन ने भारी मात्रा में गोला बारूद तथा शस्त्र दिये हैं। 1966 से कई बार छिपे नागाओं ने गोला-बारूद प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान जाने का प्रयत्न किया परन्तु सेना ने उनके प्रयत्न विफल कर दिये हैं।

श्रीलंका में जातिगत दंगे

2520. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीलंका में सिंहाली तथा तमिल वंशज कर्मचारियों में हुए दंगों की जानकारी सरकार को है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जहां तक सरकार को जानकारी है, श्रीलंका के चाय जिलों की दो जगहों में कुछ सिंघली और तमिल मजदूरों के बीच इस वर्ष मई माह में संघर्ष हुए थे। हमारे हाई कमीशन ने यह सूचना दी है कि श्रीलंका की सरकार ने व्यवस्था और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की थी।

जापान को कच्चे माल का निर्यात

2521. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने उद्योगों के लिये भारत से बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : जापानी उद्योगों के लिए विपुल परिमाण में कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हाल ही में कोई विशिष्ट करार नहीं हुआ है ।

व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की सूडान-यात्रा

2522. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1969 में कोई व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सूडान गया था ;

(ख) सूडान जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) जी हां ।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मैंने किया था और इस में विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के श्री एस० के० सिंह और वित्तमंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के श्री आर० रामास्वामी शामिल थे ।

(ग) किसी नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये परन्तु 1969-70 के लिए व्यापार व्यवस्था करते समय व्यापार के परिमाण में 45 प्रतिशत की वृद्धि करने का विनिश्चय किया गया ।

'सोवियत लैंड' नेहरू पुरस्कार विजेता

2523. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार विजेताओं को सोवियत संघ को भारत के 'यंग एम्बेसेडर' (युवक राजदूत) बताया गया था ;

(ख) क्या उन्हें 11 जून, 1969 को विमान द्वारा दिल्ली ले जाना था ;

(ग) क्या उन्हें भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री के अनुदेशों से भेजे गये एक पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें 'पी' फार्म नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे नाबालिग हैं और सरकार इतनी आयु में उनका रूस जाना ठीक नहीं समझती ;

(घ) क्या बच्चों तथा उनके माता-पिता ने आखिरी मिनट में इस नामंजूरी पर विरोध प्रकट किया था ;

(ङ) क्या प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप किये जाने पर उन्हें 11 जून, 1969 को जाने दिया गया और 'पी' फार्म प्रस्तुत किये बिना उन्हें विदेशी मुद्रा दे दी गई थी ; और

(च) यदि हां, तो पहले से मंजूरी न देने और आखिरी मिनट में नामंजूरी को मंज़ूरी में बदलने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) : इस मामले पर सब से उच्च स्तर पर विचार हुआ और बच्चों को जाने की अनुमति मिल गई और तदनुसार 'पी' फार्म सम्बंधी सुविधाएं उन्हें दे दी गईं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिन्दी 'हिन्दुस्तान' की प्रतियों की जब्ती के बारे में पश्चिमी बंगाल के शिक्षा मन्त्री का विरोध

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने पहले कई बार यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकार के मामलों को यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिए। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है। दूसरे जिस आदेश का उल्लेख किया गया है उसको दिल्ली राज्य सरकार द्वारा बहुत पहले वापस ले लिया गया है। बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय का हम उतना ही आदर करते हैं जितना कोई अन्य व्यक्ति। मेरे विचार में इस सूचना को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। जिस आदेश का इसमें उल्लेख किया गया है उसको दिल्ली प्रशासन द्वारा वापस ले लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सूचना को स्वीकार करते समय हमने सभी बातों को ध्यान में रखा है। यदि किसी सरकार की कार्यवाही से किसी वर्ग को ठेस पहुँचती और वह उसकी ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाता है तो हम उसको यहां उठा सकते हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> 'वन्देमातरम् के ऋषि' बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के एक लेख के हिन्दी अनुवाद को "रामायण की विलायती आलोचना" शीर्षक के अधीन छापने के कारण दिल्ली के हिन्दी हिन्दुस्तान की प्रतियों को जब्त करने के विरुद्ध पश्चिमी बंगाल के शिक्षा मन्त्री द्वारा भेजा गया कथित विरोध-पत्र।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 2 मार्च, 1969 के दैनिक हिन्दुस्तान में रामायण का विलायती आलोचन शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के एक लेख के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पश्चिमी बंगाल के शिक्षा मन्त्री श्री सत्य प्रिय राय से 19 जुलाई, 1969 को एक पत्र प्राप्त हुआ था।

संघराज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19-ए के अन्तर्गत 9 जून, 9969 को एक आदेश द्वारा दैनिक हिन्दुस्तान के उक्त अंक का प्रत्येक प्रति को सरकार द्वारा इस आधार पर जब्त की गई घोषित कर दिया था कि 'रामायण की विलायती आलोचना' लेख से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295-ए का उल्लंघन होता है और इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-ए के अन्तर्गत उस पर कार्यवाही हो सकती है मामले पर पुनर्विचार करने पर प्रशासक द्वारा 19 जुलाई, 1969 को उस आदेश को रद्द कर दिया गया था।

श्री समर गुह : दिल्ली प्रशासन के उप-राज्यपाल के आदेश में यह दिया गया था कि राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि इस लेख से हिन्दू लोगों की धार्मिक भावनाओं को जान-बूझ कर उभारने का प्रयत्न किया गया है ।

ऐसा लगता है कि उप-राज्यपाल ने बंकिम चन्द्र के मूल लेख को पढ़ने का प्रयत्न ही नहीं किया हैं। उसको पढ़े बिना ही प्रतियों को जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। वास्तव में श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने रामायण, महाभारत तथा गीता पर कीचड़ उछालने वालों पर अपने मूल लेख में व्यंग कसा था। दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद ने भी इस मूल लेख को पढ़ने का प्रयास नहीं किया है। दिल्ली प्रशासन की इस कार्यवाही पर देश के विभिन्न भागों महाराष्ट्र, गुजरात बिहार आदि में रोष प्रकट किया गया है ।

आर्डर वापस लेते समय दिल्ली प्रशासन द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि इस लेख से यह गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी कि श्री बंकिम चन्द ने रामायण की आलोचना की है और कि ऐसा लगता था जैसे कि यह बंकिम चन्द्र के अपने विचार हों। यह सभी बातें हास्यस्पद हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रतियां जब्त करने के लिए किस अधिकारी ने उप-राज्यपाल को परामर्श दिया था, क्या दिल्ली प्रशासन ने उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और क्या वह इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे। क्या यह सभा उस अधिकारी को कोई भर्त्सना करेगी। दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में भी खेद व्यक्त नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूँ कि उप-राज्यपाल द्वारा खेद व्यक्त किया और क्षमायाचना की जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बारे में दिल्ली प्रशासन में बहुत गलतफहमी हो गई थी और उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इस सभा में विरोधी दल के दो सदस्यों ने भी इस मामले को हमारे साथ उठाया था और संपादक तथा लेखक के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा था। हमने मामले की जांच करने के बाद बताया कि इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे विचार भी वही थे जो श्री समर गुह के हैं। अतः हमने कोई कार्यवाही नहीं की। दिल्ली प्रशासन ने जो कार्यवाही की थी उस बारे में उन्होंने हमसे कोई परामर्श नहीं किया था। जब प्रेस में आलोचना प्रकाशित हुई तो हमने इस प्रश्न की जांच की। परन्तु बाद में उन्होंने इस आर्डर को वापस ले लिया। यह बताना बहुत कठिन है कि किस अधिकारी ने परामर्श दिया था। हो सकता है इस मामले में अनेक अधिकारियों ने परामर्श दिया हो। यह बहुत खेद जनक घटना है परन्तु अब इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : उप-राज्यपाल को खेद व्यक्त करना चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे विश्वास है कि सभा में व्यक्त की गई भावनाओं पर प्रत्येक व्यक्ति ध्यान देगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं नहीं कह सकता कि उप-राज्यपाल ने यह आदेश किस प्रकार पास कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का विचार उसके विरुद्ध क्या कार्य-वाही करने का है।

9 मई के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में श्री नीरद चौधरी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उसने कहा है कि मैंने अमरीकी विद्यार्थियों को सम्बोधित करते समय उनसे यह कहा था कि मैं अपने भावी शासकों को सम्बोधित कर रहा हूँ। खेद की बात है कि इस प्रकार के लेखों को 'फ्री प्रेस' के नाम प्रकाशित होने की अनुमति दी जा रही है। ऐसे मामलों में गृह-कार्य मंत्रालय तथा जनसंघ अपनी आँखें मूंद लेते हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि उप-राज्यपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस बारे में लिखने वाले दो संसद सदस्यों के नाम बताये जायेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसी गलतियों के लिए हम कोई दण्ड नहीं दे सकते।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अपने उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया था कि दो संसद सदस्यों ने भी उनको इस बारे में लिखा था। यह कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है। यदि उनके नाम बता दिये जायें तो इसमें कोई हानि नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मन्त्री को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) माननीय मन्त्री ने विरोधी दल के दो सदस्यों का उल्लेख किया है। मेरा निवेदन है कि इतना बता दिया जाये कि वे किस दल के सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब विशेषाधिकार का प्रश्न लिया जायेगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : QUESTION OF PRIVILEGE

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : विधि मन्त्री दूसरी सभा में बैंकिंग कम्पनीज विधेयक के सम्बन्ध में गये हुए हैं। मैंने श्री साल्वे से बात की है और वह इसको 14 तारीख तक स्थगित करने पर सहमत हो गये हैं।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे (बतूल) : इस मामले को 14 तारीख तक स्थगित करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उस दिन इसको अवश्य लिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे टेलीफोन पर यह संदेश प्राप्त हुआ है कि पटसन मजदूरों का हड़ताल के बारे में इण्डियन जूट मिल्स एसोसियशन के चेयरमैन तथा डिप्टी चेयरमैन यहां पर आये हुए हैं।

मैं श्री ब० रा० भगत से प्रार्थना करता हूँ कि वह पटसन मिलों के मालिकों द्वारा हड़ताल को रोकने के लिए कुछ करने हेतु सहमत हो जाने के बारे में सभा में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे नोट कर लिया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : No action has been taken against the violation of Section 144 by Delhi Congress whereas 7 workers of Jansangh were arrested for a similar offence. The Minister should give a statement regarding such discrimination.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खरे लाल गुप्त इस बारे में मुझे एक पत्र लिखें ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पटसन मिलों का विवाद इस प्रकार निपटाया जाना चाहिये कि श्रमिकों के हित भी सुरक्षित हों तथा मिलें भी लाभप्रद रहें और देश की अर्थ व्यवस्था को कोई हानि न पहुँचे ।

डा० रामेन सेन (बारसाट) : पटसन उद्योग के श्रमिकों की मांगें स्वीकार की जानी चाहियें तथा मामले को निपटाया जाना चाहिये ।

श्री स० कुण्डु (बालासोर) : मैंने श्री ब० रा० भगत का वक्तव्य पढ़ा है । उसमें कुछ त्रुटियां हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे लिखें । मैं इन पर विचार करूंगा कि क्या इस पर चर्चा सम्भव है ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : As a result of the strike in the Jute mills, the prices of jute have fallen. The Government should take an immediate action in this connection.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Chief Minister of Punjab has given a threat about Chandigarh. Action may be taken against him under unlawful Activities Act.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार इसे उठाना उचित नहीं है । आप पहले मुझे लिखें । ऐसी कोई बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी ।

श्री रणधीर सिंह : * *

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आर्थिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय

उपमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्रीमती इन्दिरा गान्धी की ओर से "आर्थिक प्रशासन" पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई कतिपय सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण सभा-पटल पर रखती हूँ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1538/69]

फिल्म सेंसरशिप सबन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्षों के सारांश

उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से फिल्म सेंशरशिप संबन्धी जांच समिति के प्रतिवेदनमें दिये गये निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1539/69]

Notifications under Export (Quality Control and Inspection) Act, Textile Committee Act and Industries (Development and Regulation) Act.

---

* * कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chawdhary Ram Sewak) : I beg to lay the following papers on the Table :

(1) A copy of the Export of Coir Yarn (Inspection) Amendment Rules, 1969, published in Notification No. S. O. 2854 in Gazette of India dated the 15th July, 1969, under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. (Placed in Library. See No. L. T. 1540/69).

(2) A copy of the Textiles Committee (Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G. S. R. 1374 (English version) and G. S. R. 1375 (Hindi version) in Gazette of India dated the 14th June, 1969, under sub-section (3) of section 22 of the Textile Committee Act, 1963. (Placed in Library. See No. L. T. 1541/69).

(3) A copy of Notification No. S. O. 2839 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 11th July, 1969 regarding management of the Model Mills Nagpur Limited, Nagpur, under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. (Placed in Library. See No. L, T. 1542/69).

युद्ध में मारे गये सिपाहियों की विधवाओं को पेंशन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1684 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 1684 Re. PENSIONS TO WIDOWS OF SOLDIERS KILLED IN WAR

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : 14 मई, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 1684 के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि सैनिक स्कूलों में 60 प्रतिशत स्थान प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए रखे जाते हैं जबकि सैनिक स्कूलों में केवल 33 प्रतिशत ऐसे बच्चों के लिये स्थान रक्षित हैं न कि 60 प्रतिशत के लिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर की शुद्धि में बहुत विलम्ब किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

बिहार में हरिजन महिला विधायक पर आक्रमण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. ATTACK ON HARIJAN LADY M. L. A. IN BIHAR

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या शरण शुक्ल) : सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रीमती भगवती देवी ने 31 जुलाई, 1969 को गया जिले के बड़ाचाटी ग्राम में एक शिकायत दर्ज कराई थी। जब वह भदैया ग्राम में एक चाय की दुकान पर चाय पी रही थीं तो 50 युवकों की एक भीड़ जमा हो गई। उनमें से एक ने उन्हें आतकित किया तथा एक और व्यक्ति ने उन्हें पीटने की धमकी दी। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 तथा 354 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है, उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 114 तथा 117 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई है।

Shri Madhu Limaye : The Government should formulate a certain plan in this direction and the Home Ministers and Police Ministers of the States should be called in this connection.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The constables of Security Department in Bokaro attacked on a residential area of Harijans and wounded five Harijan women. The Minister should hold an enquiry in this connection.

उपाध्यक्ष महोदय : आप गृह-कार्य मन्त्री को जानकारी दें। वह इसकी जांच करायेंगे।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : 106 Members of Parliament had submitted a petition to the Prime Minister regarding the disbursment of scholarships to Harijans. Shri Govinda Menon had announced in Rajya Sabha that the order in question was being stayed, but it has been wrongly stayed.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : धनबाद में एक कोयला खान में अधिकारियों द्वारा एक श्रमिक को पीट-पीट कर मार डालने के बारे में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 44 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : 'कि खंड 4, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause I, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

इसके साथ ही मैं खंड 3 में एक छोटा सा मौखिक संशोधन करना चाहता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ

पृष्ठ 2,

(i) पंक्ति 3 में "brackets, 'figures" [कोष्ठक, आंकड़ों] के स्थान पर 'figures' ["आंकड़े"] शब्द अतः स्थापित किये जायें; और

(ii) पंक्ति 4 में "Sub section" (i) of ["की उपधारा (i) "] शब्दों का लोप किया जाये।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कडुलूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप माननीय मंत्री को इस खंड पर पुनः विचार करने की अनुमति देते हैं तो मुझे भी ऐसी ही अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक आनुषंगिक संशोधन हैं। इसी कारण मैंने नियम 93 (3) के अन्तर्गत इसकी अनुमति दी है।

श्री रघुरामैया : मैंने माननीय सदस्य का संशोधन देखा ही नहीं। अतः दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। मेरा संशोधन आनुषंगिक है।

Shri Madhu Limaye : Sir, the rule quoted by you does not apply at this stage. It pertains to third reading stage.

श्री वी० कृष्णामूर्ति : मैंने इसकी सूचना पहले ही सचिव को दे दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई। यदि सरकार सहमत हो जाये तो मैं नियम निलम्बित करने के लिए तैयार हूँ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

इस प्रस्ताव पर "कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1969 को संशोधित रूप में पारित किया जाये" चर्चा कल तक के लिये स्थगित की जाये।"

मैं चाहता हूँ कि संसद कार्य मंत्री सभा के सभी पक्षों से विचार विमर्श करके एक सर्वसम्मत सूत्र सभा के समक्ष लायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

इस प्रस्ताव पर "कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1969 को संशोधित रूप में पारित किया जाये" चर्चा कल तक के लिये स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen hours of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर चार मिनट मध्याह्न पश्चात् पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana in the chair]

पश्चिमी बंगाल विधान मंडल के परिसर की पवित्रता को भंग करने के संबन्ध में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re : HOME MINISTER'S STATEMENT ON VIOLATION OF SANCTITY OF WEST BENGAL LEGISLATURE PREMISES

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि पश्चिमी बंगाल विधान मंडल परिसर की पवित्रता को भंग करने के बारे में 4 अगस्त, 1969 को गृह-कार्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

मैंने मन्त्री महोदय का वक्तव्य पढ़ा है···

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूचबिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल विधान मंडल परिसर की पवित्रता को भंग करने के बारे में है। मेरे विचार में इस प्रस्ताव को नियम 186 अथवा 188 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। नियम 188 के अनुसार कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जो न्यायिक आयोग अथवा अर्ध न्यायिक आयोग, न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ हो। यह सर्व विदित है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस घटना की जाँच का आदेश दे दिया है। जाँच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अतः मेरा निवेदन है कि इस चर्चा को स्थगित रखा जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee ; The enquiry which is being conducted is not Judicial one. It is only an administrative inquiry. This House is quite competent to discuss this matter. You may kindly permit the discussion.

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : कोई सेवा निवृत्त मुख्य सचिव इस विषय में जांच कर रहे हैं। मेरे विचार में इस विषय पर चर्चा हो सकती है।

सभापति महोदय : श्री हेम बरुआ अपना भाषण जारी रखें।

श्री हेम बरुआ : मैंने माननीय मन्त्री के वक्तव्य को बड़े ध्यान से पढ़ा है। मुझे दुख है कि वक्तव्य में घटना का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय माननीय मन्त्री एक व्यापक वक्तव्य देकर हमें सभी चीजों से अवगत करायेंगे।

विधान सभा पर इस प्रकार का आक्रमण भारत के सभी राजनैनिक दलों के लिये चिन्ता का विषय है। यह संसदीय लोकतन्त्र को एक चुनौती है। अतः सभी राजनैतिक दलों को इस प्रकार के पुलिस के आक्रमण की निन्दा करनी चाहिये। यह घटना संयुक्त मोर्चे की सरकार के अधीन हुई है। कल को ऐसी ही घटना कांग्रेस सरकार के अधीन भी हो सकती है। अतः हमें बिना पक्षपात के इसकी ओर ध्यान देना चाहिये और सभी को इसकी निन्दा करनी चाहिये। पुलिस वालों ने बहुत घिनौनी हरकतें की हैं।

साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस वालों की कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं। उन पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं आप का ध्यान पश्चिमी बंगाल विधान सभा में हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहता

हूं । अध्यक्ष की अनुमति से जब कुमारी आभा मैती स्थगन प्रस्ताव पढ़ रही थी उस समय सरकारी पक्ष की ओर से उनको जूते दिखाये गये । क्या ऐसा करना अच्छा है ? जब सदस्य ही ऐसा व्यवहार करने लगें, तो पुलिस क्रुद्ध पुलिस वालों से कैसे व्यवहार की आशा की जा सकती है ? जहां पुलिस वालों का व्यवहार ठीक नहीं वहां कुछ सदस्यों ने भी ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया ।

राज्य सरकार को इस घटना से निपटने के पहले ही कार्यवाही करनी चाहिये थी । विधान सभा पर आक्रमण से पूर्व ही जलूस निकला हुआ था । यह ठीक है कि एक पुलिस वाले को बड़ी निर्दयता से मार दिया गया था । उसके कारण वे लोग बड़े क्रुद्ध थे । फिर सदस्यों की ओर से उनको उकसाया गया बताते हैं । यह अनुचित था ।

आज समूचे देश में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है । अहिंसा बहुत होने लगी है । लोगों में यह धारणा है कि यह सरकार शान्तिमय तरीकों से मांगों को पूरा नहीं करती । आजकल गांधी शताब्दी वर्ष मना रहे हे । ऐसे अवसर यह बातें शोभा नहीं देती । हमें गांधी जी द्वारा बताये मार्ग पर चलना होगा ।

मैंने प्रधान मन्त्री के उस भाषण को पसन्द नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि मैं कम्युनिस्ट बनना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता । हमने लोकतन्त्र को अपनाया है । ऐसी प्रणाली में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) माननीय सदस्य ने प्रधान मन्त्री को ठीक से नहीं सुना ।

श्री हेम बरुआ : मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा है । पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई है कि इसका प्रभाव पुलिस पर भी पड़ा है । इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कितनी अधिक गड़बड़ हुई होगी । जब वहां पहले अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया जाता रहा है, तो अब ऐसी घटनायें होना स्वाभाविक ही है । एक भारतीय साम्यवादी नेता ने कहा है कि हम लोगों को राहत नहीं देना चाहते हम तो उन्हें क्रान्ति के लिये तैयार करना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इस समय किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ? इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : दो अन्य साम्यवादी नेताओं ने कहा है कि वे संविधान को ही समाप्त करना चाहते हैं । पश्चिमी बंगाल में उसी बात का अनुसरण किया गया है । राज्य सरकार के गृह मन्त्री ने उस स्थिति में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है । परन्तु अध्यक्ष को तो खिड़की के रास्ते भाग कर जाना जाना पड़ा । इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी अधिक गड़बड़ी हुई होगी । 31 जुलाई को अमरीकी राष्ट्रपति श्री निक्सन भारत आये थे और उनके विरुद्ध कलकत्ता में प्रदर्शन किये गये । श्री ज्योति बसु ने कहा है कि वे पुलिस के विरुद्ध जन मोर्चा तैयार करेंगे । यह गृह युद्ध को खुला निमंत्रण है । पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय सेना को तैयार रहने के लिये कह दिया गया था । यह भी देश गृह युद्ध को निमंत्रण ही है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई दल सत्तारूढ़ हो इस प्रकार की समस्या का हल मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए । पश्चिम बंगाल की इस घटना के बारे में यह कहा गया है कि पुलिस को कानून का उल्लंघन करने के लिए भड़काने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है । मेरा अनुरोध है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए इस सारी घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए । पश्चिम बंगाल

में संविधान का उल्लंघन किया गया है । चूंकि संविधान की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है । अतः जहां कहीं भी संविधान का उल्लंघन किया जाता है केन्द्रीय सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए । मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के मामले में हस्तक्षेप करे और वहां की सरकार अपदस्थ हो जाये । किन्तु मैं सरकार से यह अवश्य कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है । अतः सरकार को स्थिति के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की घटना हुई और आज हमें उसके बारे में प्रस्ताव लाकर इस सभा में विचार करना पड़ रहा है । पश्चिम बंगाल में लोग तनावपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं और वहां पर महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है । पुलिस वहां पर विधान में घुसी और उसने वहां पर तोड़-फोड़ की ।

यह बड़े खेद की बात है कि एक पुलिस कर्मचारी की नृशंस हत्या की गई थी । उसकी आँखें निकाल ली गईं और कान काट लिए गये । कुछ राजनीतिक दलों द्वारा वहां पर इस प्रकार की अराजकता और हिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है ।

जब से पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी है तब से वहां बड़ी विचित्र घटनाएं हो रही हैं । इन्हीं घटनाओं ने बढ़ते-बढ़ते आज यह रूप धारण कर लिया है । पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता के अनुसार संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में 58 राजनीतिक हत्याएं हुईं, लगभग 75 मामलों में राजनीतिक लोगों पर आक्रमण किये गये । औद्योगिक क्षेत्र में 166 हिंसक तथा गैर कानूनी घेराव हुए तथा कृषि क्षेत्र में 100 से अधिक अपराधिक अतिक्रमण की घटनाएं हुईं । इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर लूटमार आदि की घटनाएं हुईं । गत चार महीनों में औद्योगिक उत्पादन 82 प्रतिशत कम हो गया है । सबसे जघन्य बात यह हुई है कि कनकी में एक गर्भवती महिला की बर्छी से हत्या कर दी गई । इस प्रकार के जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के इतिहास में कभी नहीं हुए । मध्यकालीन युग में भी सैनिक युद्ध और आक्रमण के समय पूजा स्थलों पर आक्रमण नहीं करते थे और महिलाओं को नहीं छूते थे । किन्तु यह सब कुछ संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हो रहा है ।

श्री ज्योति बसु ने पुलिस बजट पर चर्चा के समय विधान सभा में कहा था कि संयुक्त मोर्चा सरकार के अवयवों में जो मतभेद है वह इस प्रकार की घटनाओं से प्रकट हो रहा है और इस प्रकार की स्थिति पुलिस के लिए कठिनाई पैदा कर देती है । अब स्थिति यह है कि श्री ज्योति बसु पुलिस पर नियंत्रण के लिए 3,000 व्यक्तियों का संगठन तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए । संयुक्त मोर्चा सरकार के एक मंत्री का कहना है कि यदि घेराव जारी रहे, तो यह सरकार सात-आठ महीने से अधिक नहीं चलेगी । श्री प्रबोध पुरा कायस्थ ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुलिस फूट पैदा कर रहे हैं । आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, केन्द्रीय सरकार को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है । वह अपने उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं हो सकती

है। मैं यह नहीं कहती कि सरकार संविधान से बाहर कोई कार्यवाही करे। मैं समझती हूँ कि इन सब मामलों की जांच करने के लिए तथा वास्तविकता का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक न्यायिक आयोग नियुक्त करना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल में जब विधान सभा की सदस्या कुमारी आशा मैती गृह मंत्री से मिलने के लिए उनके कक्ष में गईं तो उन्हें बाहर चले जाने को कह दिया गया। इस प्रकार की घटना आज तक विधान सभा के इतिहास में नहीं हुई।

ऐसी घटना विश्व के इतिहास में केवल एक बार तब घटी थी जब क्रामवेल अपनी सेना को लेकर ब्रिटिश संसद में गया था और उसने संसद में बैठे लोगों को बाहर निकाल दिया था। किन्तु मैं नहीं समझ पाई कि बंगाल में ऐसा क्रामवेल कौन पैदा हो गया है। इन सब बातों का उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : पश्चिम बंगाल में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। देश में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व केन्द्र का है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उस पर यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया और उचित कार्यवाही नहीं की गई, तो सारे देश के लिए उसके भयंकर परिणाम होंगे। पश्चिम बंगाल विधान सभा में पुलिस द्वारा प्रवेश में कुछ राजनीतिक दलों का हाथ था। कुछ साम्यवादी लोगों का कहना है कि इस घटना में कांग्रेस का हाथ है। मैं सामझता हूँ कि पुलिस के दो संघ हैं उसमें एक पर कांग्रेस दल का नियंत्रण है और दूसरे पर सम्यवादी दल का। मैं तो समझता हूं कि पुलिस द्वारा इस प्रकार संघ बनाना ही गैर कानूनी है। यदि इस प्रकार के संघों का समर्थन किया जाता रहा तो सभी लोग संघ बनाने की मांग करेंगे। ऐसा लगता है कि इस घटना में साम्यवादी दल का हाथ था।

एक प्रश्न यह पैदा होता है कि पुलिस कर्मचारी को क्यों मारा गया था, उसे किसने मारा था, वह कैसे मरा था, उसकी आँखें किसने निकाली तथा उसकी शव यात्रा में किसने बाधा उत्पन्न की। इन सब बातों की जांच कराई जानी चाहिए और देश को वास्तविकता से अवगत कराया जाना चाहिए। इस कार्य के लिये राज्यपाल की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। बंगाल का जब कोई भी मामला आता है तो सरकार अपने को कोई कार्यवाही करने में असमर्थ सी पाती है और कोई कार्यवाही करने में हिचकिचाती है। क्या यह देखना गृह कार्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि उस राज्य में भी शान्ति बनी रहे? श्रीमती इला पालचौधरी ने ठीक ही कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था नहीं है तथा कानून का पालन करने वाले लोगों के लिए अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो गया है। पिछली बार विधान सभा के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया था। मैं समझता हूँ कि यह प्रजातंत्र में शोभनीय बात नहीं है। चाहे कोई दल राज्यपाल के विचारों से सहमत हो या न हो किन्तु जब वह संविधान के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का पालन करता है तो यह प्रत्येक दल के सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि वे राज्यपाल की बात को सुनें। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि यह शिष्टाचार राज्यपाल के प्रति नहीं दिखाया गया।

घेरावों में भी पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने दिया। पश्चिम बंगाल में पुलिस को आदेश है कि जब तक उसे कोई कार्यवाही करने के लिए न कहा जाये तब तक वह कोई कार्यवाही न करे। जब वहां पर इस प्रकार की स्थिति है तब तक कानून और व्यवस्था को कैसे बनाये रखा जा सकता है। हाल में जूट मजदूरों द्वारा किये गये घेराव में संयुक्त मोर्चा सरकार के एक मंत्री ने भी भाग लिया था। अभी दो दिन पहले उन्होंने हड़ताल में भी भाग लिया था।

क्या एक मंत्री द्वारा हड़ताल में भाग लेना विचित्र बात नहीं है ? यदि मंत्री लोग ही इस प्रकार कानून तोड़ने लग गये तो देश में कानून और व्यवस्था कैसे कायम रह सकती है।

हमारे देश में दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। एक अपने आपको अति क्रान्तिकारी कहते हैं और वे हैं साम्यवादी। दूसरी ओर हैं फासिस्ट। अभी दो वर्ष पहले श्री नन्दा को विवश होकर अपना पद त्याग करना पड़ा था। अतः संसद सदस्यों, केन्द्र के मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों तथा राज्यों के मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे देश के सामने एक अच्छा उदाहरण रखें।

मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की कमजोरी के कारण यह सब कुछ हो रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में आपात कालीन स्थिति नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहां पर आपात कालीन स्थिति है क्योंकि न तो वहां कानून और व्यवस्था है और न संविधान के अन्तर्गत वहां पर पुलिस को अपना कार्य ही करने दिया जाता है। वहां पर मंत्रियों द्वारा पुलिस के विरुद्ध जन संगठन तैयार किया जा रहा है। वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि उसे पश्चिम बंगाल में आपात कालीन स्थिति घोषित कर देनी चाहिए और वहाँ पर कानून और व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लेना चाहिए। यदि सरकार यह कदम नहीं उठाती है तो वह देश की बर्बादी की जिम्मेदार होगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : What has happened in West Bengal Assembly in the democratic set up of Government is something unprecedented and should be condemned strongly. The entry of police in the Legislative Assembly was a very unfortunate incident. What is still more important is that we should go into the circumstances leading to this ugly situation.

After the mid-term elections certain things have happened in West Bengal which cannot be ignored. There have been increasing number of incidents of violence, gherao, murders and growing sense of insecurity among the people. There are some other States also where there are United Front Governments but no where do we find such an atmosphere prevailing where the constitution is being so openly flouted and the teachings of Mao-Tse-Tung are being so openly propogated.

It is in this background that we want the Home Minister to answer some questions. It should be stated as to who are the people behind the raids made on police stations during the last few months and whether they are connected with any particular political party. We also want to know that if the communist (Marxist) party is at the back of these things, what action has been taken by the State Government against them so far and what is the policy of the centre in this regard ? It should also be stated that if it is not a fact that prominent Congressman of 24 Pargana district had sought police protection and inspite of that he had been murdered and no arrest has so far been made in this connection ? The country is very much worried about the power working behind these incidents. How long can the centre remain a silent spectator to such things ?

Recently when a question was asked about the film 'Shatranj' which had caused an ugly incident in a Cinema house of Calcutta, the Home Minister had stated that he had no information. There is a definite reason behind this non-availability of information. The intelligence men there have instructions to the effect that they cannot pass on any information to the higher authorities directly and they will supply such information only to the Communist (Marxist) party workers. The result is that the higher officers of the Intelligence Department do not get any information in regard to what is happening there and hence the Central Home Ministry also remain in the dark.

So far as the incident of police entry into the Assembly is concerned it appears to be a

well planned affair. The police have unions there, one of which is headed by Shri Pramod Dasgupta who is a Communist (Marxist) Party worker. Most of the policemen, who entered the Assembly Hall belong to this Union. The Home Minister should inquire into this matter.

What is happening in West Bengal is not only a challenge to that State but to the entire country. The centre should not wait any longer and must take suitable steps so that the trouble dose not spread to other State.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : यह घटना न केवल कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित है, अपितु यह हमारे संविधान तथा प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को चुनौती है । केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि समूचे देश में प्रजातंत्रीय व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य करे और यदि कहीं कोई कमी रह जाती है या किसी राज्य में प्रजातंत्रीय ढंग से कार्य नहीं होता है तो उसे ठीक करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है । यही कारण है कि आज हम इस मामले पर इस सभा में चर्चा कर रहे हैं ।

31 जुलाई, 1969 को पुलिस द्वारा विधान सभा में प्रवेश करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सब इसकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार की अप्रिय घटना आज तक कहीं नहीं हुई । विधान सभा के अध्यक्ष को अपने आसन से उठ कर भागना पड़ा था । समाचारों से पता चलता है कि अनेक सदस्यों ने कहा है कि यह बंगाल के लिये कलंक की बात है । इससे प्रशासन के कुप्रबन्ध का पता चलता है । पुलिस जो सदैव अनुशासन में रहती है और जिसे अनुशासन में रहने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, आसानी से ऐसा कदम नहीं उठा सकती है । पुलिस को हर प्रकार की स्थितियों में काम करना सिखाया जाता है । पुलिस द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना इस बात का प्रतीक है कि वहां पर प्रशासन की बुनियाद ही हिल गई है । यह प्रजातंत्र के लिये खतरे का संकेत है ।

अब हमें इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिये इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करना होगा । जब से संयुक्त मोर्चा सरकार सत्तारूढ़ हुई है तब से प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता फैली है । पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री अजय मुकर्जी को उनके कार्यालय में उनके कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा पीटा गया था किन्तु उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । इस प्रकार क्या कोई किसी प्रकार के अनुशासन की आशा कर सकता है ? क्या इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस को धक्का नहीं लगा होगा ? सतारूढ़ सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए था । सरकार वहाँ पर दुहरी चाल से कार्य कर रही है । एक ओर वह प्रशासक है और दूसरी ओर वह आन्दोलनों में भी भाग लेती है । वह कानून की रक्षक भी और कानून को भी वही तोड़ती है । वह प्रत्येक स्थान पर गड़बड़ करवाती है पुलिस के साथ-साथ उसने अपनी पार्टी के सदस्यों का एक संगठन सा बना लिया है और वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस संगठन का प्रयोग करती है । जब वहां पर स्थिति इस प्रकार की है तो पुलिस से अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभाने की आशा कैसे की जा सकती है । पुलिस को निष्क्रिय सा कर दिया गया है । उससे जनता की रक्षा करने की आशा कैसे की जा सकती है । रवीन्द्र सरोवर की घटना इसका ज्वलन्त उदाहरण है । वहां पर लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया । पुलिस वहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठा सकी । लोग वहाँ पर इतने भयभीत हैं कि रवीन्द्र सरोवर काण्ड की जाँच के सम्बन्ध में किसी को भी खुलकर गवाही देने का साहस नहीं हुआ । यही कारण है कि वहाँ पुलिस में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है । इन सब घटनाओं के लिये साम्यवादी लोग जिम्मेदार हैं । पुलिस यह भूल गई है कि

उसका क्या कर्तव्य है। हाल में श्री मोरारजी देसाई कलकत्ता गये थे और उन्होंने कहा था कि हम वहां की घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। इस पर श्री ज्योति बसु ने उन्हें चुनौती दी वह जो चाहें करें। श्री ज्योति बसु प्रत्येक मामले को संविधान से बाहर सड़क पर निपटाना चाहते हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने भी उन्होंने कहा था कि यदि निवसन विरोधी प्रदर्शन् कारी उनकी तरफ आ गये तो उनके लिये स्थिति बहुत गम्भीर हो जायेगी। क्या इस प्रकार वहां पर कानून और व्यवस्था को बनाये रखा जा सकता है ? जब वहां पर स्थिति ही ऐसी है तो पुलिस में अनुशासन नहीं रह सकता है। वहां पर इस अराजकता को स्वयं गृह मन्त्री प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह अनुशासन-हीनता दुर्गापुर कांड से आरम्भ हुई थी यहां तक स्थिति उससे भी पहले बिगड़ने लग गई थी।

पुलिस जानती है कि उनका कार्य जोखिम का है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने में मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है तथा उसे घायल भी होना पड़ सकता है।

मैं चाहूँगी कि गृह कार्य मन्त्री इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दें। क्या पुलिस के एक व्यक्ति के हाथ पैर काट कर मार दिया गया था। यदि वह मारा गया तो उसे किसने इस प्रकार से मारा ? यदि अंग-विच्छेद करके कोई पुलिस वाला मारा गया है तो पुलिस में रोष फैलना स्वाभाविक ही था।

यदि पश्चिमी बंगाल के गृह-कार्य मन्त्री का यह दावा पूर्णतः सत्य है कि पश्चिमी बंगाल की जनता वहां की सरकार के साथ है तो उन्हें सहायता के लिए सेना क्यों बुलानी पड़ी। क्या स्वयं उनके राजनीतिक दल में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुशासन भंग कर रहे हैं। मेरे विचार से पश्चिमी बंगाल में विधि-व्यवस्था शेष नहीं रह गई है। वहाँ संविधान भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति में हम सब एक नाजुक स्थिति में नहीं हैं ?

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : डा० बी० सी० राय ने लगभग 200 पुलिस वालों को चरित्रहीनता के आधार पर बर्खास्त किया था परन्तु ज्योति बसु ने उन्हें फिर काम पर लगाया। ऐसा किस कारण से किया गया ?

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Mr. chairman, the incident which took place on 31st July, 1969 is an extraordinary incident. The vandalism and ransacking by the Police in West Bengal Assembly is a shock for all those who want peace and democracy in the country. We should view this incident in three perspectives what did happen on that day ; why did it happen ; and what should be done to prevent its recurrence in future ? It is my opinion that such an incident does not take place only due to some immediate cause. There is always some thing deep behind such an incident, which appears to be an effect of some immediate cause.

I think policemen should also be given protection. In Kerala as well as in West Bengal such incidents took place in which people attacked police stations and the defaulters were not arrested. In one incident arms were snatched away from the policemen. All this led to the feeling of insecurity in policemen. I would like to know why the incidents like Ravindra Sarovar incident and incident of vandalism by Police in West Bengal Assembly take place only in West Bengal. There must be some background to it, and we must understand it completely before arriving at any conclusion.

There is Gherao everywhere. Now gherao did not remain limited to labour, but it is equally applicable in all spheres-education, administration and justice. The atmosphere, which had been prevailing in the West Bengal for last 3 or 4 months is responsible for it. The West Bengal Government themselves encouraged these things. They made court ineffective, police ineffective, Principal of college ineffective and even ministers ineffective. There is atmosphere of insecurity prevailing in West Bengal.

So I would like to draw the attention of Home Minister to this state of affairs. Can anybody say that the constitution is working properly there when hon. speaker and the Members of Legislative Assembly are being forced to leave the Assembly ? In such a situation it is the duty and responsibility of the Centre to take proper action under article 355 of the constitution. Secondly, I want to say that there should be no objection if policeman make an association for welfare purposes. This Welfare Association will at least see to their reasonable demands and grievances. The same case is with the Delhi police.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य की यह बात ठीक नहीं है कि दिल्ली पुलिस के हितों को देखने के लिये कोई संगठन नहीं है। दिल्ली पुलिस के लोगों को कल्याण संगठन (वेलफेयर एसोसिएशन) बनाने की अनुमति प्राप्त है।

Shri Jagannath Rao Joshi : In the end, I would like to say that this is not good to call Central Reserve Police to control State Police and to call military to control Central Reserve Police. This is wrong method to deal with the affairs. If the Chief Minister or the Government is bent upon creating an atmosphere favourable for a big revolution, who else can help the democracy to survive. It will pose a serious threat to democracy in our country. Our Home Minister should see to it and take responsibility on his shoulders that no such unhappy episode occurs in future.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : सभा में सभी पक्षों की ओर से पश्चिमी बंगाल पुलिस की इस कार्यवाही की निन्दा की गई है। इसके लिए कौन उत्तरदाई है इस बात का निर्णय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके सम्बन्ध में ठीक जानकारी प्राप्त न हो जाये। समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाएँ किसी तात्कालिक रोष के परिणाम स्वरूप नहीं होती। यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसी घटनाओं के लिये वातावरण बहुत पहले से बनता आ रहा था। यह जो तूफान आया है यह एक दिन की उपज नहीं है। यह धीरे-धीरे पनपता जा रहा था और अब यह इतना विशाल रूप धारण कर गया कि उसे छिपाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी भी देश या स्थान में शान्ति और व्यवस्था बनी नहीं रह सकती।

पुलिस पश्चिम बंगाल विधान सभा तक पहुँची और वहां उत्पात किया। इस सबकी एक लम्बी पृष्ठभूमि अवश्य होगी। हजारों पुलिस वाले डेढ़ घंटे में कलकत्ते की गलियों में प्रदर्शन करते हुए विधान सभा तक पहुँचे थे। इस बीच कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? सभा परिसर में श्री ज्योति बसू ने यह कहकर उन्हें ताड़ना दी कि वे लोग प्रदर्शन के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशासन के किस सिद्धान्त और परम्पराओं के आधार पर पुलिस को जो विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है, शासकों के विरुद्ध प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि वहां पर अनुशासन नाम की कोई वस्तु विद्यमान नहीं हैं। अब वे ही लोग कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो अनुशासन भंग किया गया है वह किसी के द्वारा संयुक्त मोर्चे की सरकार के विरुद्ध किये गये षड़यंत्र का परिणाम है। उच्च पुलिस अधिकारी भी इस षड़यत्र में सम्मलित थे। ऐसा कहने से पुलिस दल में अविश्वास प्रदर्शित करना है। पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है उसमें इतनी अनुशासनहीनता की घटनाएं नहीं घटनी चाहिये।

इस घटना की जो जांच की जा रही है क्या सरकार उससे संतुष्ट है? यह जांच 31 जुलाई की घटना तक ही सीमित है। मेरे विचार से यह जांच सम्पूर्ण स्थिति के बारे में की जानी

चाहिए, पुलिस की कार्य-पद्धति की जांच होनी चाहिये, केवल एक घटना तक ही इसे सीमित न रखा जाये ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : सभापति महोदय सभा के कुछ सदस्यों को संयुक्त मोर्चे की सरकारों की प्रत्येक सम्भव अवसर पर निन्दा करने में आनन्द आता है । हमने देखा है कि 1967 से ही संयुक्त मोर्चे की सरकारों को गिराने के लिए केन्द्रीय सरकार कटिबद्ध रही है । इसी कारण से संयुक्त मोर्चे की सरकार को अवैध रूप से बर्खास्त कर दिया गया था । अब भी पश्चिमी बंगाल पुलिस और कुछ राजनीतिज्ञों के बीच कोई गठबन्धन दिखाई देता है ।

श्रीमान्, प्रायः यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में अनुशासनहीनता व्याप्त है । परन्तु अन्य राज्यों की क्या स्थिति है ? जो लोग पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चे की कटु आलोचना करते हैं उन्हें यह भली-भांति समझ लेना चाहिये कि अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ढांचा बिल्कुल बदल गया है । संयुक्त मोर्चे की सरकार का यदि कोई दोष है तो केवल यह है कि भूमि सम्बन्धी जो सुधार कांग्रेस शासन काल में क्रियान्वित नहीं किये गये थे उन्हें अब संयुक्त सरकार क्रियान्वित कर रही है । वहां पर जो विधि-व्यवस्था में गड़बड़ हुई है उसका कारण कांग्रेस के वे दोष हैं जो कांग्रेस के शासन काल में एकत्र होते रहे ।

श्री मधु लिमये कहते हैं कि श्री ज्योति बसु को पुलिस का यूनियन बनाने का अधिकार मानना चाहिये । श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने आरोप लगाया कि (मार्क्सवादी) साम्यवादी दल के नेता श्री प्रमातादास गुप्त पुलिस की एक यूनियन के नेता है । वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिमी बंगाल पुलिस में दो संगठन हैं और ये संगठन संयुक्त मोर्चे की सरकार के बनाने से पहले भी विद्यमान थे । अब पश्चिमी बंगाल सरकार पुलिस सम्बन्धी सभी मामलों को ठीक करती जा रही है ।

जहां तक 31 जुलाई की घटना का सम्बन्ध है श्री ज्योति बसु ने भी यह स्वीकार किया है इसमें कहीं पर प्रशासन की असफलता हुई है । परन्तु इसकी जांच के लिये एक भूतपूर्व आई० सी० एस० अधिकारी को नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त यह आरोप एकदम गलत है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन भंग हो चुका है, वहाँ विधि-व्यवस्था नहीं है । वहां पर जूट उद्योग में काम करने वाले लगभग ढाई लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं, फिर भी वहां शांति यथावत् बनी हुई है । पश्चिम बंगाल में प्रशासन के भंग होने की बात करना अनुचित है । वहां की सरकार के सामने जटिल समस्याएँ, जिनके समाधान के लिये सरकार प्रयास कर रही है । यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए ।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : श्रीमान्, पश्चिम बंगाल विधान सभा की पवित्रता को पुलिस द्वारा भंग किये जाने की घटना पर मैं चिन्ता व्यक्त करता हूँ और उस घटना की भर्त्सना करता हूँ । यह न केवल विधान सभा पर आक्रमण था बल्कि यह तो संसदीय लोकतंत्र पर आक्रमण था । इस घटना की पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मन्त्री दोनों ने ही निन्दा की है । यह बड़े दुःख की बात है कि विधि-संरक्षक ही विधान सभा को तोड़ने पर उतारू हो जाये । ऐसी घटना चाहे कांग्रेस सरकार के अधीन हो चाहे द्रविड़ मुनेत्र कृषगम सरकार के अधीन या संयुक्त मोर्चे सरकार के अधीन, सभी स्थानों पर निन्दनीय है । परन्तु राज्य सरकारों से सम्बद्ध मामलों पर विचार करते समय हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिये ।

मैं पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार की हिमायत नहीं ले रहा हूँ । मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि यह तो पश्चिम बंगाल विधान सभा का मामला है और इसे वहाँ के लोगों

द्वारा ही निपटाया जाना चाहिये। यदि यह केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा यह एक खतरनाक पर्वोदाहरण होगा। यदि राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना पर यहां पर चर्चा की जायेगी तो देश में संसदीय लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। इस स्थिति में संघीय सरकार पद्धति की बजाय एकात्मक सरकार पद्धति क्यों नहीं लागू कर दी जाती ?

यदि पश्चिम बंगाल विधान सभा में श्री चव्हाण या हमारे सभापति के आचरण के बारे में कोई विधायक प्रस्ताव पेश कर दे तो क्या हमारी संघीय शासन पद्धति जीवित रह सकती है ?

तीन दिन पहले जब मैं मद्रास में था पांडिचेरी विधान सभा के द्रविड़ मुनेज कड़घम के एक सदस्य ने मुझे बताया कि वे एक केन्द्रीय मंत्री के आचरण के बारे में पांडिचेरी विधान सभा में एक प्रस्ताव रखेंगे। मैंने उन्हें बताया कि यह तो विशेषाधिकार का मामला बन जायेगा। उन्होंने कहा कि गृह-कार्य राज्य मंत्री ने पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के गृह मंत्री पर यह आपोप लगाया है कि उनका कत्ल के एक मामले में हाथ है। श्री चव्हाण ने अभी कहा है कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़े। परन्तु क्या ऐसे वक्तव्यों से अच्छे सम्बन्ध बने रह सकते हैं ? यदि यह आरोप सही होता तो वास्तव में यह बहुत ही निन्दनीय था परन्तु दो दिन बाद वही मंत्री सभा में आकर कहते हैं कि "मैं अपने आरोप को वापस लेता हूँ और क्षमा मांगता हूँ।' परन्तु उनके पहले वक्तव्य से उनकी बदनामी तो हो ही गई।

अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि विधान सभा पर हमला संसदीय लोकतंत्र पर हमला है। परन्तु इसके कारण का पता लगाया जाना चाहिये कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, क्या उस मंत्रालय को गिराने का प्रयास किया गया था, इसकी राज्य सरकार द्वारा जांच कराई जानी चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो राज्य विधान सभा को उचित कार्यवाही करनी होगी। यदि कोई असंवैधानिक कार्य हुआ है तो उसके बारे में सांवैधानिक ढंग से कार्यवाही होनी चाहिये।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : Ideological war is going on in West Bengal. All these happenings are a result of this war. The U. F. Government is functioning with this ideology in view. The Communists ideology is that ends justify the means and means do not justify the ends. Wherever in the country this party is in power, they try to create violence. It is lamentable that the Chief Minister of West Bengal should have been manhandled by the police and the persons-responsible for this should have escaped any legal action being taken against them.

Now take the case of Durgapur. There the innocent persons were subjected to gheraos by the rowdy elements and no action was taken against them. But on the contrary where efforts were made to take action against them, the military officer was arrested, and proceedings were launched against him. This malady is deep rooted and all efforts to curb it will be kept at bay unless public opinion and all political parties in the country are mobilised against it. It is evident that the Communists are avidly committed to bringing about an armed revolution in the country. To bid defiance to this contagion of Communism Governments should not remain a silent spectator but come out openly against it since within the constitutional framework the Central Govt. is precluded from taking any action against the State Govt.

False hopes are being evoked by the slogans raised by the C. P. I. in the name of United Front. Wherever U. F. Governments have been formed, they have failed. The S. S. P., P. S. P. and other parties are not showing circumspection and foresightedness by

aligning themselves with the C. P. I. which is sowing the seeds of dissensions in the country. Even the communists are divided in three parts, viz. C. P. I., C. P. I (M) and Naxalites. It is high time the Government took care to set its house in order, study the problem in all its ramifications and fight this ideological war spearheaded by Shri Jyoti Basu and his fellow travellers.

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : श्री ज्योति बसु ने यह स्वीकार किया है कि उनका प्रशासन असफल रहा है। यह क्यों असफल रहा है और इसका दूरस्थ स्थानों जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जो भूटान की सीमा से लगता है, पर क्या प्रभाव पड़ा है ? संयुक्त मोर्चे में ईर्षा इतनी बढ़ गई है कि वे एक दूसरे को कत्ल करने पर तुले हुए हैं। यहां तक कि वामपंथी साम्यवादी दक्षिण-पंथी साम्यवादियों की निन्दा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन सुचारु रूप से कैसे चलाया जा सकता है।

मुझे पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के कार्मिक संघों से पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक पत्र में बताया गया है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) श्रमिकों ने प्रबन्धक के कार्यालय पर इस कारण हमला किया कि वे संयुक्त समाजवादी कार्मिक संघ से छुटकारा पाना चाहते थे। संयुक्त समाजवादी दल से मेरे विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। परन्तु मैं यह बतलाना चाहती हूँ कि साम्यवादी लोग जो अपने आपको कार्मिक संघों के हिमायती बतलाते हैं इस तरह के कार्मिक संघ विरोधी कार्य कर रहे हैं। जब वे दल जो अपने को संयुक्त मोर्चा कह कर पुकारते हैं इस तरह से एक दूसरे का विनाश करने पर तुले हुए हैं तो प्रशासन को स्वच्छ तथा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है ? मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन हो जाये। पिछली बार 1967 में उनकी सरकार को गिराया गया परन्तु उसका क्या परिणाम हुआ ? वे इस बार और अधिक संख्या में निर्वाचित हो कर आए। ऐसा क्यों हुआ ? हमारी चेतावनी के बावजूद श्री अतुल्य घोष को बहुत छूट दी गई और उसका परिणाम हम सभी ने देख लिया है।

केन्द्रीय सरकार को वहां पर ये जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच करनी चाहिये और सीमा-वर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो खतरा तथा भय बना हुआ है उसे महसूस करना चाहिये। पुलिस तथा अन्य लोग ठीक तरह से अपना कर्तव्य निभाएं यह देखना वास्तव में केन्द्रीय सरकार का ही काम है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मुझे बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने पुलिस की गुन्डा गर्दी की निन्दा करने के बजाय ऐसे मामलों पर चर्चा शुरू की जो इस सभा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते।

एक पुलिस मैन की मृत्यु पर इस कदर आंसू बहाये जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन के दौरान पुलिस द्वारा 1017 पुरुष, महिलाएँ तथा बच्चे मारे गये थे। उस समय पुलिस का महकमा किस के हाथों में था ? क्या इन लोगों ने उन बेगुनाहों के मारे जाने पर आंसू बहाए थे ?

मैं सात वर्ष से इस सभा का सदस्य हूँ और मैंने स्वतंत्र या जनसंघ के किसी सदस्य या श्री के० एन० तिवारी को पुलिस द्वारा मारे गये उन बेगुनाह व्यक्तियों के लिये आंसु बहाते नहीं देखा है। इसलिये मैं कहता हूँ कि पुलिस की इस गुण्डागर्दी के पीछे प्रतिक्रियावादियों द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था। अंग्रेजी शासनकाल में पुलिस को लोगों को तंग करने का प्रशिक्षण दिया गया था और कांग्रेस ने भी पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की और उसे लोगों के विरुद्ध प्रयोग में लाया

गया। पुलिस का हमारे देश में एक विशेष दर्जा रहा है और अभी भी वह दर्जा कायम है। उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जब उन्होंने देखा कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है और घूस खोरी को रोका जा रहा है, तो उन्होंने उस सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया; केवल आज ही नहीं, अपितु 1967 में भी उन्होंने ऐसा किया था। तीन महीने के अन्दर ही पश्चिम बंगाल में पुलिस विद्रोह के संकेत मिलने लगे थे। परन्तु उससे संयुक्त मोर्चा सरकार को कोई आंच नहीं आई। इस बार जब उन्होंने यह देखा कि वे इस लोक प्रिय सरकार को नहीं गिरा सकते हैं तो उन्होंने प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू किया। सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि विशेष शाखा, गुप्तचर शाखा, कलकत्ता पुलिस तथा पश्चिम बंगाल पुलिस के मुखियाओं ने षड्यंत्र रचा। अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि केवल तीन मील की दूरी पर ये सब चीजें हो रही हैं और पुलिस विभाग को कोई जानकारी नहीं है और वे गृह मन्त्री या संयुक्त मोर्चा सरकार को सूचना नहीं देते हैं? क्या यह षड्यंत्र नहीं था? मैं गृह-कार्य मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले की जांच करें। यदि उन्हें कोई अधिकार है तो उन्हें इन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इन माननीय सदस्यों की बातों से गुमराह नहीं होना चाहिये। पश्चिम बंगाल विधान सभा के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई है।

जब उस शव को जुलूस के रूप में ले जाया गया तो कांग्रेसी नेता वहां गये और उन्होंने शव पर फूल-मालाएँ चढ़ाईं। क्या इसे प्रोत्साहन नहीं कहा जायेगा? यदि इससे यह निष्कर्ष निकाला जाये कि इस षड्यंत्र में कांग्रेस का भी हाथ था तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता।

इसमें पुलिस के एक वर्ग का ही हाथ था। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की जिला पुलिस संस्थाओं ने पुलिस की इस गुण्डागर्दी की निन्दा की है।

यह आरोप लगाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस को निकम्मा बना दिया गया है। पुलिस को घूस लेने, किसानों तथा श्रमिकों को पीटने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्या इससे वे निकम्मे हो गये हैं?

पटसन कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में राज्य के मुख्य मन्त्री ने कहा कि हड़ताल शांति-पूर्ण होगी और पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायेगा। इसका निहित स्वार्थों द्वारा यह अर्थ लगाया गया कि पुलिस नाकारा बना दी गई है। वहां पर शांति तथा व्यवस्था कायम है और प्रशासन चल रहा है। यदि कोई गड़बड़ी है तो वहां की विधान सभा उस पर चर्चा कर सकती है। यहां पर वह मामला नहीं उठाया जा सकता। केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि बँगाल की जनता इस तरह के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगी।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : It is a matter of great pleasure that the U. F. Government in West Bengal has recognised the supremacy of the Centre and has asked for military help. It is very heartening to note that they have started believing in the rule of law, the judiciary and the constitution. Every law-abiding citizen who has faith in the constitution would condemn the police revolt evidenced in the West Bengal Assembly.

The U. F. Government has come into existence on the basis of adult franchise and is legally constituted. But the people living there expect that law and order is maintained there and they should not feel themselves unsafe there. Newspaper reports indicate that feelings of revolt and uprising are being generated among the various sections of society by

the policies pursued by the U. F. Government there as a result of which discontentment is mounting in the general public against that Government.

The U. F. Government was aware that the police procession was heading towards the Assembly hall. They should have taken precautions and posted guards there. But they failed to take stock of the situation which resulted in this ugly incident.

श्री हुमायून् कबिर (बसिरहाट) : सभा भवन में प्रवेश करने के लिये पुलिस की निन्दा करने के बारे में दो राय नहीं हो सकतीं । परन्तु हमें सोचना यह है कि आखिर पुलिस को ऐसा काम करने के लिये मजबूर क्यों होना पड़ा । खेद की बात है कि गत कुछ समय से पश्चिम बंगाल में प्रशासन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे कानून का भय ही जाता रहा है । हालाँकि कुछ अच्छे उद्देश्य थे परन्तु उन्हें ऐसे ढंग से पूरा किया गया है जिससे कानून तथा व्यवस्था भंग हो सकती है ।

भूमि वितरण का काम विधिवत् रूप से नहीं किया गया जिससे गुण्डागर्दी को बढ़ावा मिला । लोगों को उससे उचित सुरक्षा प्रदान नहीं की गई ।

पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है । वहां पर बहुत अधिक बेकारी है और पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों की भी समस्या है । ऐसी स्थिति में विधि तथा व्यवस्था की शिथिलता के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं ।

कांकी, मधुसूदन पुर तथा हरवा जैसे स्थानों में इन घटनाओं ने साम्प्रदायिक रूप भी ले लिया था । अल्पसंख्यकों को तंग किया गया । मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकार ने ऐसा किया । परन्तु अराजक तत्व ने उस स्थिति का लाभ उठाया जो विधि तथा व्यवस्था के भंग होने से उत्पन्न हो गई थी । ऐसी स्थिति में पुलिस भी अनुशासन की भावना खो बैठी ।

वहां पर पुलिस पर ही हमले नहीं हुए अपितु सभा भवन में डा० पी० सी० घोष पर हमला किया गया और राज्यपाल तक पर भी हमला हुआ । उच्च न्यायालय की पवित्रता भी भंग की गई और कुछ लोग न्यायाधीशों के स्थानों में जा कर बैठ गये । ऐसी हालत में कानून तथा व्यवस्था कैसे कायम रखी जा सकती है ।

यहां पर षड़यंत्र की बात कही गई है । मैं भी मानता हूँ कि यह षड़यंत्र हो सकता है । इस सभा को यह पता लगाना चाहिये कि षड़यंत्रकारी कौन थे । मैं किसी हस्तक्षेप या राज्य सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं हूँ । ऐसा करना बड़ी भारी गलती होगी । परन्तु इस सभा को तथ्यों का पता लगाना चाहिये । यदि यह एक षड़यंत्र था तो जुलूस निकालने की अनुमति किसने दी ? क्या यह सच नहीं है कि पुलिस का बाजा भी जुलूस के साथ था ?

क्या यह सच नहीं है कि दोनों पुलिस मुख्यालयों को जुलूस की जानकारी लगातार मिल रही थी तथा क्या यह भी सच नहीं है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के दो गुटों में आपसी शत्रुता है । जब बर्लिन में रीकस्टग को जलाया गया तो लोगों ने उस पर गौर नहीं किया परन्तु नाजियों ने प्रशासन में ऐसे तत्वों को दूर करने के लिये जिन्हें वे प्रशासन में नहीं चाहते थे उस अग्निकांड का प्रयोग किया । हो सकता है पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से वहां पर ऐसा किया गया हो ।

पश्चिम बंगाल में लोगों को डराया धमकाया जा सकता है जिससे देश के लोकतंत्र, एकता तथा स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो सकता है । अतः इस प्रश्न पर विचार करने का सभा को अधिकार है । मेरे विचार से इसके लिये सब से अच्छी बात तो यह होगी कि संसद् सदस्यों का

एक प्रतिनिधि मण्डल, जिसमें सभी दलों के सदस्य होंगे, वहां पर जायें और सारे मामले की जांच करके अपना प्रतिवेदन पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत कर दें। इससे वहां पर शांति लाई जा सकती है।

श्री विमल कांति घोष (सेरामपुर) : यह बड़े खेद की बात है कि बहुत क्षुब्ध हुए पुलिस कर्मचारियों का एक दल 31 जुलाई, 1969 को पश्चिम बंगाल विधान सभा के परिसरों में घुस गया तथा इससे विधान सभा के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। जब से वहां पर संयुक्त मोर्चा सरकार बनी है तब से लेकर अब तक वहां पर लूटमार, आगजनी की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो गयी है। गत कुछ महीनों में लगभग 100 राजनीतिक हत्यायें हो गई हैं। इसके बावजूद सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की है। सत्तारूढ़ साम्यवादी दल राजनीतिक कामों के लिये पुलिस का प्रयोग करता रहा है। सरकार की नीति के कारण सारी पुलिस का मनोबल गिर गया है।

रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि क्षुब्ध पुलिस कर्मचारी अलीपुर में 24 परगना में पुलिस अधीक्षक के कमरे में जबरदस्ती घुस गये थे तथा उन्होंने उसके कार्यालय को लूट लिया था। यह घटना ढाई बजे हुई थी तथा वे विधान सभा में साढ़े चार बजे पहुँचे थे। अतः इस के बीच दो घन्टे का समय था। परन्तु इस अवधि में सरकार ने कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं की। कलकत्ता में जब कभी कोई जलूस सड़कों से गुजरता है तो उसके पीछे कलकत्ता पुलिस की बेतार की गाड़ी होती है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि जब सरकार को इस बात की जानकारी थी तो उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि उन लोगों के पीछे बेतार की गाड़ी क्यों नहीं थी। मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस आयुक्त उस समय क्या कर रहा था ?

अतः मेरा यह सुझाव है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा इस सारे मामले की जांच कराई जानी चाहिये ताकि सारे देश को इस बात का पता लग सके कि इस सारे मामले के पीछे क्या बात थी। साम्यवादी लोग तो वास्तविक मामले से लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिये यह सब कुछ कर रहे हैं।

Shri S. M. Joshi (Patna) : Sir, it is a challenge to those who want to run the Government on democratic principles.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

At the same time I feel that they who have faith in democratic principles, should be very disciplined persons. If we want any change in the democratic set up we should not use it for violent activities. If there is a need of radical change in our Government, if we want that justice should be done to those who have been denied the same for a pretty long time, we should take steps for a change. All the persons sitting here believe that a change should be brought in a democratic way. Keeping that in view may I know whether we are going to take any stern action in connection with what has happened in West Bengal Assembly.

When we claim that there should be one Union for one industry, is it proper to accord recognition to the second Union of Police when there is already West Bengal Police Association.

I agree that what the West Bengal Police has done is an act of condemnation but at the same time we should not forget that responsibility lies on us also in that case. If there is friction in police and some members of the cabinet want to give encouragement to

some section then the results of that would be like this. I want to know why two Unions were formed. We want that only one Union should remain, otherwise violent activities may continue and may happen in Assemblies and in Lok Sabha also.

Threfore, if you want to follow the democratic principles you will have to solve the problems of the poor. Our police men are not very educated persons and therefore they act merely on the instructions given to them by their officers who understand politics very well. About one thousand police men are still suspended. Their grievances should be removed. If they have been misled by some one it is not good to punish all of them.

It is therefore, my suggestion that a parliamentary committee should be appointed to probe into the matter and to suggest ways and means to make improvements in that.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं इन माननीय सदस्यों से सहमत हूँ जिन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में जो कुछ हुआ है वह गलत हुआ है।

मैं तो यह समझता हूँ कि इस घटना के पीछे कुछ पृष्ठभूमि है। यह घटना ऐसी नहीं है जो एकदम हो गई है। जब हम 1967 के बाद की घटनाओं को देखते हैं तो हमें बहुत हैरानी महसूस होती है। आप केरल में इडिक्की परियोजना को ही ले लीजिये। वहां पर मार्क्सवादी साम्यवादियों ने आम हड़ताल को होने से कैसे रोक लिया क्योंकि वह विभाग भारतीय साम्यवादी दल के किसी व्यक्ति के अधीन है। आम धारणा तो यह पैदा की गई है कि लोग कानून और व्यवस्था तथा प्रशासन के लोकतंत्रात्मक तरीकों से अपना मन हटा लें।

इस सभा को पता ही है कि श्री विमल कांति घोष पर कलकत्ता में हमला किया गया था। उसके बाद भी कई घटनायें घट चुकी हैं। श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने यह भी कहा है कि पटसन मिल में काम करने वाले ढाई लाख कर्मचारी हड़ताल पर है परन्तु कानून और व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि कांग्रेसी भी हड़ताल में शामिल हो गये थे। तब शायद यह कारण हो सकता है कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों का पालन किया हो।

मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि जब तक किसी सरकार को लोगों का विश्वास प्राप्त है तब तक हम उनकी स्वायत्तता को छीनना नहीं चाहते। इस के साथ ही साथ मेरी गृह-कार्य मंत्री से यह भी प्रार्थना है कि वहां पर हुई घटना को एक मात्र घटना ही न समझा जाये। इसकी तिक्रिया बहुत अधिक हो सकती है। अतः उन्हें यह देखना चाहिये कि लोगों में विश्वास बना रहे तथा लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया बिना किसी डर अथवा पक्षपात के जारी रहे।

श्री पी० राम० मूर्ति (मदुरै) : मेरा निवेदन यह है कि जब लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता तो वे झूठमूठ की बातें करने लग जाते हैं। श्री जगन्नाथ राव जोशी ने कहा है कि ऐसी एक खबर छपी है कि जिन नक्सवादियों ने केरल में पुलिस चौकी पर आक्रमण किया है उन्हें रिहा कर दिया गया है हालांकि वे अभी कारावास में हैं तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है। किसी ने यह भी कहा था कि जिन लोगों ने पुलिस पर आक्रमण किया था उन्हें पकड़ा नहीं गया है। उन्हें यह नहीं मालूम है कि पन्द्रह व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दण्डाधिकारी ने उनकी जमानत भी नहीं ली है। इसी प्रकार श्रीमती सुचेता कृपालानी ने रवीन्द्र सरोवर घटना का उल्लेख किया था। उस घटना के बाद संसद् में वाद-विवाद हुआ तो यह मांग की गई कि न्यायिक जांच कराई जाये परन्तु जब न्यायिक जांच कराने की अनुमति

दी गई तो कोई भी गवाही देने के लिये आगे नहीं बढ़ा। अतः मेरा यह निवेदन है कि जब ऐसी बात हैं तो फिर इस प्रकार चिल्लाने से क्या लाभ है। मैं समझता हूँ कि असंतुष्ट लोग बंगाल के लोगों को अपनी दुखभरी कहानी नहीं सुना सकते क्योंकि वे उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तथा यही कारण है कि वे लोग यहां अपने उदगार प्रकट करते हैं।

जहां तक इस विशिष्ट घटना का सम्बन्ध है श्रीमती सुचेता कृपालानी बिल्कुल ठीक कह रही थीं कि प्रशासन बिल्कुल असफल रहा है। परन्तु हम इसमें क्या कर सकते हैं। यह प्रशासन हमने तो बनाया नहीं है। यह प्रशासन तो हमें कांग्रेस दल द्वारा सौंपा गया है। अतः देश में राजनीति-प्रधान प्रशासन है। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है हम जानते हैं कि उसकी भर्ती कैसे की गई है। अतः यह सब उसी का परिणाम है।

जहां तक दिल्ली में पुलिस की कार्यवाही का सम्बन्ध है मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने केवल आर्थिक मांग की थी तथा वह उचित थी। अतः उसका इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी।

इसके अलावा एक यह भी कहानी बनाई गई थी कि पुलिस कर्मचारियों के दो संघ हैं। जहां तक चिर काल से चलते आ रहे पुलिस संघ का सम्बन्ध है वह तो केवल नाम मात्र का ही संघ है क्योंकि उसमें अधिकांश अधिकारीगण हैं। उसकी कार्यकारी समिति में 48 में से केवल चार सदस्य ही ऐसे हैं जो छोटे संवर्गों के हैं शेष 44 सदस्य डी० एस० पी० संवर्ग से ऊँचे संवर्ग के हैं।

सभी राजपत्रित अधिकारी तो नहीं परन्तु कुछ राजपत्रित अधिकारियों की यह वृत्ति है कि महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचते ही वे अपने पद का उपयोग कतिपय राजनैतिक तथा सरकार-विरोधी उद्देश्यों के लिये करने लगते हैं। वह उच्च पुलिस अधिकारी जो कि उस संस्था का सचिव भी था, किसी को बिना बताये अपने कार्य स्थान कलकत्ता से दुर्गापुर गया और फिर हम जानते ही हैं कि दूसरे दिन क्या हुआ। जब ऐसी बात हुई तो उन्हें जांच होने तक के लिये निलम्बित कर दिया गया। परन्तु यह कार्यवाही कार्मिक संघ की नहीं थी। आप इसकी तुलना कार्मिक संघ के कर्मचारी के शोषण के मामले से नहीं कर सकते। अतः मैं तो यही चाहता हूँ कि तथ्यों की जांच की जाये और उसी के संदर्भ में कार्यवाही की जाये।

कानून और व्यवस्था के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में शान्ति और व्यवस्था की वास्तविकता क्या है? आज तक तो भूमिपतियों द्वारा सामान्य जन ही मार खाते रहे थे। कांग्रेस के शासन में ये सरमायेदार मजदूरों और गरीब लोगों को मारते आ रहे थे। वहां तो यह कानून और व्यवस्था थी कि गरीबों या सामान्य लोगों को मारिये तो कानून भंग नहीं होता, मजदूरों और किशानों को पीटना वहां का कानून और व्यवस्था थी तथा पुलिस उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती थी परन्तु अब किसान तथा भूमिहीन अपना अधिकार मांगते तो कानून और व्यवस्था भंग होती। पटसन मालिकों के हितों की तो पुलिस रक्षा करती परन्तु जब हड़ताल होती तो कानून भंग हो जाता। शोषक लोग चाहे कुछ भी करते।

जब से वहां यह सरकार बनी है तब से ही वहां कानून और व्यवस्था के बारे में चीख व पुकार की जा रही है परन्तु जब उन्होंने पाया कि पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ नहीं है तो उन्होंने सेना की सहायता से तथा केन्द्र सरकार के हथकण्डों से वहां के लोगों में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया। मैं चेतावनी देता हूँ कि इन लोगों ने यदि फिर वही नारे लगाने चाहे तो पश्चिम

बंगाल के लोग एक बार फिर पहले से अधिक प्रभाव पूर्ण ढंग से इसका प्रत्युत्तर देंगे और ऐसा उत्तर देंगे कि वे फिर दुबारा वह नारा न लगा सकेंगे।

Shri Sheo Narain (Basti) The learned Home Minister of West Bengal himself broke the discipline by refusing to meet the Prime Minister. I am sorry to say this. He also refused to meet the Union Home Minister, and thus himself created indiscipline. A paper of West Bengal which is under the control of Shri Jyoti Basu himself, has said. "Tear Jyoti Basu to pieces." And the rest would be seen in the next elections when our mothers and sisters in West Bengal would tell him what did he do with them in the Rabindra Sarovar incident. This is what the papers of West Bengal say.

There is a communist conspiracy behind the police-raid in the State Assembly. This is the way how they are acting. They have no faith in democracy and the Constitution of India. This is their ideology. They want to wreck the constitution.

I, therefore, warn my Home Minister that these people are getting money from China to execute a revolution here. They want only their party to dominate and that is why they are bullying the former Ministers. I claim that Mr. Jyoti Basu himself called the police in the Assembly. So you please inquire into it and alert your intelligence machinery.

These people claim to be the sympathisers of the Harijans and the poor. But they burnt the house of our former Harijan Minister. I, therefore, alert the Harijans also to be aware of these who want to bring a Communists mutiny in the country.

We have a strong Home Minister here and I would like him to act as a Home Minister. We demand that West Bengal be protected from these Communists who want to give this torch bearers State of ours in the hands of China.

With these words, I admit that there were excesses on the part of the police ; but who was responsible for it ? The lapse is on the part of the rulers there. They are following a policy of divide and rule. Therefore, you must deal with these matters with a strong hand. That is what we appeal.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Many things about the Government of West Bengal have been s id here. But inspite of promulgation of President's rule as well as the conspiracy made by Shri Humayun Kabir etc. the communists regime is there, and that Government there is trying to protect and establish Parliamentary democracy in that state whereas Shri Nepal Rai and Miss Abha Maiti are trying to mislead the police and create conflicts among the policemen. And still the congress claim that they are the sympathisers of the policemen and the workers. The fact is that they are angry on the formation of code of conduct for the police and the vested interests, who are none but the capitalists, who do want the U. F. Government to function. They tried to bring a revolt through the police.

But it is sure that if efforts were made to topple the United Front Government the people of West Bengal will resent it whether such efforts are done by the police or any body else. The reactionaries force will not succeed in their evil design.

Mr. Chairman : The House will adjourn at six O'clock and we will have to postpone the half an hour discussion to someother day. Now Shri Kripalani.

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : यह बात बड़ा जोर देकर कही गई है कि संयुक्त मोर्चे ने दो बार चुनाव जीते हैं। यूं तो कांग्रेसी भी कह सकते हैं कि उन्होंने कितने ही बार चुनाव जीते हैं। इसका यह प्रमाण नहीं है कि चुनाव जीतने वालों ने अच्छा कार्य किया है। यह भी तो होता है कि चुनाव जीतने के पश्चात् लोग बुरे सिद्ध होते हैं। अनेक देशों में अनेक बार लोग जनता के मत से चुन कर आये हैं। हमारे देश में कांग्रेस भी अनेक वर्षों से अनेक स्थानों पर विजयी होती आई है परन्तु यह भी सच है कि उन्होंने वे कार्य किये हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिये थे।

दूसरी बात यह है कि इस विषय पर हम कई बार वाद-विवाद कर चुके हैं परन्तु हमें अभी तक यह पता नहीं लग सका—न तो गृह कार्य मन्त्री ने बताया और न ही श्री ज्योति बसु के विश्वासपात्र श्री बनर्जी ने—कि वह पुलिस मैन कैसे मारा गया। किसने उसे मारा ? किस दल का उस पुलिस मैन की हत्या में हाथ था ? इस बारे में हम सर्वथा अनभिज्ञ हैं।

हम मानते हैं कि यह एक अपराध है परन्तु साम्यवादी लोग क्यों इसे एक जघन्य कार्य मानते हैं ? उनके लिये तो यह संसद अथवा ये विधान सभायें जनतंत्र के मन्दिर नहीं हैं। ये लोग तो अनेक बार कह चुके हैं कि भारत का संविधान तो मध्य श्रेणी के लोगों तथा पूंजीपतियों तथा सरमायादारों के एजेन्टों द्वारा बनाया गया है और कि वे लोग संविधान पर कोई विश्वास नहीं रखते ; तथा हर प्रकार से इसे नष्ट करना चाहते हैं। फिर भी विधान सभा पर पुलिस के हमले को ये साम्यवादी एक अपराध पूर्ण कार्य कैसे कहते हैं ? उनके अनुसार तो हम लोग जो कि वर्षों जेल में सड़ते रहे, संविधान सभा में रहे, तथा जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल तथा हममें से और भी अनेक ऐसे लोग सभी सरमायेदारों तथा प्रतिक्रियावादियों के एजेन्ट हैं। यदि ऐसे लोगों द्वारा स्थापित विधान सभाओं पर आक्रमण होता है तो उनको क्या हानि पहुँचती है ? ये साम्यवादी फिर क्यों चिल्ला रहे हैं ? इनको तो प्रसन्न होना चाहिये। ये लोग तो यहां इस सभा में भी ऐसा ही करना चाहते हैं।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज तो सरकार ने श्री ज्योति बसु के कहने से बंगाल में सेना भेजी है ; परन्तु कल को स्वयं सरकार को अपनी इच्छा से भी वहां सेना भेजनी पड़ेगी।

Shri T. Ram (Araria) : What happened in West Bengal is very unpleasant, but we have to understand the real cause of this disorder and lawlessness in the state. The fact is that these communists do not have any faith in our constitution and they want to create lawlessness in the country. We are hearing pro-Mao slogans in West Bengal. While we are trying to bring in socialism in this welfare state, they believe in a bloody revolution to change the pattern of our society. It is quite visible in the States of West Bengal and Kerala.

So, if the Government want to strengthen democracy in the country, such lawlessness will have to be dealt with strong hand. The communists want to make the police ineffective so as to control all the affairs themselves.

It is very painful that the police entered the State Assembly and created lawlessness. But we have to probe into the reasons therefor and deal with the situation with a firm hand. Recurrence of such things will endanger our democracy itself. An inquiry commission should therefore, be appointed to inquire into the whole incident.

They indulged in Gheraos and it is evident that such 'Gheraos' will deteriorate the conditions. We people come here in the Parliament and Assemblies through democratic systems and are also here to protect and strengthen the cause of democracy. But the communists are dreaming for bringing dictatorship, and China on our head. They say that they have won by vote. They might have got votes by putting pressures on and threatening the people, but this would not last long. The democracy is sure to get strong here.

श्री बि० प्र० मंडल (माधीपुरा) : पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ है उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। इस मामले पर हमें दल गत भावना से ऊपर आकर विचारना होगा क्योंकि यदि ऐसी बातें होने लगीं तो हमारा प्रजातन्त्र संकट में पड़ जायेगा। जब कि पुलिस विधान सभा में घुस कर एक मन्त्री तथा अध्यक्ष महोदय पर आक्रमण करती है और तिस पर भी हम दलगत भावना को लेकर विचार करते हैं तो यह बड़े खेद की बात है।

अतः श्रीमन, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं के प्रति हमारे गृह कार्य मन्त्री और यह सभा केवल दर्शक से ही न बने रहें। अगर ऐसा देश के अन्य भागों में भी हुआ तो इस देश का क्या होगा ? यद्यपि कदाचित वर्ष 1948 में विहार में पुलिस ने दंगे किये थे परन्तु तब भी ऐसी बात नहीं हुई थो। पुलिस वालों ने विधान सभा में घुसकर मन्त्री अथवा अध्यक्ष पर आक्रमण नहीं किया था।

अतः इस मामले में शान्ति से विचार किया जाना चाहिये। गृह कार्य मन्त्री अपने दायित्व को समझें तथा देश में कानून और व्यवस्था स्थापित करें। इस सभा को इस मामले पर विचार करने का पूर्ण अधिकार है। कुछ सदस्यों का यह कहना सही नहीं है कि यह एक राज्य का मामला है तथा इस सभा को इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में इस प्रकार कानून भंग किया जाता है तो फिर केन्द्र सरकार का क्या अर्थ रह जाता है ? इस समय केन्द्र को सशक्त होने की आवश्यकता है। इस सारे मामले की जांच करने के लिये संसद में सभी दलों के संसत्सदस्यों का एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल, आयोग अथवा समिति गठित करके भेजना भी अनुचित नहीं होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I agree that our constitution has very well empowered the UF Government in West Bengal to govern the affairs of the state and neither the centre nor anybody else should obstruct their way. But they donot have any right to wreck the constitution and then rule according to their own sweet will. Shri Jyoti Basu says that the police indulged in hooliganism, but let me say that this convention has been put into practice by Basu himself. What happened recently in West Bengal can be illustrated by the old legend of Bhasmasur and Lord Shiva. Lord Shiva had blessed Bhasmasur that if the later placed hand on anybody's head that person would perish. Bhasmasur killed many persons and, one day, he jumped upon Lord Shiva himself. Lord Shiva saved himself with great difficulty.

The same is the case with these Communists and the police. They themselves had excited the police to play with the sentiments of the people and foil plans of the Central Government. And now they themselves are in trouble. An atmosphere of lawlessness and demoralisation is prevalent in West Bengal ; and in these circumstances our eyes are on the Central Government who has got the over-all responsibility to safeguard the interest of the country. The centre should, therefore, warn the West Bengal Government to work according to the constitution failing which there might be certain grave censequences for them. I assure the Home Minister that the whole country is with him.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : विधान सभा का उल्लंघन करने के लिये यहां सभी सदस्यों ने पुलिस की निन्दा की है। मैं भी उसके इस कुकृत्य की निन्दा करता हूँ। परन्तु केवल उनकी निन्दा करना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी देखना होगा कि ऐसी निन्दनीय स्थिति उत्पन्न क्यों हुई।

संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन में हुई इस घटना का पूर्व इतिहास यह है कि कुछ दिन पूर्व एक पुलिस मैन की हत्या कर दी गई तथा पुलिस वालों को अपने साथी को छः मील तक एक चारपाई पर डाल कर थाने लाना पड़ा। पुलिस के विरुद्ध हुई इस जघन्य कार्यवाही के बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया अब आप खुद ही सोचें कि पुलिस वालों के दिल में क्या भावनायें पैदा हुई होंगी।

अनेक अवसरों पर पुलिस को कहा गया कि वह गैर कानूनी गतिविधियों तथा श्रमिक

दलों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें। और यह स्वाभाविक ही है कि पुलिस ऐसे मामलों में जरूर कार्यवाही करेगी चाहे वह मामला किसी भी व्यक्ति से सम्बन्धित हो।

अब कुछ दिनों से भूमिपतियों द्वारा श्रमिकों के कब्जे में तथा कथित बेनामी भूमि का जबर्दस्ती कब्जा छीना जा रहा है। जब वहां बहुमत की सरकार है तो फिर भी वे लोग जबर्दस्ती कब्जे क्यों ले रहे हैं ? फिर जो लोग कब्जे ले रहे हैं वे दलगत भावना से लड़ रहे हैं। एक विशिष्ट दल के लोग कब्जे छीन रहे हैं तो दूसरे दल के लोग उसका विरोध करते हैं तथा इस प्रकार दोनों के मध्य झगड़े होते हैं। संयुक्त मोर्चा के ही सदस्यों के मध्य पारस्परिक प्रतिद्वन्दता जारी है। उपमुख्य मन्त्री अपने दल का पक्ष ले रहे हैं तथा दूसरे दल के कार्य की निन्दा कर रहे हैं। इस दोहरी कूटनीति के कारण उत्पन्न स्थिति में पुलिस की भावना का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। संयुक्त मोर्चे के लोग संविधान का हर प्रकार से उलंघन कर रहे हैं तथा खुले आम यह कह रहे हैं कि यह संविधान तो प्रतिक्रियावादियों या पूंजीपतियों द्वारा निर्मित है तथा हम इसे भंग करना चाहते हैं। इस प्रकार यदि वे संविधान के विरुद्ध लोगों में ऐसी भावनायें भरते हैं तो फिर पुलिस का विधान सभा में घुस आना चाहे किसी के भी षड़यन्त्र का परिणाम हो, इसका निर्णय करते समय इन सभी बातों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है अथवा जहां तक अन्य लोग जानते हैं, उसके अनुसार इस सम्बन्ध में किसी ने कोई षड़यंत्र नहीं किया बल्कि यह वहां की दोहरी कूटनीति का परिणाम है। एक तरफ तो वे लोग प्रजातन्त्र की बातें करते हैं और दूसरी ओर संविधान को भंग करना चाहते हैं।

अत: मैं पुलिस की कार्यवाही की तो निन्दा करता हूँ परन्तु यह भी मानता हूँ कि यह सब कुछ संयुक्त मोर्चा सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन, सारी मुसीबत केवल इसी कारण उत्पन्न हुई है कि पश्चिम बंगाल सरकार उस भूमि को वितरित करना चाहती है जिस पर जोतदारों ने ग़ैरकानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। सरकार ने अब तक प्राय: 20 लाख एकड़ भूमि भूमि-हीन लोगों में वितरित की है। वास्तव में यह किसान तथा श्रमिकों का संघर्ष है। जो पुलिस पिछले 20 वर्षों से मालिकों तथा जोतदारों की सेवा करती रही है उसका केवल एक रात में पुनरोत्थान नहीं किया जा सकता। पुलिस में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था तथा उसका प्रत्येक कर्मचारी भ्रष्ट था।

कांग्रेस के कुछ लोग तथा कुछ प्रतिक्रियावादी जनता में यह बात फैलाना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों कुछ सिक्खों तथा बंगालियों के मध्य हुए झगड़े का निर्णय देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि उन दंगों के पीछे एक बड़े उद्योगपति का हाथ था और वही इस बारे में धन लगा रहा था।

दूसरे दिन मोरारजी देसाई ने वहां की राजधानी जा कर कुछ ऐसी बात कह दी जो एक मन्त्री को अच्छी नहीं लगी तो तब से ही स्थिति खराब हो रही है। न जाने ऐसा क्यों है।

मैं कल ही कलकत्ता से आया हूँ। मैं वहां की कुछ रोचक बातें बताता हूँ। एक भूतपूर्व कांग्रेस मन्त्री कुमारी आबा मैंती उस समय सदन में थीं जब कि पुलिस वहां घुस आई तथा काफी नुकसान किया। वह श्री ज्योति बसु के कमरे की ओर दौड़ीं तथा उनसे कहा कि वह उन के सामने भाषण दें। वह पुलिस वालों को उत्साहित करके उन्हें अन्दर लाईं थी।

विधान सभा के एक कांग्रेस सदस्य श्री नेपाल राय ने यह स्वीकार किया कि जब छापामार पुलिस तबाही मचाने के लिए विधान सभा के अन्दर आई तो वह उनके समक्ष रुक गये। और नमस्कार किया तथा तब अपनी शरारतपूर्ण कार्यवाही करने लगी।

विधान सभा के एक अन्य कांग्रेस सदस्य श्री जगद नन्दा राय को गलती से मंत्री समझकर पीटा गया, पूछने पर जब उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं हूँ और एक कांग्रेस सदस्य हूँ तो उन्होंने उनको छोड़ दिया।

एक भूतपूर्व कांग्रेस मन्त्री श्री विजय सिंह नाबर ने पुलिस अन्दर बुलाई ओर उनसे प्रजातंत्र स्थापित करने के लिये कहा।

मृत कांस्टेबल के लिए कांग्रेस प्रांतीय समिति तथा कांग्रेस दल के प्रान्तीय संसदीय दल की ओर से दो मालायें भेजी गईं। उन लोगों के द्वारा ऐसा किये जाने के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना।

जब छापामार पुलिस के सिपाही सभा के अन्दर आये तो उन्होंने यह नारा लगाया कि "संयुक्त मोर्चा, गद्दी छोड़ो, कांग्रेस को वापिस लाओ।"

हाल में, तीन या चार सप्ताह पहले एक भूतपूर्व पुलिस महा निरीक्षक को दिल्ली आना था, गृहकार्य-मंत्री हमें बतायें कि क्या वह उनसे मिले थे और क्या उनको उनसे कोई परामर्श प्राप्त हुआ।

हमें मालूम है कि श्री चह्वाण ने पश्चिम बंगाल तथा केरल में पुलिस दल का जाल बिछा रखा है, हम जानते हैं कि उस घटना के घटने के दस मिनट के अन्दर यहां वायरलैश संदेस भेजे गये थे और उनको सारी घटनाओं की पूरी जानकारी थी।

हम प्रजातंत्री लोग, प्रजातंत्र विरोधी इस कार्य की निन्दा करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को अपना कर्तव्य निभाने दीजिये क्योंकि कानून तथा व्यवस्था की देखभाल करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अनेक दल केवल प्रचार से जी रहे हैं। हमारी जनता भी उनको मत दे रही है और केवल उनके निर्वाचन घोषणाओं को देखकर उनमें से कुछ दलों को सत्ता दे रही है।

सभी इस बात से सहमत होंगे कि जहां कहीं दंगे होते हैं तथा कानून और व्यवस्था भंग होती है तो उसका कारण कुछ आधारभूत गलती होती है। उदाहरणार्थ, विधान सभा में पुलिस का घुसना अव्यवस्था की चरम सीमा है। इससे देश में प्रजातन्त्र के अस्तित्व को खतरा प्रकट होता है। सभी जानते हैं कि 'घेराव' को भारत के साम्यवादी दल द्वारा आरम्भ किया गया था। साम्यवादी दल गलती मानने को तैयार नहीं है। वे सोचते हैं कि वे बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। गलत को भी सही बताते हैं। इस प्रकार की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि यह केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित है। यदि हम इस रवैये को चलने दें तो सारे भारत में यह अपनी प्रतिक्रिया दिखा देगी। अतः मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे एक चलती-फिरती फायर ब्रिगेड रक्खें तथा इसे सारे भारत में चलायें और जहां कहीं इस प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो उसे दबा दिया जाय, एक जांच आयोग की बजाय उनको केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक फायर ब्रिगेड बनानी चाहिये।

श्री समर गुह (कंटाई) : जब तक कोई संविधान को नष्ट नहीं होने देना चाहता उसे पश्चिम बंगाल विधान सभा में जो मद्योयत्ततापूर्ण विध्वंसात्मक कार्य हुए थे उनकी निन्दा करनी चाहिये। वहां जो घटित हुआ उससे न केवल पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चा सरकार की बदनामी हुई है बल्कि इससे भारतीय संविधान के संपूर्ण ढाँचे को तथा प्रजातंत्र के भविष्य को आघात पहुंचा है। इस प्रकार यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और राष्ट्रीय गोष्ठी में इसके सभी पहलुओं पर विचार करना है, और इसके मूल कारण को छांट निकालना है। 'पैट्रियाट' के सम्वाददाता के पूछने पर श्री ज्योति बसु ने कहा कि फौज को इसलिये सावधान किया गया कि कहीं ऐसा न हो कि कोई हमें तथा लोगों को राइफल से मार न दे। श्री ज्योति बसु ने पुलिस को बर्खास्त कर दिया और सेना को पुलिस के शस्त्रागार को सील करने को कहा। अगर सेना भड़क जाय और गलत जाने लगे तो सेना के शस्त्रागार को कौन सील करेगा और किसके लिये करेगा ? ज्योति बसु को एक पाठ सीखना है, एक अतीत प्रभावी पाठ सीखना है ताकि उस मूल कारण का पता लग सके कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई ?

पश्चिम बंगाल प्रायः अराजकता तथा प्रशासनिक अव्यवस्था के कगार पर है। एक बंगाली पेपर में आया था कि पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई अराजकता की स्थिति से उत्तेजित होकर, ज्योति-बसु ने संयुक्त मोर्चे के सभी हिस्सेदारों को धमकी दी और कहा कि मैं ऐसी घटनाओं के घटित होने को सहन नहीं कर सकता हूँ। इनको समाप्त करना होगा। विधान सभा के सदस्यों के सामने मार-काट और हत्यायें हो रही हैं। पुलिस को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आदेश देने जा रहा हूँ।

डा० रानेन सेन ने कहा कि हम संयुक्त मोर्चा सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, यह असत्य है। पश्चिम बंगाल में किसी भी व्यक्ति ने तथा किसी भी संस्था ने संयुक्त मोर्चा सरकार को समाप्त करने के बारे में नहीं कहा और न केन्द्र से ही कोई हस्तक्षेप हुआ है।

पश्चिम बंगाल में जो अराजकतापूर्ण स्थिति पैदा हो गई है उसमें लोग निर्वाचित प्रति-निधियों से जो चाहते हैं वह यह है कि वे विधि के नियमों के अनुसार शासन करें न कि जंगल के अराजकतापूर्ण कानून से। वे यह नहीं चाहते कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से भागे।

पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थिति ऐसी है। कोई नहीं जानता क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा।

पिछले पांच महीनों में प्रकाशित हुए समाचारों के परिलोभन के पश्चात् मैंने स्थिति का जो निर्धारण किया है वह इस प्रकार है; 93 राजनीतिक हत्यायें, 369 गम्भीर राजनीतिक प्रहार, 368 सामान्य उग्र घटनायें, कांकी, मधुसदनपुर, केनिंग क्षेत्र, भरतगढ़, हरबा तथा अन्य क्षेत्रों में मारकाट के दुःखद मामले; साम्यवादी दल के मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं के घेराव द्वारा 34 प्रधान अध्यापकों को निकालना, कलकत्ता तथा जादवपुर विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का 17 बार घेराव करना, चिकित्सा संस्थानों तथा अस्पतालों में 37 बार घेराव, 24 परगना तथा अन्य क्षेत्रों के प्रायः सभी मत्स्यग्रहण स्थानों को या तो लूट लिया गया है अथवा उनमें जबरन कब्जा कर लिया गया है। भूमि जब्ती के 444 मामले हुए हैं और औद्योगिक घेराव के 207।

मैं पुलिस के कार्यों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और न मैं पश्चिम बंगाल विधान सभा में उनके द्वारा की गई नृशंशसता की गम्भीरता को कम कर सकता हूँ। लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार की पुलिस-नीति क्या है ? पुलिस स्टेशनों में अनेक घेराव हुए थे। कम से कम 63 मामले रिकार्ड में हैं।

पुलिस को गाली दी गई, उनकी पगड़ियां तथा पेटियां ले ली गई थीं। उच्च न्यायालय द्वारा घेराव तथा भूमि जब्ती के विरुद्ध अनेक उच्च न्यायालय आदेश जारी किये गये थे लेकिन पुलिस उनको कार्यान्वित नहीं कर रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में बातचीत चल रही है कि क्या उन्हें उच्च न्यायालय बन्द कर देना चाहिये ? वे सर्वोच्च न्यायालय को लिखने की सोच रहे हैं। क्या होगा यदि घेराव तथा भूमि जब्ती के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश पुलिस द्वारा कार्यान्वित न किये जांय ?

कलकत्ता पुलिस तथा पश्चिम बंगाल पुलिस 15 जुलाई को बन्ध करने जा रहे थे, ज्योति बसु की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 14 तारीख को निर्णय किया कि एक पुलिस विरोधी दिन मनाया जाय। क्या स्थिति है ? यह कहा जाता है कि यह कांग्रेस का षड़यंत्र है। यदि ऐसी बात है तो मेरा प्रश्न है कि षड़यंत्र की सफलतापूर्वक रचना के लिए स्थिति किसने पैदा की ? दूसरे, प्रमोद दास गुप्ता कहते हैं कि सी० आई० ए० एजेंटों का कार्य है। श्री राजनारायण ने कहा कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल प्रधान स्थानों पर अपने आदमियों को बैठाना चाहती है। क्या यह ऐसा है। यदि यह सी० आई० ए० एजेंटों का कार्य है, कांग्रेस का षड़यंत्र है तो श्री ज्योति बसु का यह कर्त्तव्य है कि सत्य की खोज के लिए न्यायायिक जाँच करायें।

दूसरी बात यह है कि सदन के अध्यक्ष पर धावा बोला गया। न गृह-कार्य मंत्री को और न ही सरकार को इस मामले की जांच करने का अधिकार है। यह अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि इसकी जांच करवायें और जो वहां घटित हुआ है उसके बारे में जांच समिति नियुक्त करें।

मेरा एक अनुरोध है कि श्री ज्योति बसु को कम से कम गृह-कार्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्री को सौंप देना चाहिये।

गृहकार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ जिसका यह अर्थ लगाया जाय कि यह किसी राज्य की सरकार को गिराने के इरादे से कहा गया है।

जैसा किसी जनसंघ के सदस्य ने कहा कि समस्या के तीन पहलू हैं, पहला यह है कि क्या हुआ; दूसरा, यह कैसे हुआ; तीसरा, इसको रोकने के लिये क्या किया जा सकता है ?

जहां तक विधान सभा के बारे में क्या हुआ किस प्रकार हुआ का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार जांच कर रही है। उन्होंने इसके लिए शायद कोई भूतपूर्व मुख्य सचिव नियुक्त किया है। जो कुछ वहां घटा है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, उसकी जांच की जायेगी। जब तक यह रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं होती तब तक इस विषय पर कुछ कहना अथवा निर्णय देना बहुत कठिन है।

मेरे से न्यायायिक जांच के बारे में मांग की गई थी। मैंने कल ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायायिक आयोग नियुक्त करना अवास्तविक है क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना यह न्यायायिक आयोग कार्य नहीं कर सकता। इसलिये, जैसा मैंने कहा, आज के राजनीति की अत्यावश्यक वास्तविकता यह है कि विभिन्न दल विभिन्न प्रशासन चला रहे हैं। और उनकी नीतियों की प्रवृत्ति में परिवर्तन है। निःसन्देह सम्पूर्ण सदन इस बात से सहमत होगा कि जब हम यह कहते हैं कि संविधान के अन्तर्गत वहां प्रजातांत्रिक सरकार होनी है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यह यथापूर्व सरकार होनी चाहिये, उन्हें देखना होगा कि सामाजिक सम्बन्ध में कोई परिवर्तन है। एक संविधानिक, प्रजातांत्रिक सरकार केवल

यह चाहती है कि इस गत्यात्मक परिवर्तन को लाने के लिए उन्हें संविधानिक तथा प्रजातांत्रिक नियमों को अपनाना चाहिये।

एक सरकार से केवल ऐसे प्रतिबन्ध की आशा की जाती है चाहे वह किसी भी दल की सरकार हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि मुझे एक बहुत दृढ़ गृह-कार्य मंत्री के रूप में कार्य करना चाहिये और इस सम्बन्ध में 1948-49 के गृहमंत्री का उल्लेख किया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1968-69 का भारत वर्ष 1948-49 का भारत वर्ष नहीं है। कुछ मूल-भूत परिवर्तन हो गये हैं। मुझे इस सम्बन्ध में वास्तविकता को देखना होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिये और हमें घबड़ाना नहीं चाहिये। हमें अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिये और उस दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिये।

Mr. Chairman : I think Shri Hem Barma is not speaking. Now the House is adjourned till Eleven of the clock tomorrow.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 7 अगस्त, 1969/16 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, August 7, 1969/Sravana 16, 1891 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.